

राज्यव्यापी डायल 100

अन्तर्गत


राजकीय रेलवे पुलिस

द्वारा

की जाने वाली कार्यवाही हेतु

स्थायी आदेश

जी.आर.पी. अन्तर्गत डायल 100 में कालर से सूचना प्राप्त होने पर प्रत्येक स्थिति हेतु निम्न कार्यवाही की जायेगी।



जी.आर.पी. अन्तर्गत 100 डायल हेतु बनाई जाने वाली एस.ओ.पी.

क्र.स.	घटना का प्रकार	क्र.स.	जी.आर.पी. के अनुसार घटना की प्रकृति
1	दुर्घटना	1	रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में डिवाइडर से टकराने पर दुर्घटना।
		2	ट्रेन व हल्के वाहनों के बीच दुर्घटना।
		3	ट्रेन व भारी वाहनों के बीच दुर्घटना।
		4	रेलवे स्टेशन व पुरानी इमारत का अचानक गिरना।
		5	सर्कुलेटिंग एरिया में टक्कर मार कर भाग जाना।
		6	ट्रेन में या सर्कुलेटिंग एरिया में जानवरों के कारण दुर्घटना।
		7	ट्रेन दुर्घटना
		8	रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में गंभीर सड़क दुर्घटना।
		9	रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के अन्दर बोरवेल में गिरना, गहरे कूप में गिरना।
		10	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत आसमानी बिजली गिरने से घायल होना, आसमानी बिजली गिरने से मृत्यु होना।
		11	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत विद्युत स्पर्शाघात से घायल होना, विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु होना
		12	बाढ़ से रेलवे पटरी का बह जाना।
2	विस्फोट से दुर्घटना	13	रेलवे स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया में जहरीली गैस से रिसाव होना।
		14	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत गैस सिलेन्डर का फटना।
3	आग की दुर्घटना	15	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रिहायशी भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सरकारी भवन।
		16	रेल के इंजन में आग/ट्रेन में आग/सर्कुलेटिंग एरिया में वाहन में आग।
4	आबकारी अधिनियम के अपराध	17	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत अवैध आपूर्ति, अवैध तस्करी. अवैध बिक्री (ड्रग्स/शराब)
5	एन.डी.पी.एस. अधि. के अपराध	18	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत अवैध आपूर्ति, अवैध बिक्री, अवैध तस्करी।
6	जानवरों से सम्बन्धित	19	रेलवे स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया में जानवरों का उत्पात।
		20	रेलवे ट्रैक या स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया में गौ हत्या एवं गौवंशीय जानवरों का मृत शरीर पाया जाना
		21	रेलवे ट्रैक या स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया में गौवंश के अतिरिक्त अन्य जानवरों का मृत

			शरीर पाया जाना।
		22	रेलवे स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया में घायल जानवरों का पाया जाना।
		23	रेलवे स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्र में खतरनाक जानवर/कुत्ते का पाया जाना।
		24	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत उपेक्षित पालतू जानवर पाया जाना।
		25	जी.आर. पी. क्षेत्रान्तर्गत कुत्ते द्वारा काटना, गीदड़/लोमड़ी द्वारा काटना, सांप द्वारा काटना, बन्दर द्वारा काटना, अन्य किसी जानवर द्वारा काटना।
7	जानवरों की तस्करी	26	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत कछुआ, प्रतिबन्धित पंक्षी एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित जीवों के अतिरिक्त अन्य पशुओं पर विधि विरुद्ध परिवहन।
		27	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत वन्य जीव संरक्षण अधि. के अन्तर्गत अधिसूचित जंगली जानवरों की तस्करी, अन्य प्रतिबन्धित जानवरों की तस्करी।
8	बम विस्फोट/बम की धमकी	28	ट्रेन/स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया/आस पास भवन में बम विस्फोट।
9	बम विस्फोट/बम की सूचना	29	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बम होने की सूचना।
10	बाल अपराध (शोषण एवं अन्य अपराध)	30	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत दुर्यवहार (बाहरी व्यक्तियों द्वारा)।
		31	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बाल मजदूरी।
		32	बाल विवाह के लिए ट्रेन द्वारा जबरन ले जाने पर।
		33	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बाल भिक्षाटन।
		34	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बाल तस्करी।
11	बाल अपराध (यौन शोषण)	35	रेलवे स्टेशन यार्ड/आउटर सिग्नल के अन्दर/सर्कुलेटिंग एरिया में बलात्कार का प्रयास।
		36	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बलात्कार।
		37	चलती ट्रेन में बलात्कार का प्रयास करना।
		38	चलती ट्रेन में बलात्कार।
		39	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत किसी भवन या परिसर में छेड़छाड़।
		40	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर छेड़छाड़।
		41	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत यातायात के सार्वजनिक साधनों में छेड़छाड़ जैसे टैम्पो/टैक्सी/सिटी बस आदि।
		42	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बालक के साथ अप्राकृतिक मैथुन।

12	महिला यौन उत्पीड़न	43	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत किसी भवन या परिसर में बलात्कार का प्रयास।
		44	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत किसी भवन या परिसर में बलात्कार।
		45	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत चलते वाहन में बलात्कार का प्रयास।
		46	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत चलते वाहन में बलात्कार।
		47	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत किसी भवन में या परिसर में छेड़छाड़।
		48	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर छेड़छाड़।
		49	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत यातायात के सार्वजनिक साधनों में छेड़छाड़।
		50	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत वेश्यावृत्ति, देह व्यापार।
13	महिला उत्पीड़न	51	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत अपहरण की सूचना।
		52	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत गाली देना, अपमानित करना।
		53	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत एसिड फेंकना।
		54	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत अशोभनीय वार्ता।
		55	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत हमला करना।
14	फोन/मोबाइल/सोशल मीडिया/इन्टरनेट सम्बन्धी अपराध	56	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत महिला को गाली देना, शराब पीकर काल करना, धमकी देना, अश्लील वार्ता करना, अश्लील मैसेज/चित्र पोस्ट करना, एटीएम/बैंक सम्बन्धी जानकारी अवैध रूप से प्राप्त करना।
		57	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुरुष को गाली देना, शराब पीकर काल करना, धमकी देना, अश्लील मैसेज/चित्र पोस्ट करना।
15	विवाद	58	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सड़क खोदना।
		59	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत हरा पेड़ काटने की घटना।
		60	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पार्किंग के लिए, सवारी, वाहन चालकों के मध्य, पड़ोसी के साथ।
		61	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत हिजड़ों के मध्य विवाद, हिजड़ों व पुरुषों में विवाद, हिजड़ों एवं महिलाओं में विवाद।
		62	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत मजदूर एवं मजदूर के मध्य, मजदूर एवं मालिक।
		63	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पैसे के लिए लेन-देन का विवाद।
16	सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद	64	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत रास्ते का विवाद।
17	सम्प्रदायिक दंगा/अपराध/जाति/वर्ग	65	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत धार्मिक स्थल ध्वस्त करना।

	संघर्ष	66	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत हिन्दू-मुस्लिम, अन्य समुदाय, शिया-सुन्नी, जातीय संघर्ष।
		67	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत एससी/एसटी अथवा अन्य जातीय वर्ग संघर्ष।
18	डेड बाडी मिलना	68	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बच्चों का शव, जहरखुरानी के कारण, पुरुष शव, वरिष्ठ नागरिक का शव पाया जाना।
		69	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत महिला का शव मिलना।
19	अतिक्रमण	70	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण।
		71	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सड़क पर अतिक्रमण।
20	अभियुक्त का अभिरक्षा से फरार होना	72	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुलिस अभिरक्षा से, न्यायिक अभिरक्षा से फरार होना।
21	मारपीट/बलवा/हंगामा	73	ट्रेन/रेलवे स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया में सुरक्षा बल एवं जनता के मध्य।
		74	रेलवे क्षेत्रान्तर्गत परिवार में।
		75	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत छात्रों के मध्य, अन्य समूहों के मध्य।
		76	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सुरक्षा बल एवं छात्रों के मध्य।
		77	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया में हंगामा।
		78	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत आफिस में हंगामा।
		79	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पार्किंग में हंगामा।
22	फायरिंग	80	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बैंक में फायरिंग, सड़क पर फायरिंग, कार्यालय/दुकान में फायरिंग
		81	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत हर्ष फायरिंग।
23	जालसाजी	82	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी, अवैध आपूर्ति।
		83	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत नकली भारतीय मुद्रा का अवैध कब्जा।
24	लावारिश व्यक्ति/महिला/बच्चा/वस्तु/वाहन एवं जानवर आदि की सूचना	84	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत किसी स्थान/भवन/माल/सार्वजनिक स्थान में, सार्वजनिक वाहन में निजी वाहन में.
		85	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत लावारिश पुरुष।
		86	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत लावारिश जानवर।
		87	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत लावारिश महिला, लावारिश बच्चा।
		88	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत लावारिश वाहन।
25	जुआ	89	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत ताश के पत्ते से, सट्टेबाजी से, अन्य किसी उपकरण के द्वारा

			जुआ।
26	अपहरण	90	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुरुष का अपहरण।
		91	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत महिला का अपहरण।
		92	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बच्चे का अपहरण।
27	गुमशुदगी	93	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत चलती ट्रेन/रेलवे स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया/आउटर सिग्नल तक मोबाइल, टैबलेट, पीसी, लैपटॉप, पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र/मार्कशीट, चेक/ड्राफ्ट/पासबुक, डेथ सर्टिफिकेट आदि की गुमशुदगी।
		94	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत व्यक्ति की गुमशुदगी।
		95	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत महिला की गुमशुदगी।
		96	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बच्चे की गुमशुदगी।
		97	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत जानवरों की गुमशुदगी।
28	आर्थिक अपराध	98	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूपों की बरामदगी, अवैध मूल्यवान वस्तु की बरामदगी।
29	हत्या का प्रयास	99	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत फायर आर्म्स से, धारदार हथियार से, विष के प्रयास से, फांसी पर लटकाकर, गला घोटकर।
30	हत्या	100	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत आग में जलाकर, विष देकर, धारदार हथियार से, फायर आर्म्स से, गला घोट कर, अन्य किसी प्रकार से हत्या।
31	प्रदूषण	101	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत जलपान की दुकान/कैण्टीन आदि में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण।
		102	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत वाहन द्वारा प्रदूषण।
32	तस्करी	103	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सोना, अन्य प्रतिबन्धित सामानों की तस्करी।
		104	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत नौकरी का लालच देकर अवैध रूप से विदेश भेजना (कबूतरबाजी)
33	आत्महत्या का प्रयास	105	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास।
		106	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत जहर खाकर आत्म हत्या का प्रयास।
		107	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत रेलवे ट्रैक पर कूदकर आत्म हत्या का प्रयास।
		108	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या अन्य घातक हथियार से आत्महत्या का प्रयास।

		109	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पानी में कूदकर (नदी/नहर/झील/स्विमिंगपूल/पोखर आदि) आत्महत्या का प्रयास।
		110	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास करना।
34	आत्महत्या	111	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत विष से आत्महत्या।
		112	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या अन्य घातक हथियार से आत्महत्या करना।
		113	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत आग लगाकर।
		114	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पानी में कूदकर (नदी/नहर/झील/स्विमिंग पूल/पोखर आदि) रेलवे स्टेशन परिसर में आत्महत्या।
		115	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत फांसी लगाकर आत्महत्या करना।
		116	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत रेलवे ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या।
35	संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना	117	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत ट्रेन/स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया के वाहन में संदिग्ध व्यक्ति की सूचना।
		118	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत भवन/परिसर/स्थान में संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना।
36	संदिग्ध वस्तु की सूचना	119	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत ट्रेन/पार्किंग के वाहन में संदिग्ध वस्तु की सूचना।
		120	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया/पार्किंग/आउटर सिग्नल तक संदिग्ध वस्तु की सूचना।
37	आतंकवादी घटना	121	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सरकारी भवन, सरकारी थाना, समूह पर, सुरक्षा बल के मुख्यालय आदि पर हमला।
		122	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सर्कुलेटिंग एरिया के व्यक्तिगत वाहन पर, सरकारी वाहन पर, सुरक्षा बल के वाहन पर हमला।
38	चोरी	123	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत एटीएम में चोरी, बैंक में चोरी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चोरी, ज्वैलरी शाप या अन्य शाप/ कार्यालय व अन्य अस्थान में चोरी।
		124	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सर्कुलेटिंग एरिया में चोरी।
		125	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पशु चोरी।
		126	रेल में चोरी
39	लूट	127	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत कैशियर से लूट।

		128	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत स्टेशन मास्टर के कैश कार्यालय में लूट।
		129	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत आम नागरिक से लूट
		130	रेल में लूट
40	डकैती	131	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत एटीएम/बैंक/फैक्ट्री/मकान/दुकान अन्य परिसर।
		132	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत रोड पर डकैती।
		133	रेल में डकैती
		134	सर्कुलेटिंग एरिया में डकैती
41	जेबकट्टी/टप्पेबाजी	135	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत चेन स्नैचिंग, मोबाइल, रुपया, पर्स, अन्य मूल्यवान वस्तु की जेबकट्टी/टप्पेबाजी
42	धमकी (फोन/दूरभाष/ई-मेल/सोशल मीडिया पर)	136	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत हमला करने की, बम से मारने की, अपहरण करने की, हत्या करने की धमकी, किसी भी अन्य प्रकार की धमकी देना।
43	धमकी (सामने खड़े होकर धमकी देना)	137	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत हमला करने की, बम से मारने की, अपहरण करने की, हत्या करने की धमकी, किसी भी अन्य प्रकार की धमकी देना।
44	जहरखुरानी	138	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड/टैम्पो/जी.आर.पी. अधिकार क्षेत्र में किसी भी स्थान पर जहरखुरानी।
		139	रेलवे स्टेशन/ट्रेन में जहरखुरानी।
45	यातायात जाम	140	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत वाहन खराब होने के कारण, अवैध पार्किंग के कारण, सड़क मरम्मत के कारण, सड़क पर अतिक्रमण के कारण।
		141	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत अक्रियाशील ट्रैफिक लाइट।
		142	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत जुलूस के कारण, धरना/प्रदर्शन के कारण।
		143	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत हड़ताल के कारण, धार्मिक जुलूस के कारण, राजनैतिक जुलूस के कारण।
		144	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बारात के कारण।
		145	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सरकारी आयोजनों के कारण, प्रदर्शनी के कारण।
46	नशे में/ बेहोशी की हालत में मिलना	146	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत नशे में सार्वजनिक स्थान पर बेहोश पड़े होना ।
47	पुलिस के विरुद्ध सूचना	147	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुलिस द्वारा गाली गलौज की सूचना

		148	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत अभिरक्षा में मृत्यु की सूचना, पुलिस अभिरक्षा में बलात्कार की सूचना।
		149	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुलिस द्वारा विभाग की गरिमा के विरुद्ध कार्य की सूचना।
		150	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुलिस हिरासत में मार पीट की सूचना
		151	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुलिस द्वारा रिश्वत मांगने की सूचना
		152	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुलिस द्वारा विवेचना में लापरवाही की सूचना
		153	ट्रेन में स्कोर्ट कर्मियों द्वारा दुर्यवहार की सूचना।
		154	ट्रेन में स्कोर्ट कर्मियों द्वारा पैसों के लेन-देन की सूचना।
48	अन्य सरकारी विभागों के विरुद्ध सूचना	155	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने की सूचना, सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यवाही न करने की सूचना, कार्य में लापरवाही की सूचना, कार्य लोप करने की सूचना, कार्य में विलम्ब की सूचना।
49	साइबर अपराध	156	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत ई-मेल हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग, बैंक खाता हैकिंग, बैंक से अवैध रूप से धन स्थानान्तरण, सोशल साइट पर आपत्तिजनक/अश्लील सामग्री पोस्ट करना, पोर्न साइट पर अश्लील फोटो/वीडियो अपलोड करना।
50	जी.आर.पी. अन्तर्गत अन्य आकस्मिकतायें	157	ट्रेन के महिला कोच/विकलांग कोच/आरक्षित कोच में अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश।
		158	ट्रेन/रेलवे स्टेशन पर यात्री का सामान छूट जाने के सम्बन्ध में।
		159	ट्रेन/रेलवे स्टेशन पर लावारिश/संदिग्ध सामान पाया जाना।
		160	ट्रेन/रेलवे स्टेशन पर महिला से छेड़छाड़ से सम्बन्धित घटनायें।
		161	ट्रेन के आरक्षित कोच अथवा अन्य किसी कोच में सीट को लेकर विवाद।
		162	ट्रेन में किन्नरों द्वारा वसूली।
		163	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत यात्रा के दौरान अचानक हार्ट अटैक अथवा स्वास्थ्य खराब हो जाना।
		164	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा।
		165	रेल समस्या को लेकर स्टेशन पर धरना/प्रदर्शन तथा ट्रैक जाम करने की सूचना।
		166	ट्रेन का चक्का जाम की सूचना।
		167	ट्रेन पर पथराव।

		168	रेलवे स्टेशन की बुकिंग विण्डों पर टिकट लेने में लाइन अथवा तत्काल बुकिंग में दलालों का प्रवेश।
		169	रेलवे की एमएसटी धारकों द्वारा अपराध।
		170	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुरुष/महिला की अवैध तस्करी।
		171	ट्रेन की चेन पुलिंग करके अपराध करना।
		172	चलती ट्रेन से गिरना।
51	रेल से दुर्घटना	173	रेल से व्यक्ति की दुर्घटना।
52	रेल से दुर्घटना	174	रेल से जानवर की दुर्घटना

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स.	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	दुर्घटना	रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में डिवाइडर से वाहन टकराने पर दुर्घटना	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	✓	एम्बूलेंस	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <hr/> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बूलेंस से अस्पताल रवाना किया जायेगा। जनपदीय/जी.आर.पी. पुलिस बल द्वारा पीड़ित, घटनास्थल, पीड़ित के सामान एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी।</p> <p>02-यदि एम्बूलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायल को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जायेगा।</p> <p>03-मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को जीआरपी/स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जायेगा एवं मृतक के सामान की सुरक्षा सामानों की सूची बनाते हुए फर्द बनाकर सुनिश्चित की जायेगी।</p> <p>04-स्थानीय थाने के प्रतिनिधि के घटनास्थल पर पहुंचने पर शव, घटनास्थल, पीड़ित के सामान एवं समस्त सूचनाओं को स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित किया जायेगा।</p> <p>05-बाधित रुट को खाली कराने की कार्यवाही की जाये, जिससे सर्कुलेटिंग एरिया का संचालन सामान्य हो तथा अन्य यात्रियों को गंतव्य स्थान पर रवाना किया जा सके।</p> <p>डी-रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय</p>	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.			
			✓	नहीं	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी.	✓	फॉरेंसिक		✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	
									जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)		अग्निशमन	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
									एसआरपी		अग्निशमन			एसआरपी	
									पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे		अग्निशमन			पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	
									पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		अग्निशमन			पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	
						पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	अग्निशमन			पुलिस महा निदेशक रेलवे					
						होमकण्ट्रोलरेलवे	अग्निशमन			होमकण्ट्रोल रेलवे					
						आर.पी.एफ.	अग्निशमन								

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
2	दुर्घटना	ट्रेन व हल्के वाहनों के बीच दुर्घटना	✓	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04	✓	एम्बूलेंस	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- 01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जी आरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा। 02-पीड़ितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना। 03-मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये। 04-बाधित रुट को खाली कराने की कार्यवाही की जाये, जिससे ट्रेनों का संचालन सामान्य हो तथा अन्य यात्रियों को गंतव्य स्थान पर रवाना किया जा सके।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- 01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता को उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी, उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02/03/ 04 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा 02-घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बूलेंस से अस्पताल रवाना किया जायेगा।</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.						
			नहीं	✓	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) <table border="1" style="display: inline-table; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;">✓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	हां	✓		नहीं		फोरेसिक	अग्निशमन	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
			हां	✓																
			नहीं																	
									पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे पुलिस महा निदेशक, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> आरपीएफ कण्ट्रोल		जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है) उ.नि. महिला-01 उ.नि. पुरुष-01 मु.आ.-01 आरक्षी महिला-01 आरक्षी पुरुष-04	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी			
									पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे					✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
3	दुर्घटना	ट्रेन व भारी वाहनों के बीच दुर्घटना	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">✓ हां</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">✓ उच्च</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">नहीं</td> <td style="text-align: center;">सामान्य</td> </tr> </table>	✓ हां	✓ उच्च	नहीं	सामान्य	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">✓</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">उच्च</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">नहीं</td> <td style="text-align: center;">सामान्य</td> </tr> </table>	✓	उच्च	नहीं	सामान्य	<p>✓ थाना प्रभारी जी.आर.पी.</p> <p>✓ सी.ओ.जी.आर.पी.</p> <p>✓ एसआरपी</p> <p>पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे</p> <p>✓ होमकण्ट्रोलर रेलवे</p>	<p>उ.नि.(महिला)-01</p> <p>उ.नि. (पु)-01</p> <p>मु.आ.-01</p> <p>आ. (महिला)-01</p> <p>आरक्षी (पु)-04</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="width: 50px; margin: 5px auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">हां</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">नहीं</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table> <p>(जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां थाना/चौकी स्थापित नहीं है)</p> <p>उ.नि. महिला-01</p> <p>उ.नि. पु-01</p> <p>मु.आ.-01</p> <p>आरक्षी म.-01</p> <p>आरक्षी पु.-04</p>	हां	✓	नहीं		<p>✓ एम्बुलेंस</p> <p>फोरेंसिक</p> <p>अग्निशमन</p> <p>✓ अन्य कोई (यदि कोई हो नाम अंकित करें)</p> <p>✓ यातायात पुलिस/क्रेन</p>	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जी आरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-पीड़ितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना।</p> <p>03-मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये।</p> <p>04-बाधित रुट को खाली कराने की कार्यवाही की जाये, जिससे ट्रेनों का संचालन सामान्य हो तथा अन्य यात्रियों को गंतव्य स्थान पर रवाना किया जा सके।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता को उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी, उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02/03/04 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा 02-घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया जायेगा। जी.आर.पी. पुलिस बल द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित की सामान वीडियोग्राफी</p>	<p>✓ ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा</p> <p>✓ ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित</p> <p>✓ निकटतम थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित</p>	<p>✓ थाना प्रभारी जी.आर.पी.</p> <p>✓ सीओ जीआरपी</p> <p>✓ एसआरपी</p> <p>पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे</p> <p>✓ होमकण्ट्रोल रेलवे</p>
✓ हां	✓ उच्च																					
नहीं	सामान्य																					
✓	उच्च																					
नहीं	सामान्य																					
हां	✓																					
नहीं																						

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
4	दुर्घटना	रेलवे स्टेशन या पुरानी इमारत का अचानक गिर जाना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-02 मु.आ.-02 आ. (महिला)-04 आरक्षी (पु)-10	✓	एम्बुलेंस	<p><u>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</u></p> <p>-----</p> <p><u>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</u></p> <p>-----</p> <p><u>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</u></p> <p>01-सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा</p> <p>02-घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीडित को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया जाये। जी.आर.पी. पुलिस बल द्वारा पीडित/घटनास्थल/पीडित का सामान वीडियोग्राफी की जाये।यदि एम्बुलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाये।</p> <p>03-पीडितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना।</p> <p>04-मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये।</p> <p>05-घटनास्थल को यलो टेप अथवा रस्से की सहायता से सुरक्षित किया जाये</p> <p>06- बाधित रुट को खाली कराने की कार्यवाही की जाये, जिससे ट्रेनों का संचालन सामान्य हो तथा अन्य यात्रियों को गंतव्य स्थान पर रवाना किया जा सके।</p> <p>07-भगदड़ वाले स्टेशन को खाली कराने की कार्यवाही</p>	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-02 मु.आ.-02 आ. (महिला)-04 आरक्षी (पु)-10	✓	एम्बुलेंस	<p><u>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</u></p> <p>-----</p> <p><u>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</u></p> <p>-----</p> <p><u>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</u></p> <p>01-सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा</p> <p>02-घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीडित को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया जाये। जी.आर.पी. पुलिस बल द्वारा पीडित/घटनास्थल/पीडित का सामान वीडियोग्राफी की जाये।यदि एम्बुलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाये।</p> <p>03-पीडितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना।</p> <p>04-मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये।</p> <p>05-घटनास्थल को यलो टेप अथवा रस्से की सहायता से सुरक्षित किया जाये</p> <p>06- बाधित रुट को खाली कराने की कार्यवाही की जाये, जिससे ट्रेनों का संचालन सामान्य हो तथा अन्य यात्रियों को गंतव्य स्थान पर रवाना किया जा सके।</p> <p>07-भगदड़ वाले स्टेशन को खाली कराने की कार्यवाही</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी.	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓	फोरेंसिक		✓	अग्निशमन	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी								
			✓	हां	✓	उच्च	✓	एसआरपी	(जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	✓	अग्निशमन		✓	निकटतम थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे								
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे								
			✓	हां	✓	उच्च	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-02 मु.आ.-02 आ. (महिला)-04 आरक्षी (पु)-10	✓	यातायात पुलिस/क्रेन		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓									
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		✓	सिविल डिफेन्स		✓		✓		✓									

				✓	होमकण्ट्रोल रेलवे			की जाये, जिससे स्थिति सामान्य हो सके। 08-यातायात पुलिस द्वारा रोड मार्ग से जाम को खाली कराया जाये। 09-लाउड हेडर के माध्यम से उद्घोषणा करायी जाये, जिससे रियूमर न फैले। <u>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</u> 01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।			
				✓	आर.पी.एफ. कण्ट्रोल			02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02/03/04/05/06/07/08/09 की कार्यवाही की जायेगी।			

				✓	होमकण्ट्रोल रेलवे			जाये। 05-घटनास्थल को यलो टेप अथवा रस्से की सहायता से सुरक्षित किया जाये 06- यातायात पुलिस द्वारा रोड मार्ग से जाम को खाली कराया जाये। 07-सर्कुलेटिंग एरिया में लगे कैमरे से घटनाक्रम का पता करते हुए दोषी के विरुद्ध जनपदीय पुलिस को जानकारी प्रदान करते हुए कार्यवाही कराना।			
					आर.पी.एफ. कण्ट्रोल			08-घटनास्थल से दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन को हटाया जायेगा <u>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</u> 01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी। 02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02/03/04/05/06/07/08 की कार्यवाही की जायेगी।			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
6	दुर्घटना	ट्रेन में या सर्कुलटिंग एरिया में जानवरों के कारण दुर्घटना	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04	✓	एम्बुलेंस	<u>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</u> 01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- मौके की स्थिति का सही आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना व थानाध्यक्ष को घटना से अवगत कराना। 03- मृत्यु होने की दशा में जानवर का शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये। 04- पीड़ितों को ढांडस बंधाना एव सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना। 05- नगर निगम/महापालिका द्वारा ट्रैक से जानवर का शव हटाना। <u>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</u> 01- सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचनाकर्ता से नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक-ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02/03/04/05 की कार्यवाही जायेगी। सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01- मौके की स्थिति का सही आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना व थानाध्यक्ष को घटना से अवगत कराना। 02- मृत्यु होने की दशा में जानवर का शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये।	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.					
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी.	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓		फोरेंसिक	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी				
			✓				✓	एसआरपी	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table> (जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है))	हां			नहीं	✓	✓	अग्निशमन	✓	निकटतम थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			हां																	
			नहीं	✓																
					पुलिस उपमहा निरीक्षकरेलवे	परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे								
					पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निदेशक /अपर पुलिस	✓	पुलिस महा निदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे								
					पुलिस महा निदेशक /अपर पुलिस						✓	होमकंप्ट्रोल रेलवे								

				महानिदेशक रेलवे				03- पीड़ितों को ढाँढस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना।				
				✓ होमकण्ट्रोल रेलवे				04- नगर निगम/महापालिका द्वारा ट्रैक से जानवर का शव हटाना।				
				✓ आर.पी.एफ. कण्ट्रोल				05-बाधित रूट को खाली कराने की कार्यवाही की जाये, जिससे वाहनों/यात्रियों का संचालन सामान्य हो। तथा अन्य यात्रियों को गंतव्य स्थान पर रवाना क या जा सके। डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-				
								01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।				
								02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02/03/04/05 की कार्यवाही की जायेगी।				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
7	दुर्घटना	ट्रेन दुर्घटना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-02 उ.नि. (पु)-04 मु.आ.-04 आ. (महिला)-04 आरक्षी (पु)-12</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td></td> </tr> </table> <p>(जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है) .नि.(महिला)-02 उ.नि. (पु)-04 मु.आ.-04 आ. (महिला)-04 आरक्षी (पु)-12</p> <p>PRV की आवश्यकता - 10 PRV</p>	हां	✓	नहीं		✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			हां	✓													
			नहीं														
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी.		✓	फोरेसिक	<p><u>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</u> 01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- पीड़ितों को ढांडस बंधाना एव सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना। 03- मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये। 04- बाधित स्ट को खाली कराने की कार्यवाही की जाये, जिससे ट्रेनों का संचालन सामान्य हो तथा अन्य यात्रियों को गंतव्य स्थान पर रवाना किया जा सके।</p> <p><u>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</u> 01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचनाकर्ता से नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक-ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02/03/ 04 की कार्यवाही जायेगी।</p> <p><u>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</u> 01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/ चौकी बल को भेजा जायेगा। 02-घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया जाये, जीआरपी पुलिस बल द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित का सामान की वीडियोग्राफी की जाये। यदि एम्बुलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाये।</p>	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी	
✓		✓		✓	एसआरपी	✓	अग्निशमन	✓	निकटतम थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी						
✓		✓		✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे						
✓		✓		✓	पुलिस महानिरीक्षक रेलवे	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे						
✓		✓		✓	पुलिस महा निदेशक /अपर पुलिस	✓		✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे						

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
8	दुर्घटना	रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में गंभीर सड़क दुर्घटना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	✓	एम्बूलेंस	<u>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</u> ----- <u>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</u> -----	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			नहीं	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी	<u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>हां</td><td style="text-align: center;">✓</td></tr><tr><td>नहीं</td><td></td></tr></table>	हां	✓	नहीं		फोरेसिक	<u>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</u> <u>01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/ चौकी बल को भेजा जायेगा।</u> <u>02-घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीडित को एम्बूलेंस से अस्पताल रवाना किया जाये, जीआरपी पुलिस बल द्वारा पीडित/घटनास्थल/पीडित का सामान की वीडियोग्राफी की जाये। यदि एम्बूलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाये।</u> <u>03- पीडितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना।</u> <u>04- मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये।</u>	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
			हां	✓													
			नहीं														
✓		✓	एसआरपी	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है) उ.नि. (महिला)-0 उ.नि.(पु)-0 मु.आ.-01 आ.(महिला)-01 आरक्षी (पु.)-02 PRV की आवश्यकता - 02 PRV	अग्निशमन	✓	निकटतम थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी								
			पुलिसउपमहानिरीक्षक रेलवे	पुलिस महानिरीक्षक रेलवे	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस महानिरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे								
					पुलिस महानिदेशक /अपर पुलिस महा	अस्पताल एलर्ट	✓		✓	पुलिस महानिदेशक /अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे							
									✓	होमकण्ट्रोल रेलवे							

				निदेशक रेलवे					05-घटनास्थल को यलो टेप अथवा रस्से की सहायता से सुरक्षित किया जाये। 06- यातायात पुलिस द्वारा रोडमार्ग को जाम से खाली कराया जाये। 07-सर्कुलेटिंग एरिया में लगे कैमरे से घटनाक्रम को पता करते हुए दोषी के विरुद्ध जनपदीय पुलिस को जानकारी प्रदान करते हुए कार्यवाही कराना। 08-घटनास्थल से दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन को हटाया जायेगा				
				✓ होमकण्ट्रोल रेलवे					<u>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</u> 01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी। 02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02/03/04/05/06/07/08 की कार्यवाही की जायेगी।				

						✓	सिविल डिफेंस	05 की कार्यवाही जायेगी। सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/ चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02/03/04/05 की कार्यवाही की जायेगी।					
						✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	बोरवेल इंजीनियरिंग विभाग	डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:- 01- घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी। 02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02/03/04/05 की कार्यवाही की जायेगी।				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
10	दुर्घटना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत आसमाना बिजली गिरने से घायल होना, आसमाना बिजली गिरने से मृत्यु होना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया जाये, जीआरपी पुलिस बल द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित का सामान एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। यदि एम्बुलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जायेगा।</p> <p>03- घायलों को प्राथमिक उपचार देना एवं civil defence के कार्यकर्ताओं से मदद लेना।</p> <p>04- विद्युत विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर विद्युत प्रवाह बन्द कराया जाये।</p> <p>05-अस्पतालों के बर्न यूनिट को एलर्ट किया जाये।</p> <p>06-पीड़ितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना।</p> <p>07-मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये।</p> <p>08- बाधित रुट को खाली कराने की कार्यवाही की जाये, जिससे ट्रेनों का संचालन सामान्य हो तथा अन्य यात्रियों को गंतव्य स्थान पर रवाना किया जा सके।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचनाकर्ता से नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.					
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी.		<p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px;">✓</td> </tr> </table> <p>(जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)</p>	हां		नहीं	✓	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
			हां															
			नहीं	✓														
✓	✓	✓	✓	✓	एसआरपी	<p>पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निरीक्षक रेलवे</p>	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी								
✓	✓	✓	✓	✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	<p>पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक</p>	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे						

				रेलवे			शीर्षक-ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02/03/04/05/07/08 की कार्यवाही जायेगी।				
				✓ होमकण्ट्रोल रेलवे			सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-				
					उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02		01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/ चौकी बल को भेजा जायेगा।				
							02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02/03/04/05/06/07/08 की कार्यवाही की जायेगी।				
							डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-				
							01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।				
							02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02 से 08 तक की कार्यवाही की जायेगी।				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
11	दुर्घटना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत विघुत स्पर्शाघात से घायल होना, विघुत स्पर्शाघात से मृत्यु होना	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया जायेगा, जीआरपी पुलिस बल द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित का सामान एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। यदि एम्बुलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जायेगा।</p> <p>03- घायलों को प्राथमिक उपचार देना एवं civil defence के कार्यकर्ताओं से मदद लेना।</p> <p>04- विघुत विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर विघुत प्रवाह बन्द कराया जाये।</p> <p>05-अस्पतालों के बर्न यूनिट को एलर्ट किया जाये।</p> <p>06-पीड़ितों को ढांडस बंधाना एव सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना।</p> <p>07-मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये।</p> <p>08- बाधित रुट को खाली कराने की कार्यवाही की जाये, जिससे ट्रेनों का संचालन सामान्य हो तथा अन्य यात्रियों को गंतव्य स्थान पर रवाना किया जा सके।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचनाकर्ता से नम</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.			
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी		जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
			✓	हां	नहीं	✓	✓	एसआरपी		जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	✓	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षकरेलवे		पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
✓	नहीं	✓	✓	✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे				
✓	नहीं	✓	✓	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर	पुलिस महा निदेशक/अपर	✓	अस्पताल एलर्ट	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे				

				<p>पुलिस महा निदेशक रेलवे</p>				<p>व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक-ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02/03/04/05/07/08 की कार्यवाही जायेगी।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/ चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02/03/04/05/06/07 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02/03/04/05/06/07 की कार्यवाही की जायेगी।</p>			
				<p>✓ होमकण्ट्रोल रेलवे</p>							

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पान्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11													
12	दुर्घटना	बाढ़ में पटरी का बह जाना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	✓	एम्ब्लेंस	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-मौके की स्थिति का सही आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना व थानाध्यक्ष को घटना से अवगत कराना।</p> <p>03- मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये।</p> <p>04-घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्ब्लेंस से अस्पताल रवाना किया जायेगा, जीआरपी पुलिस बस द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित के सामान एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। यदि एम्ब्लेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जायेगा।</p> <p>05-ट्रेनों के आवागमन को डायवर्ट कराना।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचनाकर्ता से नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>उसके उपरान्त शीर्षक-ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02/03/04/05 की कार्यवाही जायेगी।</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.						
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी.	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓	फोरेंसिक	✓		अग्निशमन	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी					
						हां	नहीं	✓	एसआरपी	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">हां</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">नहीं</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;"> </td> </tr> </table>	हां	नहीं				✓	अग्निशमन	✓	अग्निशमन	✓	जाकर हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			हां	नहीं																			
						✓	नहीं	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षकरेलेवे	(जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाणा/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे				
						✓	नहीं	✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलेवे	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	✓	यातायात पुलिस/क्रेन/जेसीबी मशीन		✓	यातायात पुलिस/क्रेन/जेसीबी मशीन	✓	हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे				
						✓	नहीं	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	✓	अस्पताल एलर्ट		✓	अस्पताल एलर्ट	✓	हस्तांतरित	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे				

				<p>पुलिस महा निदेशक रेलवे</p>		<p>✓ सिविल डिफेंस</p>	<p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/ चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02/03/04/05 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02/03/04/05 की कार्यवाही की जायेगी।</p>			
				<p>✓ होमकण्ट्रोल रेलवे</p>						
				<p>✓ आर.पी.एफ. कण्ट्रोल</p>						
				<p>✓ सीनियर डीएससी</p>						
				<p>✓ सम्बन्धित डीएससी रेलवे</p>						

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
13	विस्फोट से दुर्घटना	रेलवे स्टेशन/सकुलेटिंग एरिया में जहरीली गैस का रिसाव होना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-10	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-10	✓	एम्बूलेंस	<u>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</u> ----- <u>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</u> -----	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	
			नहीं	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी.	<u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u> हां <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓	फॉरेंसिक	<u>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</u> <u>01-</u> सम्बन्धित जीआरपी थाने/ चौकी बल को भेजा जायेगा। <u>02-</u> घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बूलेंस से अस्पताल रवाना किया जायेगा, जीआरपी पुलिस बल द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित के सामान एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। यदि एम्बूलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जायेगा। <u>03-</u> पीड़ितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना। <u>04-</u> मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय	✓	सीओ जीआरपी		
			✓		✓	एसआरपी	एसआरपी	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	✓	अग्निशमन	01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/ चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बूलेंस से अस्पताल रवाना किया जायेगा, जीआरपी पुलिस बल द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित के सामान एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। यदि एम्बूलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जायेगा। 03- पीड़ितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना। 04- मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			✓		✓	पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे	पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/ चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बूलेंस से अस्पताल रवाना किया जायेगा, जीआरपी पुलिस बल द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित के सामान एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। यदि एम्बूलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जायेगा। 03- पीड़ितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना। 04- मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
✓		✓	पुलिस महानिरीक्षक रेलवे	पुलिस महानिरीक्षक रेलवे	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	✓	यातायात पुलिस/क्रेन/	01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/ चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बूलेंस से अस्पताल रवाना किया जायेगा, जीआरपी पुलिस बल द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित के सामान एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। यदि एम्बूलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जायेगा। 03- पीड़ितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना। 04- मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय	✓	पुलिस महा निरीक्षक/अपर	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे			
✓		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर	पुलिस महा निदेशक/अपर	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	✓	अस्पताल एलर्ट	01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/ चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बूलेंस से अस्पताल रवाना किया जायेगा, जीआरपी पुलिस बल द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित के सामान एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। यदि एम्बूलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जायेगा। 03- पीड़ितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना। 04- मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
14	विस्फोट से दुर्घटना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत गैस सिलेण्डर का फटना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	✓	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-10	✓	एम्बुलेंस	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-मौके की स्थिति का सही आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना व थानाध्यक्ष को घटना से अवगत कराना।</p> <p>03- मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये।</p> <p>04-घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया जायेगा, जीआरपी पुलिस बल द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित के सामान एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। यदि एम्बुलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जायेगा।</p> <p>05-अस्पतालों के बर्न यूनिट को अलर्ट किया जाये।</p> <p>06-अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि को फैलने से रोकने के प्रयास किये जायेंगे।</p> <p>07-बीडीडीएस व डाग स्क्वायड द्वारा गहनता से पूरे घटनास्थल की सघन चेंकिंग करायी जायेगी।</p> <p>08-घायलों को प्राथमिक उपचार देना एवं सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं से मदद लेना।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचनाकर्ता से नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक-ए में</p>	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी	✓	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓	फोरेसिक		✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	सीओ जीआरपी
			✓	हां	✓	उच्च	✓	एसआरपी	✓	अग्निशमन	✓	अग्निशमन		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षकरेलवे	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
✓	हां	✓	उच्च	✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे				
✓	हां	✓	उच्च	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर	✓	अस्पताल एलर्ट	✓	अस्पताल एलर्ट	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
15	आग की दुर्घटना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रिहायशी भवन, औद्योगिक भवन, सरकारी भवन	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-10 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	हां	✓	नहीं		01-सम्बन्धित जीआरपी थाने/ चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया जाये, जीआरपी पुलिस बल द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित के सामान की वीडियोग्राफी की जाये। यदि एम्बुलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाये। 03-पीड़ितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना।	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			हां	✓												
			नहीं													
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी.		✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.					
✓		✓		✓	एसआरपी	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी							
✓		✓		✓	पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे	✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी					
					पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे					
					पुलिस महानिरीक्षक रेलवे	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे					
					पुलिस महा निदेशक/अपर	✓	अस्पताल एलर्ट	✓	सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे					
								✓	01-सम्बन्धित जीआरपी थाने/ चौकी बल को भेजा जायेगा।	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे					
								✓	02- घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया जाये, जीआरपी पुलिस बल द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित के सामान की वीडियोग्राफी की जाये। यदि एम्बुलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाये।	✓						
								✓	03-पीड़ितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना।	✓						

				<p>पुलिस महा निदेशक रेलवे</p>		<p>✓ आक्सीजन सिलेन्डर की व्यवस्था</p>	<p>04-मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल से स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये</p> <p>05-घटनास्थल को यलो टेप अथवा रस्से की सहायता से सुरक्षित किया जाये।</p> <p>06-यातायात पुलिस द्वारा रोडमार्ग से जाम को खाली कराया जाये।</p> <p>07-सर्कुलेटिंग एरिया/रेलवे स्टेशन से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जायेगा।</p> <p>08-सिविल डिफेंस की मदद प्राप्त की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02/03/04/006/07/08 की कार्यवाही की जायेगी।</p>			
				<p>✓ होमकण्ट्रोल रेलवे</p>		<p>✓ फायर विभाग</p>				
				<p>✓ आर.पी.एफ. कण्ट्रोल</p>	<p>उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-10</p>					

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
16	आग की दुर्घटना	आग/ट्रेन में आग/सर्कुलेंटिंग एरिया में आग रेलवे के इंजन में आग/ट्रेन में आग/सर्कुलेंटिंग एरिया में आग	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-मौके की स्थिति का सही आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना व थानाध्यक्ष को घटना से अवगत कराना।</p> <p>03- मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये।</p> <p>04-घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त पीड़ित को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया जायेगा, जनपदीय/जीआरपी पुलिस बल द्वारा पीड़ित/घटनास्थल/पीड़ित के सामान एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। यदि एम्बुलेंस के पहुंचने में विलम्ब हो रहा है तो घायलों को पुलिस के उपलब्ध वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जायेगा।</p> <p>05-अस्पतालों के बर्न यूनिट को अलर्ट किया जाये।</p> <p>06-अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि को फैलने से रोकने के प्रयास किये जायेंगे।</p> <p>07-बीडीडीएस व डाग स्क्वायड द्वारा गहनता से पूरे घटनास्थल की सघन चेकिंग करायी जायेगी।</p> <p>08-घायलों को प्राथमिक उपचार देना एवं सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं से मदद लेना।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचनाकर्ता से नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक-ए में</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.				
			नहीं	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी.	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फॉरेंसिक		✓	अग्निशमन	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
					✓	एसआरपी	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)			✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
					✓	पुलिस उपमहा निरीक्षकरेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे		✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	अस्पताल एलर्ट	✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर	✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे				

				<p>पुलिस महा निदेशक रेलवे</p>		<p>✓ आक्सीजन सिलेन्डर की व्यवस्था</p>	<p>उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 08 की भांति कार्यवाही की जायेगी।</p>			
				<p>✓ होमकण्ट्रोल रेलवे</p>		<p>✓ फायर विभाग</p>	<p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01- सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचनाकर्ता से नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-विद्युत विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर विद्युत प्रवाह बन्द कराया जाये।</p> <p>03-अस्पतालों के बर्न युनिट को एलर्ट किया जाये।</p> <p>04-अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि को फैलने से रोकने के प्रयास किये जायेंगे।</p> <p>05- बीडीडीएस व डाग स्क्वायड द्वारा गहनता से रेलवे स्टेशन/पार्सल घर की सघन चेकिंग करायी जायेगी। कार्यवाही पूर्ण होने तक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का आवागमन रोक दिया जायेगा।</p> <p>06-यातायात विभाग द्वारा यातायात प्रवाह सामान्य किया जायेगा।</p> <p>07-अन्य कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02 से 08 की भांति कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02-अन्य कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02 से 07 की कार्यवाही की जायेगी।</p>			
				<p>✓ आर.पी.एफ. कण्ट्रोल</p>						

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
17	आबकारी अधिनियम के अपराध	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत अवैध आपूर्ति/अवैध तस्करी/अवैध बिक्री/तस्करी (ड्रग्स/शराब)	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02</p> <p><u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table> <p>एसआरपी</p> <p>पुलिसउपमहा निरीक्षकरेलवे</p> <p>पुलिस महा निरीक्षकरेलवे</p> <p>पुलिस महा</p>	हां		नहीं	✓	<p>उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02</p>	<p>किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो</p> <p>एम्ब्लूँस</p> <p>फोरेंसिक</p> <p>अग्निशमन</p> <p>अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)</p> <p>यातायात पुलिस/क्रेन</p>	<p>रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)</p> <p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-अपराधी को तत्काल हिरासत में लिया जायेगा।</p> <p>03- अवैध डायजापाम को जब्त किया जायेगा।</p> <p>04-नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जायेगा</p> <p>05-सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर कार्यवाही पूर्ण की जायेगी</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचनाकर्ता से नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक-ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02/03/04/05 की कार्यवाही जायेगी।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02/03/04/05 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना</p>	<p>✓</p>	<p>ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा</p> <p>ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित</p> <p>थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित</p>	<p>✓</p>	<p>थाना प्रभारी जी.आर.पी.</p> <p>सीओ जीआरपी</p> <p>एसआरपी</p> <p>पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे</p> <p>होमकण्ट्रोल रेलवे</p>
			हां																	
			नहीं	✓																
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी.		<p>जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)</p>	<p>अग्निशमन</p>	<p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचनाकर्ता से नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक-ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02/03/04/05 की कार्यवाही जायेगी।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02/03/04/05 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना</p>	<p>✓</p>							
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी	<p>जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)</p>	<p>अग्निशमन</p>	<p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचनाकर्ता से नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक-ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02/03/04/05 की कार्यवाही जायेगी।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02/03/04/05 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना</p>	<p>✓</p>					<p>सीओ जीआरपी</p> <p>एसआरपी</p> <p>पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे</p> <p>होमकण्ट्रोल रेलवे</p>						
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी										<p>जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)</p>	<p>अग्निशमन</p>	<p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचनाकर्ता से नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक-ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02/03/04/05 की कार्यवाही जायेगी।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02/03/04/05 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना</p>	<p>✓</p>	<p>सीओ जीआरपी</p> <p>एसआरपी</p> <p>पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे</p> <p>होमकण्ट्रोल रेलवे</p>	

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
18	एनडीपीएस अधिनियम के अपराध	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत अवैध आपूर्ति/अवैध तस्करी/अवैध बिक्री/तस्करी	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	एम्बुलेंस	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-अपराधी को तत्काल हिरासत में लिया जायेगा।</p> <p>03- अवैध डायजापाम को जब्त किया जायेगा।</p> <p>04-नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जायेगा</p> <p>05-सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर कार्यवाही पूर्ण की जायेगी</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचनाकर्ता से नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>उसके उपरान्त शीर्षक-ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02/03/04/05 की कार्यवाही जायेगी।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02/03/04/05 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.				
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी				
			✓				✓	एसआरपी	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">✓</td> </tr> </table> <p>जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)</p>	हां			नहीं	✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			हां																
नहीं	✓																		
					पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे								
					पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	यातायात पुलिस/क्रेन	यातायात पुलिस/क्रेन		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे							
					पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	नारकोटिक्स विभाग	नारकोटिक्स विभाग		✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे							

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
19	जानवरों से सम्बन्धित	रेलवे स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया में जानवरों का उत्पात	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	✓	एम्बुलेंस	ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना. जिसमें स्कोर्ट है:- बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना. जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.			
			नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक	सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- मौके की स्थिति का सही आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना व थानाध्यक्ष को घटना से अवगत कराना। 03-पीड़ितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना। 04- मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस के सहयोग से सुरक्षित किया जाये। 05- घटनास्थल को यलो टेप अथवा रस्से की सहायता से सुरक्षित किया जाये। 06-नगर निगम/नगर पालिका/वन विभाग के प्रतिनिधि के पहुंचने तक खतरनाक जानवर/कुत्ते पर नजर रखना एवं उनके विचरण पर सतर्क दृष्टि रखते हुए जनता को दूर रखना। यदि भीड़ एकत्रित	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	सीओ जीआरपी			
							एसआरपी	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">✓</td> </tr> </table> जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	हां		नहीं	✓	अग्निशमन	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
			हां													
नहीं	✓															
				पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	थाणा/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	एसआरपी	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे							
				पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		✓	यातायात पुलिस/क्रेन		पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे						
				पुलिस महा					✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	पुलिस महा					

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	नगर निगम अभिरक्षा में लेने हेतु/ नियन्त्रण हेतु	हो तो उसे हटाना ताकि जानवर भीड़ पर हमला न कर सकें एवं यदि जानवर पालतू कुत्त है तो मालिक की जानकारी कर उसे काबू में करने के लिए कहना।				निदेशक, उ.प्र.
				✓ होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	जंगली जानवर होने की दशा में वन विभाग	07-यदि जानवर जंगली है तो जनता को बाहर न निकलने देना एवं स्वयं को सुरक्षित रखते हुए उसके विचरण पर सतर्क दृष्टि रखना। 08-अथवा नगर निगम/नगर पालिका/वन विभाग के प्रतिनिधि के घटनास्थल पहुंचने पर घटना को उन्हे सुपुर्द कर घटना सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा एवं खतरनाक जानवर/कुत्ते को काबू करने में उन्हे सहयोग दिया जायेगा।				
					✓	एनजीओ	09-यातायात पुलिस द्वारा रोडमार्ग से जाम को खाली कराया जाये। 10-सर्कुलेटिंग एरिया/रेलवे स्टेशन से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाये। 11-सिविल डिफेंस की मदद प्राप्त की जायेगी। 12-खतरनाक जानवर/कुत्ते एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा। डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:- 01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी। 02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02 से 12 तक की कार्यवाही की जायेगी।				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
20	जानवरों से सम्बन्धित	रेलवे ट्रैक या स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया में गौ हत्या एवं गौवंशीय जानवरों का मृत शरीर पाया जाना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-02 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-10</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px;">✓</td> </tr> </table> <p>जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)</p> <p>उ.नि. (पु)-02 मु.आ.-02 आरक्षी (पु)-04</p>	हां		नहीं	✓	✓	थाणा प्रभारी जी.आर.पी.
			हां												
			नहीं	✓											
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	एसआरपी	✓	थाणा प्रभारी जी.आर.पी.		
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	सीओ जीआरपी				
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	एसआरपी				
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे				
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे				
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	हस्तांतरित	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
21	जानवरों से सम्बन्धित	रेलवे ट्रैक या स्टेशन/सर्कुलेंटिंग एरिया में गौवंश के अतिरिक्त अन्य जानवरों का मृत शरीर पाया जाना	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-2</p> <p><u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table> <p>जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)</p>	हां		नहीं	✓	<p>एम्बूलेंस</p> <p>फोरेंसिक</p> <p>अग्निशमन</p> <p>अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)</p> <p>यातायात पुलिस/क्रेन</p>	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- 01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा। 02-स्थिति का सही आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना एवं थानाध्यक्ष तथा क्षेत्राधिकारी को घटना से अवगत कराना। 03-कर्मियों के सहयोग से गौवंशीय पशु के मृत शरीर को यलो टेप आदि के माध्यम से सुरक्षित करना। 04-स्थानीय थाने के कर्मियों के सहयोग से मौके पर एकत्रित भीड़ को हटाना एवं जानवर का शव मौके से हटाना। 05-घटनास्थल पर पशु के शव तथा कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित करना। 06-अफवाह फैलाने वाले संगठनों पर रोक लगाया जाये। बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- 01-सम्बन्धित जनपदीय थाने को सूचित किया जायेगा। 02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02 से 06 तक की कार्यवाही की जायेगी। सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जनपदीय थाना/जी.आर.पी. थाना
			हां															
			नहीं	✓														
			नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी/जनपदीय						
				एस.आर.पी.	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित		एसआरपी									
				पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे					पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे								
				पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे					पुलिस महा निरीक्षक रेलवे								
				पुलिस महा	पुलिस महा					पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे								
										होमकण्ट्रोल रेलवे								

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		नगर निगम अभिरक्षा में लेने हेतु/ नियन्त्रण हेतु	<p>01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02 से 06 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p><u>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</u></p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02 से 06 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p>			
				✓ होमकण्ट्रोल रेलवे		जंगली जानवर होने की दशा में वन विभाग				
						एनजीओ				
				✓ आर.पी.एफ. कण्ट्रोल	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-02 मु.आ.-02 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-10	✓ पशु चिकित्सक				
						✓ जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष				
						✓ पीएसी बल				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
22	जानवरों से सम्बन्धित	रेलवे स्टेशन/सकुलेटिंग एरिया में घायल जानवरों का पाया जाना	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-02	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-02	एम्बुलेंस	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>-----</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>-----</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- स्थिति का सही आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना एवं थानाध्यक्ष तथा क्षेत्राधिकारी को घटना से अवगत कराना।</p> <p>03- कर्मियों के सहयोग से गौवंशीय पशु के मृत शरीर को यलो टेप आदि के माध्यम से सुरक्षित करना।</p> <p>04- स्थानीय थाने के कर्मियों के सहयोग से मौके पर एकत्रित भीड़ को हटाना एवं जानवरों को मौके से अस्पताल पहुंचाना।</p> <p>05- घटनास्थल पशु के शव तथा कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित करना।</p> <p>06- अफवाह फैलाने वाले संगठनों पर रोक लगाया जाये।</p>	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	
			नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित		✓	सीओ जीआरपी	
									एसआरपी	अग्निशमन		✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	एसआरपी
									पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		
						पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		यातायात पुलिस/क्रेन			पुलिस महा निरीक्षक रेलवे			
						पुलिस महा					पुलिस महा निरीक्षक रेलवे			
											✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		✓ नगर निगम अभिरक्षा में लेने हेतु/ नियन्त्रण हेतु	07-नगर निगम/नगर पालिका/वन विभाग के प्रतिनिधि के पहुंचने तक घायल जानवरों की सुरक्षा करना, जनता को घायल जानवर से दूर रखना एवं घायल जानवर को उकसाने से रोकना।				
				✓ होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ जंगली जानवर होने की दशा में वन विभाग	08-नगर निगम/नगर पालिका/वन विभाग के प्रतिनिधि के घटनास्थल पर पहुंचने पर घायल जानवरों को उन्हे सुपुर्द कर घटना सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा।				
				✓ आर.पी.एफ. कण्ट्रोल		✓ एनजीओ	डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-				
						✓ पशु चिकित्सक	01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।				
						✓ जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष	02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02 से 08 तक की कार्यवाही की जायेगी।				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
23	जानवरों से सम्बन्धित	रेलवे स्टेशन परिसर क्षेत्र में खतरनाक जानवर/कुत्तों का पाया जाना	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-02	एम्ब्लेंस	ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- ----- बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- ----- सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- स्थिति का सही आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना एवं थानाध्यक्ष तथा क्षेत्राधिकारी को घटना से अवगत कराना। 03- कर्मियों के सहयोग से रस्से आदि के माध्यम से सुरक्षित करना। 04- स्थानीय थाने के कर्मियों के सहयोग से मौके पर एकत्रित भीड़ को हटाना एवं जानवरों को मौके से अस्पताल पहुंचाना। 05-घटनास्थल पशु तथा कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित करना। 06-अफवाह फैलाने वाले संगठनों पर रोक लगाया जाये। 07-नगर निगम/नगर पालिका/वन विभाग के	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.				
			नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक		ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी				
					हां	नहीं	✓	एसआरपी	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px;">✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	एसआरपी
			हां														
नहीं	✓																
				पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	यातायात पुलिस/क्रेन		पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे						
				पुलिस महा													

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		✓ नगर निगम अभिरक्षा में लेने हेतु/ नियन्त्रण हेतु	<p>प्रतिनिधि के पहुंचने तक घायल जानवरों की सुरक्षा करना, जनता को घायल जानवर से दूर रखना एवं घायल जानवर को उकसाने से रोकना।</p> <p>08-नगर निगम/नगर पालिका/वन विभाग के प्रतिनिधि के घटनास्थल पर पहुंचने पर घायल जानवरों को उन्हें सुपुर्द कर घटना सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02 से 08 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p>			
			✓ होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ जंगली जानवर होने की दशा में वन विभाग	✓ एनजीओ				
			✓ आर.पी.एफ. कण्ट्रोल	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-02	✓ पशु चिकित्सक	जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
24	जानवरों से सम्बन्धित	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत उपेक्षित पालतू जानवर पाया जाना	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-02	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-02	एम्बुलेंस	ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- स्थिति का सही आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना एवं थानाध्यक्ष तथा क्षेत्राधिकारी को घटना से अवगत कराना। 03- कर्मियों के सहयोग से रस्से आदि के माध्यम से सुरक्षित करना। 04- स्थानीय थाने के कर्मियों के सहयोग से मौके पर एकत्रित भीड़ को हटाना एवं जानवरों को मौके से हटाया जायेगा। 05- घटनास्थल पर पशु तथा कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित करना। 06- अफवाह फैलाने वाले संगठनों पर रोक लगाया जाये। 07- नगर निगम/नगर पालिका/वन विभाग के	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक	✓		ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी	
									एसआरपी	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
									पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
						पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे			✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे			
						पुलिस महा			✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे			

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		✓ नगर निगम अभिरक्षा में लेने हेतु/ नियन्त्रण हेतु	<p>प्रतिनिधि के पहुंचने तक घायल जानवरों की सुरक्षा करना, जनता को घायल जानवर से दूर रखना एवं घायल जानवर को उकसाने से रोकना।</p> <p>08-नगर निगम/नगर पालिका/वन विभाग के प्रतिनिधि के घटनास्थल पर पहुंचने पर घायल जानवरों को उन्हे सुपुर्द कर घटना सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02 से 08 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p>			
			✓ होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ जंगली जानवर होने की दशा में वन विभाग					
			✓ आर.पी.एफ. कण्ट्रोल	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-02	✓ एनजीओ					
					✓ पशु चिकित्सक					
						जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
25	जानवरों से सम्बन्धित	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत कुत्ते द्वारा काटना/गीदड़/लोमड़ी द्वारा काटना/सांप द्वारा काटना/बन्दर द्वारा कटना व अन्य किसी जानवर द्वारा काटना	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-02	<p>रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)</p> <p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>-----</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>-----</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- स्थिति का सही आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना एवं थानाध्यक्ष तथा क्षेत्राधिकारी को घटना से अवगत कराना।</p> <p>03- कर्मियों के सहयोग से रस्से आदि के माध्यम से सुरक्षित करना।</p> <p>04- स्थानीय थाने के कर्मियों के सहयोग से मौके पर एकत्रित भीड़ को हटाना एवं जानवरों को मौके से हटाया जायेगा।</p> <p>05-घटनास्थल पर पशु तथा कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित करना।</p> <p>06-नगर निगम/नगर पालिका/वन विभाग के प्रतिनिधि के पहुंचने तक घायल जानवरों की सुरक्षा करना, जनता को घायल जानवर से दूर रखना एवं</p>	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.			
			नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)		फोरेंसिक	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी	
							एसआरपी			हां नहीं	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	एसआरपी
							पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे			अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)				पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
				पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		यातायात पुलिस/क्रेन				पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे				
				पुलिस महा						✓	होमकण्ट्रोल रेलवे			

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		✓ नगर निगम अभिरक्षा में लेने हेतु/ नियन्त्रण हेतु	घायल जानवर को उकसाने से रोकना। 07-नगर निगम/नगर पालिका/वन विभाग के प्रतिनिधि के घटनास्थल पर पहुंचने पर घायल जानवरों को उन्हें सुपुर्द कर घटना सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा।			
				✓ होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ जंगली जानवर होने की दशा में वन विभाग	08-प्राथमिक उपचार के उपरान्त घायल को एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की स्थिति में आर.पी.एफ/जीआरपी के वाहन से घायल को अस्पताल रवाना करना।			
				✓ आर.पी.एफ. कण्ट्रोल	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-02	✓ एनजीओ	09-घायल व्यक्ति के परिजनों के विषय में जानकारी प्राप्त कर उन्हें सूचित करना।			
						✓ पशु चिकित्सक	10-सम्बन्धित विभाग के कर्मचारीगण के पहुंचने तक जानवर पर नजर रखना एवं उसके विचरण पर सतर्क दृष्टि रखना व जनता को दूर रखना, यदि भीड़ एकत्रित हो तो उसे हटाना ताकि जानवर भीड़ पर हमला न कर सके एवं जनता द्वारा जानवर को उकसाने से रोकना।			
						जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष	11-यदि जंगली जानवर है तो जनता को बाहर न निकलने के लिए उद्घोषणा करना एवं स्वयं को सुरक्षित रखते हुए उसके विचरण पर सतर्क दृष्टि रखना।			
							<u>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</u> 01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी। 02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02 से 11 तक की कार्यवाही की जायेगी।			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
26	जानवरों की तस्करी	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत कछुआ, प्रतिबन्धित पक्षी एवं वन्य जीव अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित जीवों के अतिरिक्त अन्य पशुओं का विधि विरुद्ध परिवहन करना	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-02	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-02	एम्बुलेंस	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-स्थिति का सही आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना एवं थानाध्यक्ष तथा क्षेत्राधिकारी को घटना से अवगत कराना।</p> <p>03-यदि यात्री द्वारा लाइसेंस धारण नहीं किया गया है, तो विधिक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>04- अफवाह फैलाने वाले संगठनों पर रोक लगाया जाये।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सम्बन्धित जनपदीय थाने को सूचित किया जायेगा।</p> <p>02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02 से 04 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02 से 04 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी.</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.				
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी				
			हां					एसआरपी	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	हां			नहीं	✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			हां																
नहीं	✓																		
					पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे								
					पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे								
					पुलिस महा			✓		✓									

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		✓ नगर निगम अभिरक्षा में लेने हेतु/ नियन्त्रण हेतु	थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:- 01- घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी। 02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02 से 04 तक की कार्यवाही की जायेगी।			
			✓ होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ जंगली जानवर होने की दशा में वन विभाग					
			✓ आर.पी.एफ. कण्ट्रोल	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-02	✓ एनजीओ					
					✓ पशु चिकित्सक					
						✓ जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष				
						✓ पीएसी बल				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं		प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
27	जानवरों की तस्करी	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित जंगली जानवरों की तस्करी, अन्य प्रतिबन्धित जानवरों की तस्करी	✓	हां	✓ उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	एम्बुलेंस	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-जनता को वन्य जीवों से दूर रखना व उन्हें उकसाने से रखना</p> <p>03-वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन्य जीव ले जा रहे अपराधियों को गिरफ्तार कर अपनी अभिरक्षा में रखा जाये।</p> <p>04-अगले जीआरपी थाने को तत्काल सूचित कर ट्रेन को अटेंड किया जाये।</p> <p>05-अगले स्टेशन पर पहुंच कर अभियुक्त व वन्य जीव को सम्बन्धित थाना प्रभारी को सुपुर्द करना।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 05 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01- सम्बन्धित जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-जनता को वन्य जीवों से दूर रखना व उन्हें</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			✓	नहीं	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक	✓		ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी	
			✓			✓	एसआरपी	एसआरपी	अग्निशमन	✓		थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी	
			✓			✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓		पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	
			✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे					
					पुलिस महा						✓	होमकण्ट्रोल रेलवे			

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓ नगर निगम अभिरक्षा में लेने हेतु/ नियन्त्रण हेतु	उकसाने से रखना। 03-वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन्य जीव ले जा रहे अपराधियों को गिरफ्तार कर अपनी अभिरक्षा में रखा जाये। <u>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</u> 01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी। 02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02 से /05 तक की कार्यवाही की जायेगी।			
				✓ होमकण्ट्रोल रेलवे	✓ जंगली जानवर होने की दशा में वन विभाग				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
28	बम विस्फोट/बम की धमकी	ट्रेन/सर्कुलैटिंग एरिया/स्टेशन/आस-पास भवन में बम विस्फोट	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-पीड़ितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना।</p> <p>03-घायलों को प्राथमिक उपचार देना।</p> <p>04-सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं की मदद लेना।</p> <p>05-जीआरपी/जनपदीय पुलिस कर्मियों के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाना।</p> <p>06-एम्बुलेंस आने में देरी होने पर जीआरपी/सिविल पुलिस अपने वाहनों से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाना।</p> <p>07-मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये।</p> <p>08-विस्फोट स्थल पर साक्ष्य काफी दूरी तक फैला होता है, अतः ऐसे क्षेत्र को चिन्हित कर कार्डिन करना एवं शव, घायलों एवं मृतकों के सामान एवं घटनास्थल को सुरक्षित करना।</p> <p>09-जीआरपी/स्थानीय पुलिस थाना प्रभारी द्वारा मौके का आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधनों हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना।</p> <p>10-घटनास्थल, शव, घायलों एवं उनके सामान की वीडियोग्राफी करना।</p> <p>11-बाधित रुट को खाली कराने की कार्यवाही की जाये, जिससे ट्रेनों का संचालन सामान्य हो तथा अन्य यात्रियों को गंतव्य स्थान पर रवाना किया जा सके।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.							
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी						
			✓		✓		✓	एसआरपी		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td></td> </tr> </table>	हां	✓	नहीं		✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			हां	✓																
नहीं																				
✓		✓		✓	पुलिस उपमहा निरीक्षकरेलवे	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे								
✓		✓		✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	PRV की आवश्यकता - 05	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे						

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	4W PRV	✓ सिविल डिफेंस	सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 10 तक की कार्यवाही की जायेगी। सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-			
				✓ होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ डाग स्ववायड / बी.डी. डी. एस. टीम	01-पीडितों को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना। 02- घायलों को प्राथमिक उपचार देना। 03- सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं की मदद लेना। 04- जीआरपी/जनपदीय पुलिस कर्मियों के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाना। 05-एम्बुलेंस आने में देरी होने पर जीआरपी/सिविल पुलिस अपने वाहनों से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाना। 06-मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सुरक्षित किया जाये। 07- विस्फोट स्थल पर साक्ष्य काफी दूरी तक फैला होता है, अतः ऐसे क्षेत्र को चिन्हित कर कार्डिन करना एवं शव, घायलों एवं मृतकों के सामान एवं घटनास्थल को सुरक्षित करना। 08- जीआरपी/स्थानीय पुलिस थाना प्रभारी द्वारा मौके का आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधनों हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना। 09- घटनास्थल, शव, घायलों एवं उनके सामान की वीडियोग्राफी करना। 10-बाधित रुट को खाली कराने की कार्यवाही की जाये, जिससे ट्रेनों का संचालन सामान्य हो तथा अन्य यात्रियों को गंतव्य स्थान पर रवाना किया जा सके।			
				✓ आर.पी.एफ. कण्ट्रोल	उ.नि.(महिला)-02 उ.नि. (पु)-04 मु.आ.-04					
				✓ सीनियर डीएससी	आ. (महिला)-04 आरक्षी (पु)-16					
				✓ सम्बन्धित डीएससी रेलवे						
							डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:- 01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी। 02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-बी के बिन्दु 01 से 10 तक की कार्यवाही की जायेगी।			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
29	बम विस्फोट/बम की धमकी	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत बम होने की सूचना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-02 उ.नि. (पु)-04 मु.आ.-04 आ. (महिला)-04 आरक्षी (पु)-16	उ.नि.(महिला)-02 उ.नि. (पु)-04 मु.आ.-04 आ. (महिला)-04 आरक्षी (पु)-16	✓	एम्बुलेंस	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- 01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा। 02-तत्काल घटनास्थल पर पहुंच कर घटनास्थल की घेराबन्दी करना। 03-घटनास्थल को यात्रियों से खाली कराना व यात्रियों को घटनास्थल से दूर रखना। 04-डाग स्कवायड की सहायता प्राप्त करना। 05-बीडीडीएस टीम की सहायता से सम्पूर्ण ट्रेन की चेकिंग करना एवं बम प्राप्त होने पर डिफ्यूज कराना। 06-एम्बुलेंस को सूचित किया जायेगा। 07-जीआरपी/स्थानीय पुलिस थाना प्रभारी द्वारा मौके का आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधनों हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना। बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- 01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 07 की कार्यवाही की जायेगी। सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-तत्काल घटनास्थल पर पहुंच कर घटनास्थल की घेराबन्दी करना। 02-घटनास्थल को यात्रियों से खाली कराना व</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.									
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓	फोरेसिक	✓		अग्निशमन	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी								
						✓		एसआरपी	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">हां</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">नहीं</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	हां	✓	नहीं			✓	अग्निशमन	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
			हां	✓																						
			नहीं																							
						✓		पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓		यातायात पुलिस/क्रेन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे						
						✓		पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓		यातायात पुलिस/क्रेन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे						
						✓		पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		✓	सिविल डिफेंस	✓		सिविल डिफेंस	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे						

				✓ होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ डाग स्क्वायड / बी.डी.डी. एस. टीम	यात्रियों को घटनास्थल से दूर रखना। 03- डाग स्क्वायड की सहायता प्राप्त करना। 04- बीडीडीएस टीम की सहायता से सम्पूर्ण ट्रेन की चेकिंग करना एवं बम प्राप्त होने पर डिफ्यूज कराना। 05- एम्बुलेंस को सूचित किया जायेगा। 06- जीआरपी/स्थानीय पुलिस थाना प्रभारी द्वारा मौके का आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधनों हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना। <u>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना. जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</u> 01- घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी। 02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-बी के बिन्दु 01 से 06 तक की कार्यवाही की जायेगी।			
				✓ आर.पी.एफ. कण्ट्रोल	उ.नि.(महिला)-02 उ.नि. (पु)-04 मु.आ.-04					
				✓ सीनियर डीएससी	आ. (महिला)-04 आरक्षी (पु)-16					
				✓ सम्बन्धित डीएससी रेलवे						

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
30	बाल अपराध (शोषण एवं अपराध)	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत दुर्व्यवहार (बाहरी व्यक्तियों द्वारा)	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-बच्चे एवं घटनास्थल की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा।</p> <p>03-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालक के साथ नम्र व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना।</p> <p>04-बच्चे को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा संभव सूचित करने का प्रयास करना।</p> <p>05-यदि बच्चा बालिका है तो स्थानीय थाने से महिला आरक्षी को बुलाने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना।</p> <p>06-पीडित बच्चे को बाल संरक्षण अधिकारी को सुपुर्द करना।</p> <p>07-एनजीओ को सूचित करना।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 07 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.									
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी								
			✓	हां	नहीं	✓	✓	एसआरपी		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	✓	अग्निशमन	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			हां																			
नहीं	✓																					
✓	नहीं	✓	✓	✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निरीक्षक रेलवे										
✓	नहीं	✓	✓	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे		✓	बाल संरक्षण अधिकारी	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे										

				✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	एनजीओ	<p>01-बच्चे व घटनास्थल की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा।</p> <p>02-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालक के साथ नम्र व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना।</p> <p>03- बच्चे को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा संभव सूचित करने का प्रयास करना।</p> <p>04-यदि बच्चा बालिका है तो स्थानीय थाने से महिला आरक्षी को बुलाने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना।</p> <p>05-पीड़ित बच्चे को बाल संरक्षण अधिकारी को सुपुर्द करना।</p> <p>06-एनजीओ को सूचित करना।</p> <p><u>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</u></p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 01 से 06 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p>			
					उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02							

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
31	बाल अपराध (शोषण एवं अपराध)	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत बाल मजदूरी	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">✓</td> </tr> </table> <p>जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)</p>	हां		नहीं	✓	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			हां														
			नहीं	✓													
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	फोरेसिक	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी	✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी						
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा। 02-सम्बन्धित स्कोर्टकर्मी घटनास्थल पर पहुंच कर बालक/बालिकाओं एवं अभियुक्तों को अपने कब्जे में लेगा। 03-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालक के साथ नम्र व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना। 04-बच्चे को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा संभव सूचित करने का प्रयास करना। 05-यदि बच्चा बालिका है तो स्थानीय थाने से महिला आरक्षी को बुलाने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना। 06-पीड़ित बच्चे को बाल संरक्षण अधिकारी को सुपुर्द करना। 07-एनजीओ को सूचित करना।	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे				
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 07 की कार्यवाही की जायेगी। सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निरीक्षक रेलवे						
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	बाल संरक्षण अधिकारी	✓	01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 07 की कार्यवाही की जायेगी। सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निरीक्षक रेलवे						

				होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ एनजीओ	<p>01- सम्बन्धित स्कोर्टकर्मी घटनास्थल पर पहुंच कर बालक/बालिकाओं एवं अभियुक्तों को अपने कब्जे में लेगा।</p> <p>02-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालक के साथ नम्र व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना।</p> <p>03-बच्चे को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा संभव सूचित करने का प्रयास करना।</p> <p>04-यदि बच्चा बालिका है तो स्थानीय थाने से महिला आरक्षी को बुलाने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना।</p> <p>05-पीड़ित बच्चे को बाल संरक्षण अधिकारी को सुपुर्द करना।</p> <p>06-एनजीओ को सूचित करना।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 01 से 06 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p>			
				उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02						

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
32	बाल अपराध (शोषण एवं अपराध)	बाल विवाह के लिए ट्रेन द्वारा जबरन ले जाने पर	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02- सम्बन्धित स्कोर्टकर्मों घटनास्थल पर पहुंच कर बालक/बालिकाओं एवं अभियुक्तों को अपने कब्जे में लेगा।</p> <p>03- जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालक के साथ नम्र व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना।</p> <p>04- बच्चे को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा संभव सूचित करने का प्रयास करना।</p> <p>05- यदि बच्चा बालिका है तो स्थानीय थाने से महिला आरक्षी को बुलाने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना।</p> <p>06- पीडित बच्चे को बाल संरक्षण अधिकारी को सुपुर्द करना।</p> <p>07- एनजीओ को सूचित करना।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01- सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 07 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
						हां	नहीं	✓			✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे			
											✓	पुलिस महा निरीक्षक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे			
											✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे			

				✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	एनजीओ	<p>01-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालक के साथ नम्र व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना।</p> <p>02-बच्चे को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा संभव सूचित करने का प्रयास करना।</p> <p>03-पीड़ित बच्चे को बाल संरक्षण अधिकारी को सुपुर्द करना।</p> <p>04-एनजीओ को सूचित करना।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 02 से 07 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p>			
					उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02							

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाइर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
33	बाल अपराध (शोषण एवं अपराध)	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत बाल भिक्षाटन	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	3.नि.(महिला)-01 3.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	एम्बुलेंस	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना. जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-सम्बन्धित स्कोर्टकर्मी घटनास्थल पर पहुंच कर बालक/बालिकाओं एवं अभियुक्तों को अपने कब्जे में लेगा।</p> <p>03-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालक के साथ नम्र व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना।</p> <p>04-जीआरपी थाने द्वारा बालकों एवं घटनास्थल की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा।</p> <p>05-बच्चे को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा संभव सूचित करने का प्रयास करना।</p> <p>06-यदि बच्चा बालिका है तो स्थानीय थाने से महिला आरक्षी को बुलाने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना।</p> <p>07-बच्चों से भिक्षाटन कराने वाले गिरोह में से कम से कम एक अभियुक्त बच्चों के आस पास मौजूद रहता है, उसके विषय में जानकारी कर उसे हिरासत में लेना।</p> <p>08-यदि बच्चा बीमार हो गया, विकलांग बनाया गया हो तो ऐसी स्थिति में बच्चे को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना तथा मेडिकल परीक्षण कराना।</p> <p>09- पीड़ित बच्चे को बाल संरक्षण अधिकारी के सुपुर्द करना।</p> <p>10-एनजीओ को सूचित करना।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना. जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 10 की कार्यवाही की जायेगी।</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.			
				नहीं		सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक	✓		ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी				
							✓	एसआरपी	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां			नहीं	✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			हां																
नहीं	✓																		
				✓	पुलिसउपमहानिरीक्षक रेलवे	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे							
					पुलिसमहा निरीक्षकरेलवे		यातायात पुलिस/क्रेन						पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे						
					पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		बाल संरक्षण अधिकारी						होमकण्ट्रोल रेलवे						

				✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	एनजीओ	<p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालक के साथ नम्र व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना।</p> <p>02- जीआरपी थाने द्वारा बालकों एवं घटनास्थल की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा।</p> <p>03-बच्चे को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा संभव सूचित करने का प्रयास करना।</p> <p>04- यदि बच्चा बालिका है तो स्थानीय थाने से महिला आरक्षी को बुलाने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना।</p> <p>05- बच्चों से भिक्षाटन कराने वाले गिरोह में से कम से कम एक अभियुक्त बच्चों के आस पास मौजूद रहता है, उसके विषय में जानकारी कर उसे हिरासत में लेना।</p> <p>06- यदि बच्चा बीमार हो गया, विकलांग बनाया गया हो तो ऐसी स्थिति में बच्चे को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना तथा मेडिकल परीक्षण कराना।</p> <p>07- पीड़ित बच्चे को बाल संरक्षण अधिकारी के सुपुर्द करना।</p> <p>08-एनजीओ को सूचित करना।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-ए के बिन्दु 01 से 10 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p>			
					उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02							

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
34	बाल अपराध (शोषण एवं अपराध)	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत बाल तस्करी	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा।</p> <p>02-सम्बन्धित स्कोर्टकर्मि घटनास्थल पर पहुंच कर बालक/बालिकाओं एवं अभियुक्तों को अपने कब्जे में लेगा।</p> <p>03-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालक के साथ नम्र व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना।</p> <p>04-जीआरपी थाने द्वारा बालकों एवं घटनास्थल की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा।</p> <p>05-बच्चे को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा संभव सूचित करने का प्रयास करना।</p> <p>06-यदि बच्चा बालिका है तो स्थानीय थाने से महिला आरक्षी को बुलाने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना।</p> <p>07-यदि बच्चा बीमार हो गया, विकलांग बनाया गया हो तो ऐसी स्थिति में बच्चे को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना तथा मेडिकल परीक्षण कराना।</p> <p>08- पीड़ित बच्चे को बाल संरक्षण अधिकारी के सुपुर्द करना।</p> <p>09-एनजीओ को सूचित करना।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-03 से 09 की कार्यवाही की जायेगी।</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जनपदीय थाना/जी.आर.पी. थाना		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी/जनपदीय		
			✓	हां	✓	उच्च	✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसउपमहा निरीक्षकरेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
											✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे			
											✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे			
											✓	होमकण्ट्रोल रेलवे			

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		✓ बाल संरक्षण अधिकारी	सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालक के साथ नम्र व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना। 02- जीआरपी थाने द्वारा बालकों एवं घटनास्थल की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा। 03-बच्चे को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा संभव सूचित करने का प्रयास करना। 04- यदि बच्चा बालिका है तो स्थानीय थाने से महिला आरक्षी को बुलाने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना। 05- यदि बच्चा बीमार हो गया, विकलांग बनाया गया हो तो ऐसी स्थिति में बच्चे को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना तथा मेडिकल परीक्षण कराना। 06- पीड़ित बच्चे को बाल संरक्षण अधिकारी के सुपुर्द करना। 07-एनजीओ को सूचित करना।			
				✓ होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ एनजीओ				
					उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02					
							डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:- 01- घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी। 02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02 से 07 तक की कार्यवाही की जायेगी।			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
35	बाल अपराध (यौन शोषण)	बालात्कार का प्रयास	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	एम्बुलेंस	ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- 01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा। 02-सम्बन्धित स्कोर्टकर्मी घटनास्थल पर पहुंच कर बालक/बालिकाओं एवं अभियुक्तों को अपने कब्जे में लेगा। 03-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालक के साथ नम व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना। 04-जीआरपी थाने द्वारा बालिका, अभियुक्त, घटनास्थल एवं अन्य कृत्य की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा तथा अभियुक्त को हिरासत में लिया जायेगा। 05-बच्चे को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा संभव सूचित करने का प्रयास करना। यदि बालिका घायल है तो उचित अभिरक्षा में अस्पताल भेजाना, इलाज व मेडिकल परीक्षण कराना व थाने पर विधिक कार्यवाही करना। 06-महिला उ.नि./महिला आरक्षी को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष एवं स्थानीय थाने को सूचित करना। 07-स्थानीय थाने के प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी को घटना से संज्ञानित किया जायेगा। 08- पीड़ित बच्चे को बाल संरक्षण अधिकारी के सुपुर्द करना। 09-एनजीओ को सूचित करना। बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.			
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक	✓		ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी				
			✓		✓		✓	एसआरपी	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px;">✓</td> </tr> </table>	हां			नहीं	✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			हां																
नहीं	✓																		
✓		✓		✓	पुलिसउपमहा निरीक्षकरेलवे	जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे								
✓		✓		✓	पुलिसमहा निरीक्षकरेलवे		यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे								
✓		✓		✓	पुलिस महा			✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे								

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		✓ बाल संरक्षण अधिकारी	<p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-03 से 09 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालिका को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालिका के साथ नम्र व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना।</p> <p>02--जीआरपी थाने द्वारा बालिका, अभियुक्त, घटनास्थल एवं अन्य कृत्य की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा तथा अभियुक्त को हिरासत में लिया जायेगा।</p> <p>03- बच्चे को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा संभव सूचित करने का प्रयास करना।</p> <p>04-महिला उ.नि./महिला आरक्षी को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष एवं स्थानीय थाने को सूचित करना।</p> <p>05-स्थानीय थाने के प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी को घटना से संजानित किया जायेगा।</p> <p>06- पीड़ित बच्चे को बाल संरक्षण अधिकारी के सुपुर्द करना।</p> <p>07-एनजीओ को सूचित करना।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02 से 07 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p>				
				✓ होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ एनजीओ					
					उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02						

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाइडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
36	बाल अपराध (यौन शोषण)	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत बलात्कार	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">हां</td> <td style="text-align: center;">नहीं</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">नहीं</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table> <p>जनपदीय पुलिस की आवश्यकता (यदि घटना रे.स्टे. परिसर की है जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है)</p>	हां	नहीं	नहीं	✓	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			हां	नहीं													
			नहीं	✓													
			✓	नहीं	✓	समान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी				
			✓				✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी		
✓				✓	पुलिसउपहा निरीक्षकरेलवे	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे						
✓				✓	पुलिसमहा निरीक्षकरेलवे	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे						
✓				✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	बाल संरक्षण अधिकारी	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे						

				✓ होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ एनजीओ	जायेगी। सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-जीआरपी थाने द्वारा बालिका, अभियुक्त, घटनास्थल एवं अन्य कृत्य की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा। 02-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालिका को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालिका के साथ नम्र व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना। 03-जीआरपी थाना/स्थानीय थाना द्वारा घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा सीमन लगे कपड़े, प्रयोग किया गया बिस्तर, चादर प्रयुक्त/अप्रयुक्त कण्डोम, शराब की बोतल, गिलास, बीड़ी/सिगरेट के टुकड़ों आदि को यलो टेप में सुरक्षित किया जाना। 04-फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा फिंगर प्रिंट फुट प्रिंट का नमूना एकत्र करना सुनिश्चित करेंगे। 05-बच्चे को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा संभव सूचित करने का प्रयास करना। 06-महिला उ.नि./महिला आरक्षी को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष एवं स्थानीय थाने को सूचित करना। 07-स्थानीय थाने के प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी को घटना से संज्ञानित किया जायेगा। 08-पीड़ित बच्चे को को बाल संरक्षण अधिकारी को सुपुर्द करना। 09--एनजीओ को सूचित करना। डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:- 01-घटना की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी। 02- घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही बिन्दु सं0-सी के बिन्दु 02 से 09 तक की कार्यवाही की जायेगी।			
				उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02						

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
37	बाल अपराध (यौन शोषण)	चलते ट्रेन में बलात्कार का प्रयास	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना की चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं अभियुक्त यदि मौजूद है तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा घटनास्थल को सुरक्षित करेंगे एवं ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा। तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01 से 04 की भांति की जायेगी।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन के सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा महिला उ.नि./महिला आरक्षी के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में प्रयुक्त वाहन के प्रकार, रंग, मेक माडल, रजिस्ट्रेशन नंबर/ट्रेन का नाम व नंबर, कोच सं0- व सीट नंबर तथा पहचान की विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी/जनपद के समस्त थानों द्वारा चेकिंग हेतु जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना। 02-पीड़ित बालिका को सुरक्षा का बोध कराना एवं उसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में लेना, पीड़ित बालिका से उसके परिजनों का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उन्हें सूचित करना। घटना के विषय में पुलिस कर्मियों द्वारा कोई पूछताछ न करना एवं पीड़ित बालिका</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
			✓	हां	✓	उच्च	✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षकरेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
					पुलिस महा निरीक्षकरेलवे		यातायात पुलिस/क्रेन					पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे			
					पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		बाल संरक्षण अधिकारी					होमकण्ट्रीरेलवे			

				होमकण्ट्रोल रेलवे		एनजीओ	<p>यदि घायल है तो उसे एम्बुलेंस में अस्पताल रवाना करना।</p> <p>03-मौके की स्थिति का सही आकलन कर जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम आदि के लिए सूचित करना।</p>		
						आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	<p>04-वाहन/कोच एवं समस्त साक्ष्यों को यलो टेप से सुरक्षित करना एवं वाहन/कोच के जिन स्थानों पर फिंगर प्रिण्ट मिलने की संभावना है, को न स्वयं छूना न किसी अन्य को छूने देना एवं बाल संरक्षण अधिकारी के घटनास्थल पर पहुंचने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही करना एवं वीडियोग्राफी करना।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-01 से 04 की भांति की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा तथा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं जनपदीय थाना/चौकी प्रभारी के घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01 से 04 की भांति की जायेगी।</p>		

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
38	बाल अपराध (यौन शोषण)	चलते ट्रेन में बलात्कार	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना की चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं अभियुक्त यदि मौजूद है तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा घटनास्थल को सुरक्षित करेंगे एवं ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा। तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01 से 04 की भांति की जायेगी।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन के सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा महिला उ.नि./महिला आरक्षी के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में प्रयुक्त वाहन के प्रकार, रंग, मेक माडल, रजिस्ट्रेशन नंबर/ट्रेन का नाम व नंबर, कोच सं0- व सीट नंबर तथा पहचान की विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी/जनपद के समस्त थानों द्वारा चेकिंग तथा बाल संरक्षण अधिकारी को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना। 02-पीड़ित बालिका को सुरक्षा का बोध कराना एवं उसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में लेना, पीड़ित बालिका से उसके परिजनों का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उन्हें सूचित करना। घटना के विषय में</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.					
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		<p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px;">हां</td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px;">नहीं</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
			हां															
			नहीं	✓														
✓	हां	✓	उच्च	✓	एसआरपी	✓	एसआरपी	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे									
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसमहा निरीक्षकरेलवे	✓	पुलिसमहा निरीक्षकरेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे									
✓	हां	✓	उच्च	✓	पुलिसमहा निरीक्षकरेलवे	✓	यातायात पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे							
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	✓	बाल संरक्षण अधिकारी	✓	होमकण्ट्रोलरेलवे	✓	होमकण्ट्रोलरेलवे							

				होमकण्ट्रोल रेलवे	<input checked="" type="checkbox"/> महिला सम्मान प्रकोष्ठ <input checked="" type="checkbox"/> रेलवे नियन्त्रण कक्ष	<p>पुलिस कर्मियों द्वारा कोई पूछताछ न करना एवं पीड़ित बालिका यदि घायल है तो उसे एम्बुलेंस में अस्पताल रवाना करना, मेडिकल परीक्षण कराना, फिर पीड़िता को महिला आरक्षी, महिला उ.नि. द्वारा थाने लाकर विधिक कार्यवाही करना।</p> <p>03-मौके की स्थिति का सही आकलन कर जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम आदि के लिए सूचित करना।</p> <p>04-वाहन/कोच एवं सीमन लगे कपड़े, प्रयोग किया गया बिस्तर, चादर, प्रयुक्त/अप्रयुक्त कण्डोम, शराब की बोतल, गिलास, बीड़ी/सिगरेट के टुकड़े आदि समस्त साक्ष्यों को यलो टेप से सुरक्षित करना। वीडियोग्राफी करना एवं वाहन/कोच के जिन स्थानों पर फिंगर प्रिण्ट मिलने की संभावना है, को न स्वयं छूना न किसी अन्य को छूने देना एवं बाल संरक्षण अधिकारी के घटनास्थल पर पहुंचने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही करना।</p> <p><u>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</u></p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-01 से 04 की भांति की जायेगी।</p> <p><u>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</u></p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा तथा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं जनपदीय थाना/चौकी प्रभारी के घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01 से 04 की भांति की जायेगी।</p>			
--	--	--	--	-------------------	---	--	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
41	बाल अपराध (यौन शोषण)	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत यातायात के सार्वजनिक साधनों में छेड़छाड़ जैसे टेम्पो/सिटी बस आदि	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>ए-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना की चलित एफ.आई.आर. कित्ता की जायेगी एवं अभियुक्त यदि मौजूद है तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा। तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01व02 की भांति की जायेगी।</p> <p>बी-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन के सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा महिला उ.नि./महिला आरक्षी के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में प्रयुक्त वाहन के प्रकार, रंग, मेक माडल, रजिस्ट्रेशन नंबर/ट्रेन का नाम व नंबर, कोच सं0- व सीट नंबर तथा पहचान की विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी/जनपद के समस्त थानों द्वारा चेकिंग तथा बाल संरक्षण अधिकारी को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना। 02- घटना के विषय में पुरुष कर्मियों द्वारा कोई पूछताछ न करना एवं पीड़ित बालिका यदि घायल है तो उसे एम्बुलेंस में अस्पताल रवाना करना तथा सही स्थिति का आकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल एवं बाल संरक्षण</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.						
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓		सी.ओ. जी.आर.पी.	<p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
			हां															
			नहीं	✓														
✓	हां	✓	सामान्य	✓	एसआरपी	✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी							
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसउपहा निरीक्षकरेलवे	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाताया त पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे							
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसमहा निरीक्षकरेलवे	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाताया त पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे							
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाताया त पुलिस/क्रेन	✓	पुलिस महानिदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक							
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाताया त पुलिस/क्रेन	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे							

				महानिदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक	पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।	<input checked="" type="checkbox"/> बाल संरक्षण अधिकारी <input checked="" type="checkbox"/> आरपीए फ नियन्त्रण कक्ष <input checked="" type="checkbox"/> रेलवे नियन्त्रण कक्ष	<p>अधिकारी भेजने हेतु जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष एवं क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना। स्थानीय थाने की महिला उ.नि./महिला आरक्षी के साथ पीड़ित बालिका/अभियुक्त को थाने पर लेजाकर प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही करना तथा वाहन/कोच की वीडियोग्राफी करना।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-01व02 की भांति की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा तथा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं जनपदीय थाना/चौकी प्रभारी के घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02 की भांति की जायेगी।</p>				
				होमकण्ट्रोल रेलवे							

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
42	बाल अपराध (शौन शोषण)	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत बालक के साथ अप्राकृति मैथुन	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी / जी.आर.पी.	<p>A-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना की चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं अभियुक्त यदि मौजूद है तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा। तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02/03 की भांति की जायेगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन के सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा मौके पर ही पीड़ित बालक को सुरक्षा का एहसास दिलाना, पीड़ित बालक से उसके परिजनो का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उन्हें सूचित करना एवं पीड़ित को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना व पीड़ित का मेडिकल कराना तत्पश्चात पीड़ित को थाने लाकर प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही करना। 02-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी के नेतृत्व में अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा सीमन लगे कपड़े तथा प्रयोग किया बिस्तर, चादर, शराब की बोतल, गिलास, बीड़ी/सिगरेट के टुकड़े तथा उन स्थानों को जहां फिंगर प्रिण्ट, फुट प्रिंट मिलने की संभावना हो तो यलो टेप से सुरक्षित किया जाना एवं फोरेंसिक टीम/बाल संरक्षण अधिकारी को मौके पर बुलाने तथा स्थिति का सही आकलन कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को सूचित</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी.		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
			✓	हां	✓	उच्च	✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति	✓	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
					पुलिस महा निरीक्षक रेलवे		यातायात पुलिस/क्रेन				✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे			
					पुलिस महा निरीक्षक रेलवे		बाल संरक्षण अधिकारी				✓	पुलिस महानिदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक			
					पुलिस महानिदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक						✓	होमकण्ट्रोल रेलवे			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
43	महिला यौन उत्पीड़न	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत किसी भवन या परिसर में बलात्कार का प्रयास	✓	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जी.आर.पी. <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जी.आर.पी. <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input checked="" type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input checked="" type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं यदि घटना जनपदीय पुलिस से सम्बन्धित है तो जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को सूचित किया जायेगा तथा यदि कार्यवाही राजकीय रेलवे पुलिस से अपेक्षित होगी तो निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा महिला उ.नि./महिला आरक्षी के साथ मौके पर पहुंच कर पीड़ित सुरक्षा का बोध कराना, पीड़िता से उसके परिजनो का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उन्हे सूचित करना। यदि अभियुक्तगण मौजूद हों तो हिरासत में लेना। घटना के विषय में पुरुष कर्मियों द्वारा कोई पूछताछ न करना एवं यदि पीड़िता घायल है तो उसे एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना। 02-मौके की स्थिति का सही आकलन कर जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल आदि के लिए सूचित करना तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को घटना से संज्ञानित करना एवं वीडियोग्राफी करना तथा प्रकरण में विधिक कार्यवाही करना।	<input type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> निकटतम जनपदीय थाना/चौकी के प्रतिनिधि को हस्तांतरित	<input checked="" type="checkbox"/> थानाप्रभारी जी.आर.पी. <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महानिदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक होमकण्ट्रोल रेलवे
			नहीं	✓	सामान्य	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महानिदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक होम कण्ट्रोल रेलवे	नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता, वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।	<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं
हां											
नहीं	✓										

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
45	महिला यौन उत्पीड़न	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत चलने वाले वाहन में बलात्कार का प्रयास	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>A-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना की चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं आरोपी यदि मौजूद है तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा घटनास्थल को सुरक्षित करेंगे एवं ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02/03/04 की भांति की जायेगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन के सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-</p> <p>01-स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा महिला उ.नि/महिला आरक्षी के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में प्रयुक्त वाहन के प्रकार, रंग मेक माडल, रजिस्ट्रेशन नंबर/ट्रेन का नाम व नंबर, कोच सं0- व सीट नंबर तथा पहचान के विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी/जनपद के थानों द्वारा जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी को सूचित करना।</p> <p>02-पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराना एवं उसे अपने सुरक्षित अभिरक्षा में लेना। पीड़िता वाहन/कोच में थाना/चौकी प्रभारी द्वारा घटनास्थल पीड़िता वाहन, अभियुक्त एवं अन्य कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
			✓		✓		✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			✓		✓		✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
					पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे							पुलिस महानिदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक			
					पुलिस महा							होमकण्ट्रोल रेलवे			

हां	नहीं	✓
-----	------	---

नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता,

				निदेशक /अपरपुलिस महानिदेशक रेलवे	वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।	✓ आरपीए फ नियन्त्रण कक्ष	करना। यदि अभियुक्त मौके पर है तो उसे हिरासत में लेना। घटना के विषय में पुरुष कर्मियों द्वारा कोई पूछताछ न करना एवं पीड़िता यदि घायल है तो एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना। 03-मौके की स्थिति का सही आकलन कर जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल, फोरेंसिक टीम आदि के लिए सूचित करना।			
				होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ रेलवे नियन्त्रण कक्ष	04-वाहन आदि समस्त साक्ष्यों को यलो टेप से सुरक्षित करना। वाहन/कोच के जिन स्थानों पर फिंगर प्रिण्ट मिलने की संभावना है, को न स्वयं को छूना और न किसी अन्य को न छूने देना एवं प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही करना। सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-01/02/03/04 की भांति की जायेगी। डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-			
							01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा तथा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं जनपदीय थाना/चौकी प्रभारी के घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01 से 04 की भांति कार्यवाही की जायेगी।			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स.	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
46	महिला यौन उत्पीड़न	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत चलते वाहन में बलात्कार	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>A-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना की चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं आरोपी यदि मौजूद है तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा घटनास्थल को सुरक्षित करेंगे एवं ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02/03/04 की भांति की जायेगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन के सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा महिला उ.नि/महिला आरक्षी के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में प्रयुक्त वाहन के प्रकार, रंग मेक माडल, रजिस्ट्रेशन नंबर/ट्रेन का नाम व नंबर, कोच सं0- व सीट नंबर तथा पहचान के विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी/जनपद के थानों द्वारा जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी को सूचित करना। 02-पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराना एवं उसे अपने सुरक्षित अभिरक्षा में लेना। पीड़िता बालिका से उसके परिजन का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उन्हें सूचित करना यदि अभियुक्त मौके पर है तो उसे हिरासत में लेना। घटना के विषय में पुरुष कर्मियों द्वारा</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
			✓	हां	✓	उच्च	✓	एसआरपी		✓	अग्नि शमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षकरेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
✓	हां	✓	उच्च	✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	✓	महिला सम्मान प्रकोष्ठ	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे				
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे				

हां	✓
नहीं	✓

नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता, वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11													
47	महिला यौन उत्पीड़न	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत किसी भवन या परिसर में छेड़छाड़	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-04	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-04	एम्बुलेंस	<p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा यदि घटना जनपदीय पुलिस से सम्बन्धित है तो जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को सूचित किया जायेगा तथा यदि कार्यवाही राजकीय रेलवे पुलिस से अपेक्षित होगी तो निम्नानुसार तत्काल कार्यवाही की जायेगी:-</p> <p>01-स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा महिला उ.नि/महिला आरक्षी के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर पीड़िता को अपने सुरक्षित अभिरक्षा में लेना एवं उसे सुरक्षा का बोध कराना। पीड़िता से उसके परिजनों का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उन्हें सूचित करना एवं यदि अभियुक्त मौके पर है तो उसे हिरासत में लेना। घटना के विषय में पुरुष कर्मियों द्वारा कोई पुंछताछ न करना एवं पीड़िता यदि घायल है तो एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना एवं मौके की सही स्थिति का आकलन कर आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल हेतु जीआरपी नियन्त्रण कक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को सूचित करना तथा वीडियोग्राफी कराना एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही करना।</p>	✓	हां	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓	फोरेंसिक	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓	अग्निशमन		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी								
					✓	एसआरपी	✓	एसआरपी	नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता, वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।	✓		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी							
					✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता, वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।	✓		आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे							
		✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-0 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-0	✓	रेलवे नियन्त्रण	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे											

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
48	महिला यौन उत्पीड़न	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर छेड़छाड़	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-1 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-04	एम्बुलेंस	घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा यदि घटना जनपदीय पुलिस से सम्बन्धित है तो जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को सूचित किया जायेगा तथा यदि कार्यवाही राजकीय रेलवे पुलिस से अपेक्षित होगी तो निम्नानुसार तत्काल कार्यवाही की जायेगी:- 01- स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा महिला उ.नि/महिला आरक्षी के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर पीड़िता को अपने सुरक्षित अभिरक्षा में लेना एवं उसे सुरक्षा का बोध कराना। पीड़िता से उसके परिजनों का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उन्हें सूचित करना एवं यदि अभियुक्त मौके पर है तो उसे हिरासत में लेना। घटना के विषय में पुरुष कर्मियों द्वारा कोई पुंछताछ न करना एवं पीड़िता यदि घायल है तो एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना एवं मौके की सही स्थिति का आकलन कर आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल हेतु जीआरपी नियन्त्रण कक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को सूचित करना तथा वीडियोग्राफी कराना एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही करना।	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
				नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)		फोरेंसिक	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
							✓	एसआरपी	होम कण्ट्रोल रेलवे		अग्निशमन	✓	निकटतम जनपदीय थाना/चौकी के प्रतिनिधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
								पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	होम कण्ट्रोल रेलवे		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	एसआरपी
								पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	होम कण्ट्रोल रेलवे		महिला सम्मान प्रकोष्ठ	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	एसआरपी
								पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशकरेलवे	होम कण्ट्रोल रेलवे		आर.पी.एफ. नियन्त्रण कक्ष	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	एसआरपी
								होम कण्ट्रोल रेलवे	होम कण्ट्रोल रेलवे		रेलवे नियन्त्रण कक्ष	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	एसआरपी
								होम कण्ट्रोल रेलवे	होम कण्ट्रोल रेलवे		रेलवे नियन्त्रण कक्ष	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	एसआरपी
								होम कण्ट्रोल रेलवे	होम कण्ट्रोल रेलवे		रेलवे नियन्त्रण कक्ष	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	एसआरपी
								होम कण्ट्रोल रेलवे	होम कण्ट्रोल रेलवे		रेलवे नियन्त्रण कक्ष	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	एसआरपी

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स.	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
49	महिला यौन उत्पीड़न	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत यातायात के सार्वजनिक वाहनों में छेड़छाड़	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-04	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-04	एम्बुलेंस	<p>A-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना की चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं आरोपी यदि मौजूद है तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा घटनास्थल को सुरक्षित करेंगे एवं ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02/03 की भांति की जायेगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन के सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-</p> <p>01-स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा महिला उ.नि/महिला आरक्षी के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में प्रयुक्त वाहन के प्रकार, रंग मेक माडल, रजिस्ट्रेशन नंबर/ट्रेन का नाम व नंबर, कोच सं0- व सीट नंबर तथा पहचान के विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी/जनपद के थानों द्वारा चेकिंग हेतु जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी को सूचित करना।</p> <p>02-वाहन के बरामद होने की दशा में थाना/चौकी प्रभारी द्वारा घटनास्थल, पीड़िता, वाहन अभियक्त एवं अन्य कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित करना।</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	
			नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक	✓		ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
					✓	एसआरपी	हां		नहीं	✓		अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
						पुलिसउपमहा निरीक्षकरेलवे	नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता, वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
			पुलिसमहा निरीक्षकरेलवे		✓	महिला सम्मान प्रकोष्ठ	✓	महिला सम्मान प्रकोष्ठ	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे				
			पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	✓	आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
50	महिला यौन उत्पीड़न	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत वेश्यावृत्ति/देह व्यापार	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-04	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-04	एम्बुलेंस	<p>A-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना की चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं आरोपी यदि मौजूद है तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02/03 की भांति की जायेगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन के सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारी महिला उ.नि./महिला आरक्षी के सहयोग से मौके पर पहुंच कर भवन को कार्डन करना, यदि घटना से सम्बन्धित कोई व्यक्ति घटनास्थल से पलायन का प्रयास करता है, तो उसे हिरासत में लेना। 02- मौके की सही स्थिति का आकलन कर</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.			
			✓	नहीं	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक	✓		ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी				
						✓	एसआरपी	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	हां			नहीं	✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			हां															
नहीं	✓																	
			✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता, वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे							
			✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		✓	जिलाधिका री नियन्त्रण कक्ष	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे							
			✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	✓		✓								

				होमकण्ट्रोल रेलवे		रेलवेनियन्त्रण कक्ष	<p>जानकारी कर जीआरपी/जनपद के थानों द्वारा चेकिंग हेतु जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p> <p>03-ब्रामदगी की दशा में स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा अन्य पुलिस कर्मियों के सहयोग से अपहृता को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में लेना एवं अपहरणकर्ताओं तथा वाहन को अपने हिरासत में लेना। अपहृता को ढांडस बंधाना एवं सुरक्षा का बोध कराना।</p> <p>04-स्थानीय थाने का थाना प्रभारी द्वारा अपहृता, अपहरणकर्ता एवं घटना में प्रयुक्त वाहन को थाने ले जाकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करना।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-01/02/03/04 की भांति की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा तथा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं जनपदीय थाना/चौकी प्रभारी के घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02/03/04 की भांति की जायेगी।</p> <p>यदि अपहरणकर्ता चलती ट्रेन में है, की सूचना प्राप्त होने पर:-</p> <p>A-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:-</p> <p>01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि ट्रेन को तत्काल सर्च करेंगे। यदि सर्च के दौरान अपहरणकर्ताओं के मिलने पर हिरासत में लेंगे तथा पीड़िता को सुरक्षा का बोध करायेंगे व अगले आने वाले रेलवे स्टेशन से सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा।</p>		
--	--	--	--	-------------------	--	---------------------	---	--	--

				<p>02-यदि ट्रेन में आर.पी.एफ. का स्कोर्ट चल रहा है तो तत्काल सूचना आर.पी.एफ. कण्ट्रोल को दी जायेगी तथा चल रहा आर.पी.एफ. स्कोर्ट चलित एफ.आई.आर. किता करने के सिवाय समस्त कार्यवाही बिन्दु नं0-01 की भांति सम्पादित करेंगे।</p> <p><u>B-चलती ट्रेन की दुर्घटना. जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</u></p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन के सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही मय महिला उ.नि./महिला आरक्षी एवं अन्य पुलिस कर्मियों के साथ ट्रेन को स्टेशन पर रुकवा कर विधिवत चेक किया जायेगा तथा अपहरण कर्ताओं के मिलने पर हिरासत में लेकर पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।</p>		
--	--	--	--	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
52	महिला उत्पीड़न	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत गाली देना/अपमानित करना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>A-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना में चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं अभियुक्त यदि मौजूद है तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02/03 की भांति की जायेगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले थाने के थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-थाना/चौकी प्रभारी द्वारा महिला उ.नि/महिला आरक्षी के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर यदि संदिग्ध अभियुक्त मौजूद हो तो उसे हिरासत में लेना तथा जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना एवं महिला को सुरक्षा का बोध कराना।</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
			✓	हां	✓	उच्च	✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
					पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		जिलाधिका री नियन्त्रण कक्ष					पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे			
					पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष					होमकण्ट्रोल रेलवे			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स.	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
53	महिला उत्पीड़न	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत एसिड फेंकना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-04</p> <p><u>जनपदीय पुलिस से सहायता</u> (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin: 5px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">✓</td> </tr> </table> <p>नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता, वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।</p>	हां		नहीं	✓	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			हां														
			नहीं	✓													
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी				
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी	✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी						
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षकरेलवे	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे						
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	✓	जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष	✓	जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष	✓	पुलिस महा निरीक्षक/अपर पुलिस महा निरीक्षकरेलवे						
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निरीक्षकरेलवे	✓	आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	✓	आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निरीक्षकरेलवे						

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
54	महिला उत्पीड़न	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत अशोभनीय वार्ता	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>A-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना में चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं अभियुक्त यदि मौजूद है तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्रकरण सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02/03/04 की भांति की जायेगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-</p> <p>01-घटनास्थल पर महिला उ.नि./महिला आरक्षी के साथ पहुंच कर यदि संदिग्ध अभियुक्त मौजूद हो तो उसे हिरासत में लेना तथा जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना एवं महिला से नम्र व्यवहार करते हुए उसे सुरक्षा का बोध कराना।</p> <p>02-थाना/चौकी प्रभारी द्वारा घटनास्थल, पीड़िता, अभियुक्त एवं अन्य कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ.जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
					हां	नहीं	✓		एसआरपी	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	एसआरपी
							नहीं		✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता, वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।	✓	जिलाधिकारी नियन्त्रणकक्ष	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
				नहीं	✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		✓	आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे				
				नहीं	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓		होमकण्ट्रोल रेलवे				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स.	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
55	महिला उत्पीड़न	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत हमला करना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>A-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना में चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं अभियुक्त यदि मौजूद है तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा पीड़िता को FIRST AID प्रदान की जायेगी और टीटीई से सम्पर्क कर यदि ट्रेन में डाक्टर मौजूद है तो पीड़िता को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा ट्रेन के मार्ग में अगले पड़ने वाले सम्बन्धित थाना/चौकी को प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी के सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02/03/04 की भांति की जायेगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी द्वारा महिला उ.नि./महिला आरक्षी के साथ मौके पर पहुंच कर पीड़िता को सुरक्षा का एहसास दिलाना, पीड़िता से उसके परिजनों के मोबाइल नंबर प्राप्त कर उन्हें सूचित करना। घायल को प्रशिक्षण अनुसार प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराकर एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना। मौके की स्थिति का सही आकलन कर जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल हेतु सूचित करना, क्षेत्राधिकारी को</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी	
			✓	हां	✓	उच्च	✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षकरेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
					पुलिस महा निरीक्षकरेलवे		जिलाधिकारी नियन्त्रणकक्ष			पुलिस महा निरीक्षक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	पुलिस महा निदेशकरेलवे			
					पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष			होमकण्ट्रोल रेलवे	होमकण्ट्रोल रेलवे			

				होमकण्ट्रोल रेलवे		<p>✓ रेलवे नियन्त्रण कक्ष</p>	<p>घटना के विषय में अवगत कराना।</p> <p>02-स्थानीय के थाने के थाना प्रभारी द्वारा पुलिस कर्मियों के सहयोग से घटनास्थल व समस्त साक्ष्यों आदि को सुरक्षित किया जायेगा।</p> <p>03- थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पीड़िता, अभियुक्त एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा।</p> <p>04-यदि प्रकरण दो सम्प्रदायों से सम्बन्धित हो तो अतिरिक्त पुलिस बल की मांग के साथ साथ वस्तुस्थिति से जीआरपी नियन्त्रण कक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को अवगत कराते हुए स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखना एवं असामान्य गतिविधि की जानकारी जीआरपी नियन्त्रण कक्ष में देते रहना व तत्काल आवश्यक विधिक कार्यवाही करना।</p> <p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-01 से 04 की भांति की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा तथा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं जनपदीय थाना/चौकी प्रभारी के घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01 से 04 की भांति की जायेगी।</p>			
--	--	--	--	-------------------	--	-------------------------------	---	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स.	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
56	फोन/मोबाइल/सोशल मीडिया/इण्टरनेट सम्बन्धी अपराध	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत महिला को गाली देना, शराब पीकर काल करना, धमकी देना, अश्लील वार्ता करना, अश्लील मैसेज/चित्र पोस्ट करना, एटीएम/बैंक सम्बन्धी जानकारी अवैध रूप से प्राप्त करना	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-04	एम्बुलेंस	<p>A-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़िता को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना में चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं आरोपी यदि मौजूद हैं तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा ट्रेन के मार्ग में अगले पड़ने वाले सम्बन्धित थाना/चौकी को प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी के सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02 की भांति ही की जायेगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-थाना प्रभारी द्वारा महिला उ.नि./महिला आरक्षी के साथ मौके पर पहुंच कर पीड़िता महिला से घटना के विषय में जानकारी की जायेगी। पीड़िता</p>	✓	हां	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
				नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	फोरेंसिक		✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	
								एसआरपी	नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता, वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।		अग्निशमन	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
								पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		नहीं	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
					पुलिस महा	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	हां	साइबर क्राइम सेल	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित		पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे				
					पुलिस महा	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	नहीं	1090	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित		होमकण्ट्रोल रेलवे				

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓ आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	से नम्र व्यवहार करते हुए उसे सुरक्षा का बोध कराया जायेगा। 02-स्थानीय थाने पर ले जाकर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, परन्तु सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य महिला को किसी भी दशा में थाने पर नहीं लाया जायेगा। ऐसी दशा में किसी पुरुष परिजन या महिला द्वारा प्रदत्त प्र.सूरि. को स्थानीय थाने पर पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। यदि वह अपने किसी परिजन के साथ मर्जी से आना चाहे तो रोका नहीं जायेगा। <u>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</u> घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-01/02 की भांति की जायेगी। <u>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</u> 01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा तथा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं जनपदीय थाना/चौकी प्रभारी के घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02 की भांति की जायेगी।		
				होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ रेलवे नियन्त्रण कक्ष			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
57	फोन/मोबाइल/सोशल मीडिया/इण्टरनेट सम्बन्धी अपराध	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत पुरुष को गाली देना, शराब पीकर काल करना, धमकी देना, अश्लील वार्ता करना, अश्लील मैसेज/चित्र पोस्ट करना, एटीएम/बैंक सम्बन्धी जानकारी अवैध रूप से प्राप्त करना	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>A-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़ित को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना में चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं आरोपी यदि मौजूद हैं तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा ट्रेन के मार्ग में अगले पड़ने वाले सम्बन्धित थाना/चौकी को प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी के सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02 की भांति ही की जायेगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर पीड़ित से विनम्र व्यवहार करते हुए घटना के विषय में जानकारी की</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.			
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓		सी.ओ. जीआरपी	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
			✓	हां	✓	उच्च	✓		एसआरपी	✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓		पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
✓	हां	✓	उच्च	✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	✓	साइबर क्राइम सेल	✓	पुलिस महा निरीक्षक/अपर पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे				
✓	हां	✓	उच्च	✓	पुलिस महा	✓	साइबर क्राइम सेल	✓	पुलिस महा निरीक्षक/अपर पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे				

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓ आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	जायेगी। 02-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल, पीड़ित एवं अन्य कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी। <u>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</u> घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-01/02 की भांति की जायेगी। <u>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</u>			
				होमकण्ट्रोल रेलवे		✓ रेलवे नियन्त्रण कक्ष				
				महिला थाना						
							01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा तथा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं जनपदीय थाना/चौकी प्रभारी के घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01/02 की भांति की जायेगी।			

						✓ रेलवे नियन्त्रण कक्ष	अतिरिक्त पुलिस बल हेतु जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को सूचना देना एवं क्षेत्राधिकारी को घटना से अवगत कराना, मृत्यु की दशा में शव व घटनास्थल को यलो टेप से सुरक्षित करना तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करना। मृत्यु होने की दशा में उच्चाधिकारीगण को घटना के बारे में तत्काल बताना एवं निर्देश प्राप्त करना। निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना।			होमकण्ट्रोल रेलवे
--	--	--	--	--	--	------------------------	---	--	--	-------------------

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
61	विवाद	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत हिजड़ों के मध्य विवाद, हिजड़ों एवं पुरुषों में विवाद, हिजड़ों एवं महिलाओं में विवाद	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-04	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-04	एम्बुलेंस	<p>A-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़ित को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना में चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं आरोपी यदि मौजूद है तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा ट्रेन के मार्ग में अगले पड़ने वाले सम्बन्धित थाना/चौकी को प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी के सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01 से 06 की भांति ही की जायेगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा तथा ट्रेन नंबर, कोच नंबर, बर्थ नंबर एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-घटनास्थल पर पहुंचने पर यदि स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा विवाद का स्तर मामूली पाया जाता है तो कारण का निराकरण करना तथा यथा संभव प्रकरण को मौके पर ही समाप्त करा देना। 02-थाना/चौकी प्रभारी द्वारा यदि विवाद का स्तर अपराध घटित होने तक का पाया जाता है तो दोनो पक्षों को अन्य पुलिस कर्मियों के सहयोग से हिरासत में लेकर स्थानीय</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.				
			नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक	✓		ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी					
							एसआरपी		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px;">✓</td> </tr> </table>	हां			नहीं	✓	अग्निशमन	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			हां																
नहीं	✓																		
				पुलिसउपमहा निरीक्षकरेलवे		नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता, वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे								
				पुलिसमहा निरीक्षकरेलवे			जिलाधिका री नियन्त्रण कक्ष		✓	पुलिस महा निदेशक/ अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे							
				पुलिस महा					✓		✓								

				निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓ आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	थाने पर ले जाकर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करना। 03- यदि विवाद का रूप गंभीर हो तथा मार पीट फायरिंग, धार दार हथियार का उपयोग लाठी डण्डा, आला कुन्द आदि का प्रयोग हुआ हो तो स्थानीय थाने के थाना प्रभारी द्वारा पुलिसकर्मियों के सहयोग से दोनो पक्षों के घायलों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाना। 04- स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा घटनास्थल, घायल, घटना में सम्मिलित व्यक्तियों एवं समस्त कत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा। 05- मौके की स्थिति का सही आकलन कर आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल हेतु जनपद/जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना एवं क्षेत्राधिकारी को घटना से अवगत कराना। यदि घटना में महिला सम्मिलित तो महिला उ.नि./महिला आरक्षी को मौके पर पहुंचने हेतु सूचित करना। 06- स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से मृत्यु की दशा में शव, घटनास्थल एवं साक्ष्यों को यलो टेप से सुरक्षित करना तथा शव, घायलो/मृतकों के सामान आदि को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करना।			
				होमकण्ट्रोल रेलवे	✓ रेलवे नियन्त्रण कक्ष	सही- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-01 से 06 की भांति की जायेगी। डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:- 01- घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा तथा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं जनपदीय थाना/चौकी प्रभारी के घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01से 06 की भांति की जायेगी।			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स.	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाइडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
63	विवाद	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत पैसे के लेन-देन का विवाद	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04	एम्बुलेंस	<p>A-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि पीड़ित को सुरक्षा का बोध कराते हुए घटना में चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी एवं आरोपी यदि मौजूद है तो उसे अपने हिरासत में लेगा तथा ट्रेन के मार्ग में अगले पड़ने वाले सम्बन्धित थाना/चौकी को प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी के सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01 से 05 की भांति ही की जायेगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की दुर्घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा तथा ट्रेन नंबर, कोच नंबर, बर्थ नंबर व अगले स्टोपेज एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-घटनास्थल पर पहुंचने पर यदि स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा पाया जाता है कि विवाद का स्तर गंभीर नहीं है एवं किसी अपराधी का होना नहीं पाया जाता है तो कारण का निराकरण कर दोनों पक्षों की संतुष्टि के उपरान्त प्रकरण को उसी स्तर पर समाप्त कर एटीआर (एक्शन टेकेन रिपोर्ट), जिसमें घटना का विवरण व पक्षों का नाम पता, सम्पर्क नंबर एवं निदान के बारे में अंकित होगा। नियन्त्रण कक्ष को अवगत करा दिया जायेगा। 02-यदि विवाद का स्तर अपराध घटित होने तक का हो तो दोनों पक्षों को अन्य पुलिस कर्मियों के सहयोग से हिरासत में लेकर स्थानीय थाने में ले जाकर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करना। 03-यदि विवाद का रूप गंभीर हो तथा मार पीट फायरिंग, धारदार</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		फोरेंसिक	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी	
					हं	नहीं	✓	एसआरपी		अग्निशमन	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
										पुलिसउपमहा निरीक्षकरेलवे	जिलाधिकारी नियन्त्रणकक्ष	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
						पुलिसमहा निरीक्षकरेलवे	आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे				
						पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.				

				<p>पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.</p>		<p>रेलवे नियन्त्रण कक्ष</p>	<p>हथियार का उपयोग, लाठी डण्डा, आला कुन्द आदि का प्रयोग हुआ हो तो स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा पुलिसकर्मियों के सहयोग से दोनो पक्षों के घायलों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाना। एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की दशा में स्वयं घायलों को अस्पताल पहुंचाना।</p> <p>04-मौके की स्थिति का सही आकलन कर आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल हेतु जनपद/जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना एवं क्षेत्राधिकारी को घटना से अवगत कराना तथा मृत्यु की दशा में शव एवं घटनास्थल को यलो टेप से सुरक्षित करना।</p> <p>05-स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा घटनास्थल, घायल, घटना में सम्मिलित व्यक्तियों एवं कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा तथा मृत्यु की दशा में शव घायल, बरामद बाल श्रमिक एवं अभियुक्त आदि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना।</p>			
				<p>होमकंट्रोल रेलवे</p>			<p>सी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने/चौकी के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-0 से 05 की भांति की जायेगी।</p> <p>डी- रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना, जहां जी.आर.पी. थाना/ चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा तथा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं जनपदीय थाना/चौकी प्रभारी के घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु 01 से 05 की भांति की जायेगी।</p>			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
64	सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत रास्ते का विवाद	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-05	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-05	एम्बुलेंस	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02-विवादित स्थल पर एकत्रित जनसमूह की अनुमानित सं0 व उसकी मनोदशा के साथ ही घटनास्थल की स्थिति व गंभीरता का आकलन करते हुए स्थिति को नियन्त्रित करने हेतु संयमित रूप से समझाने-बुझाने के साथ ही स्थिति की स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना व अतिरिक्त पुलिस बल, वाहन आदि की सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जीआरपी थाना/क्षेत्राधिकारी/उच्चाधिकारीगण के साथ ही स्थानीय जनपदीय पुलिस थाने को भी दी जायेगी।</p> <p>03-शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार पुलिस बल को मौके पर बुलाये जाने के साथ ही विवाद कर रहे व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा में लेना।</p> <p>04-विवादित स्थल अथवा मौके की वीडियोग्राफी करना, जिससे विवाद/हिंसा कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा बाद में उनकी शिनाख्त की कार्यवाही के साथ ही उसे साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सके।</p> <p>05- यदि घटना गंभीर हो तो घायल व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने हेतु एम्बुलेंस को बुलाया जाये। हिंसा में प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र को</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी	
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	हां नहीं		अग्निशमन अधिकारी	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता, वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता	✓		राजस्व अधिकारी	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		✓		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		✓		जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक उ.प्र.
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓			✓	होमकण्ट्रोल	✓	होमकण्ट्रोल

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
65	सम्प्रदायिक दंगा/अपराध/जातिवर्ग संघर्ष	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत धार्मिक स्थल ध्वस्त करना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02-धार्मिक ध्वस्त स्थल पर एकत्रित जनसमूह की अनुमानित सं0 व उसकी मनोदशा के साथ ही घटनास्थल की स्थिति व गंभीरता का आकलन करते हुए स्थिति को नियन्त्रित करने हेतु संयमित रूप से समझाने-बुझाने के साथ ही स्थिति की स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना व अतिरिक्त पुलिस बल, वाहन आदि की सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जीआरपी थाना/क्षेत्राधिकारी/उच्चाधिकारीगण के साथ ही स्थानीय जनपदीय पुलिस थाने को भी सूचना दी जायेगी।</p> <p>03-जीआरपी थाने/स्थानीय थाने के 4W प्रभारी के नेतृत्व में घायलों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक उपचार प्रदान करना एवं एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना। यदि एम्बुलेंस पर्याप्त संख्या में नहीं है तो बचे हुए घायलों को 4W वाहन से अस्पताल पहुंचाना।</p> <p>04-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा अन्य PRV कर्मियों के सहयोग से ध्वस्त धार्मिक स्थल में आग लगने की दशा में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रशिक्षणानुरूप उपयोग कर अग्निशमन उपकरण पहुंचने तक आग पर काबू पाना एवं तोड़ फोड़ को यथासंभव नियन्त्रित करना।</p> <p>05-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा अन्य PRV कर्मियों के सहयोग से ध्वस्त धार्मिक स्थल को खाली कराकर जनता को सुरक्षित स्थान पर भेजना। भीड़ एकत्रित न होने देना, अफवाहों पर नियन्त्रण करना।</p> <p>06-अग्निशमन एवं नगर निगम के सहयोग से मलबे में दबे</p>	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ.जीआरपी		✓	फोरेसिक	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	सीओ जीआरपी		
			✓		✓		✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	एसआरपी		
			✓		✓		✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे		✓	जिलाधिकारी नियन्त्रणकक्ष	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे		
			✓		✓		✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे		
			✓		✓		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		✓		✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		
			✓		✓		✓	पुलिस महानिदेशक		✓		✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महानिदेशक		
			✓		✓		✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓		✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		
			✓		✓		✓			✓		✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓			
			✓		✓		✓			✓		✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र. स.	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
66	सम्प्रदायिक दंगा/अपराध/जातिवर्ग संघर्ष	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत हिन्दू मुस्लिम/अन्य समुदाय/शिया सुन्नी/जातीय संघर्ष	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02-घटनास्थल पर एकत्रित जनसमूह की अनुमानित सं० व उसकी मनोदशा के साथ ही घटनास्थल की स्थिति व गंभीरता का आकलन करते हुए स्थिति को नियन्त्रित करने हेतु संयमित रूप से दोनों समुदायों के मुख्य एवं प्रभावित व्यक्तियों को समझाने-बुझाने के साथ ही स्थिति की स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना जीआरपी थाना/ क्षेत्राधिकारी/उच्चाधिकारीगण के साथ ही स्थानीय जनपदीय पुलिस थाने को भी सूचना दी जायेगी।</p> <p>03-अतिरिक्त पुलिस बल, वाहन एम्बुलेंस आदि की सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जीआरपी थाना/क्षेत्राधिकारी/उच्चाधिकारीगण के साथ ही स्थानीय जनपदीय पुलिस थाने को भी सूचना दी जायेगी।</p> <p>04-जीआरपी थाने/स्थानीय थाने के 4W प्रभारी के नेतृत्व में घायलों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक उपचार प्रदान करना एवं एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना। यदि एम्बुलेंस पर्याप्त संख्या में नहीं है तो बचे हुए घायलों को 4W वाहन से अस्पताल पहुंचाना।</p> <p>05-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा आगजनी की दशा में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रशिक्षणानुरूप उपयोग कर अग्निशमन विभाग के मौके पर पहुंचने तक आग पर काबू पाना एवं आग को यथा संभव ऐसे स्थानों की तरफ फैलने से रोकना, जहां विस्फोटक/ज्वलनशील पदार्थ होने की संभावना हो।</p> <p>06- जीआरपी/स्थानीय थाने के PRV प्रभारी द्वारा अन्य अन्य PRV कर्मियों के सहयोग से शव, घायल, मृतकों के सामान एवं घटनास्थल को सुरक्षित करना।</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी /जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	फोरेसिक	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन	✓	घटना स्थानीय	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसउपमहा निरीक्षकरेलवे		✓	जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष	✓	थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसमहा निरीक्षकरेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	अस्पताल	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक		✓		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे

						<p>जीआरपी/आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष</p> <p>एल.आई.यू.</p> <p>एस.टी.एफ./एटीएफ</p> <p>सिविल डिफेंस</p>	<p>07- पीड़ितों को ढाँढस बंधाना एवं उनमें सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना एवं सिविल डिफेंस के माध्यम से माहौल को सामान्य रखना।</p> <p>08-पीए सिस्टम से दंगाइयों को अपने-अपने घरों में जाने का संदेश प्रसारित करना, अफवाहों को नियन्त्रित करना एवं प्रत्येक महत्वपूर्ण सूचना से जनपद/जीआरपी नियन्त्रण कक्ष व उच्चाधिकारियों को अवगत कराते रहना।</p> <p>09-जीआरपी/स्थानीय थाने द्वारा घटनास्थल, शव, घायलों/मृतकों के सामान एवं समस्त कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित किया जायेगा।</p> <p>10-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा यथासंभव यातायात पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने तक यातायात को सामान्य बनाये रखना।</p> <p>11-जीआरपी/स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष के घटनास्थल पर पहुंचने पर घटनास्थल, शव, घायलों/मृतकों के सामान आदि को उन्हें सुपुर्द कर घटना को स्थानीय थाने को स्थानान्तरित किया जायेगा।</p> <p>12-स्थानीय/जीआरपी थाने के 4W के MDT संचालक द्वारा प्रभारी के निर्देशन में एटीआर प्रेषित की जायेगी एवं जनपद के प्रभारी पुलिस अधीक्षक के आदेश के उपरान्त घटनास्थल से मुक्त होंगे।</p>			
							<p><u>B-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</u></p> <p>01-जनपद के नियन्त्रण कक्ष को तुरन्त सूचित किया जाये। पास के स्थित जीआरपी थाने/चौकी व क्षेत्राधिकारी को सूचित किया जाये।</p> <p>02-मौके पर उपस्थित जनपदीय पुलिस बल द्वारा बिन्दु सं0-ए में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाये।</p> <p>03-सम्बन्धित जीआरपी थाना व चौकी द्वारा जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही व घटना की एटीआर प्राप्त कर जीआरपी के उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाये।</p>			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं		प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाइर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
67	सम्प्रदायिक दंगा/अपराध/जातिवर्ग संघर्ष	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत एससी/एसटी व अन्य जातीय वर्ग संघर्ष	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-10</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">हां</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">नहीं</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table> <p>नोट:- (गंभीरता एवं विस्तार के अनुसार पुलिस बल पढ़ाया जा सकता है)</p> <p>PRV की आवश्यकता - 02 PRV</p>	हां	✓	नहीं		✓	हाम्बुलेंस	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02-घटनास्थल पर एकत्रित जनसमूह साम्प्रदायिक व्यक्तियों की अनुमानित सं0 व उसकी मनोदशा के साथ ही घटनास्थल की स्थिति व गंभीरता का आकलन करते हुए स्थिति को नियन्त्रित करने हेतु संयमित रूप से दोनो समुदायों के मुख्य एवं प्रभावित व्यक्तियों को समझाने-बुझाने के साथ ही स्थिति की स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना उच्चाधिकारीगण के साथ ही जनपदीय पुलिस थाने को भी सूचना दी जायेगी।</p> <p>03-अतिरिक्त पुलिस बल, वाहन एम्बुलेंस आदि की सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जीआरपी थाना/क्षेत्राधिकारी/उच्चाधिकारीगण के साथ ही स्थानीय जनदीय पुलिस थाने को भी दी जायेगी।</p> <p>04-जीआरपी थाने/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा अन्य PVR कर्मियोंके सहयोग से घायलों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक उपचार प्रदान कर एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना एवं यदि एम्बुलेंस प्रयाप्त संख्या में नहीं हैं तो बचे हुए घायलों को 4W वाहन से अस्पताल पहुंचाना।</p> <p>05-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा आगजनी की दशा में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रशिक्षणानुरूप उपयोग कर अग्निशमन विभाग के मौके पर पहुंचने तक आग</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			हां	✓																
			नहीं																	
			✓	नहीं		सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	फोरेसिक	<p>ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित</p>	✓	सीओ जीआरपी						
			✓				✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन		✓	एसआरपी						
			✓				✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे		✓	जिलाधिकारी	<p>घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित</p>	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे						
			✓				✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे						
			✓				✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	अस्पताल	<p>पुलिस महा निदेशक, उ.प्र।</p>	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे						
			✓				✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		✓			✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र।						
			✓				✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓			✓	होमकण्ट्रोल रेलवे						

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं		प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
68	डेड बाडी मिलना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत बच्चे का शव, जहरखुरानी के कारण पुरुष का शव, वरिष्ठ नागरिक का शव पाया जाना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी. थाना	<p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में है:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि वह मौके पर तत्काल पहुंचेगा और घटनास्थल को सुरक्षित करेंगे एवं मानवीय संवेदना एवं मर्यादा का पूरा ख्याल रखते हुए अगले आने वाले रेलवे स्टेशन के सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जायेगा। सम्बन्धित थाना प्रभारी प्रकरण को अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उच्चाधिकारियों को कार्यवाही से अवगत करायेंगे। क्षेत्राधिकारी एटीआर प्राप्त कर जीआरपी के उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे। शव यदि ट्रेन में है तो ट्रेन नंबर, कोच नंबर, बर्थ नंबर तथा शव के साथ परिजन हैं तो मृत्यु का कारण पता करेंगे तथा अन्य पुलिस कार्यवाही करेंगे।</p> <p>B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उसकी सूचना आगे पड़ने वाले जीआरपी थाने/चौकी को दी जायेगी। सम्बन्धित थाना प्रभारी उसकी सूचना रे.स्टे. मास्टर व अन्य अधिकारियों को अवगत कराते हुए ट्रेन पहुंचने पर शव व पीड़ित व्यक्ति अथवा घटनास्थल को सुरक्षित कर विधिक कार्यवाही करेगा। यदि अज्ञात व्यक्ति/बच्चे का शव है तो</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	फोरेंसिक	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी		✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	✓	अग्निशमन	✓	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		✓	जिलाधिकारी	✓	जिलाधिकारी	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		✓	अस्पताल	✓	अस्पताल	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	अस्पताल	✓	अस्पताल	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	अस्पताल	✓	अस्पताल	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	अस्पताल	✓	अस्पताल	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	अस्पताल	✓	अस्पताल	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे

						<p>जीआरपी/आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष</p>	<p>उसकी फोटो व फिंगर प्रिण्ट डी.एन.ए.प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि जहरखुरानी से पीड़ित व्यक्ति है तो तत्काल उसे प्राथमिक उपचार हेतु भेजा जायेगा। थाना प्रभारी/क्षेत्राधिकारी एटीआर जीआरपी के उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, जहां किसी व्यक्ति/बच्चे का शव मिला है, उस स्थान को सुरक्षित किया जायेगा। मौके पर भीड़ इकट्ठा न होने देना, घटनास्थल पर शव की फोटो आदि लेकर विधिक कार्यवाही करना तथा मौके से बरामद पहचान से सम्बन्धित सभी वस्तुओं को सुरक्षित करना। मौके की वस्तु स्थिति से उच्चाधिकारियों को सूचित किया जायेगा। यदि जहरखुरानी से व्यक्ति पीड़ित है तो तत्काल उसे प्राथमिक उपचार हेतु भेजा जायेगा। थाना प्रभारी/क्षेत्राधिकारी एटीआर जीआरपी के उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।</p>			
						<p>डाग स्क्वायड</p>	<p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर घटना की सूचना सम्बन्धित जनपदीय थाने व पुलिस चौकी को दी जायेगी। जनपदीय पुलिस द्वारा नियमानुसार बरामद शव के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यदि जहरखुरानी से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे प्राथमिक उपाचार हेतु भेजने की कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित जीआरपी थाना प्रभारी जनपदीय पुलिस से एटीआर प्राप्त कर जीआरपी के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जायेगा।</p>			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं		प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
69	डेड बाडी मिलना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत महिला का शव मिलना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">हां</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">नहीं</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table> <p>नोट:- (गंभीरता एवं विस्तार के अनुसार पुलिस बल पढ़ाया जा सकता है)</p>	हां	✓	नहीं	✓	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	
			हां	✓												
			नहीं	✓												
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	फोरेंसिक	<p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में है:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि वह मौके पर तत्काल पहुंचेगा और घटनास्थल को सुरक्षित करेंगे एवं मानवीय संवेदना एवं मर्यादा का पूरा ख्याल रखते हुए अगले आने वाले रेलवे स्टेशन के सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जायेगा। सम्बन्धित थाना प्रभारी प्रकरण को अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उच्चाधिकारियों को कार्यवाही से अवगत करायेंगे। क्षेत्राधिकारी एटीआर प्राप्त कर जीआरपी के उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे। शव यदि ट्रेन में है तो ट्रेन नंबर, कोच नंबर, बर्थ नंबर तथा शव के साथ परिजन हैं तो मृत्यु का कारण पता करेंगे तथा अन्य पुलिस कार्यवाही करेंगे।</p> <p>B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उसकी सूचना आगे पड़ने वाले जीआरपी थाने/चौकी को दी जायेगी। सम्बन्धित थाना प्रभारी उसकी सूचना रे.स्टे. मास्टर व अन्य अधिकारियों को अवगत कराते हुए ट्रेन पहुंचने पर महिला का शव अथवा घटनास्थल को सुरक्षित कर विधिक कार्यवाही करेगा। यदि अज्ञात महिला का शव है तो उसकी फोटो व फिंगर प्रिण्ट डी.एन.ए. तथा पहचान से सम्बन्धित सभी</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	सीओ जीआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे		✓	महिला सम्मान प्रकोष्ठ		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	डाग स्कवायड		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		✓			✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓			✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	नोट:-घटना का	✓		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓						

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
70	अतिक्रमण	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px;">✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	एम्बुलेंस फोरेसिक अग्निशमन नगर निगम/नगर पालिका ✓ अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष	A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने की कार्यवाही की जायेगी। 02-उस सरकारी व रेलवे की भूमित पर, जहां अतिक्रमण किया गया है, का निरीक्षण कर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों से विनम्रतापूर्वक उनके द्वारा किये जा रहे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का बोध कराया जायेगा। 03-यदि अतिक्रमण पूर्व में हो चुका है तो सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधि को जीआरपी थाने पर ले जाकर प्रकरण को जीआरपी थाने के थानाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में थाने के प्रतिनिधि (रात्रि/दिवसाधिकारी) या हेडमोहरीर या कानि. मोहरीर को हस्तांतरित करना। 04-यदि अतिक्रमण हो रहा हो तो उसे रोक कर यथा स्थिति बनाकर रखना एवं अतिक्रमणकारी को हिरासत में लेकर जीआरपी थाने लाना, प्रकरण को स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में थाने के प्रतिनिधि (रात्रि/दिवसाधिकारी) या हेडमोहरीर या कानि. मोहरीर को हस्तांतरित करना। 05-जीआरपी बल द्वारा घटनास्थल, अतिक्रमण में प्रयुक्त उपकरण, अभियुक्त व अन्य कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित किया जायेगा।	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			हां																		
			नहीं	✓																	
			नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	एसआरपी	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा			✓	सीओ जीआरपी					
			नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे		✓	एसआरपी	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित			✓	एसआरपी					
			नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		✓	एसआरपी	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित			✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे					
			नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	एसआरपी	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित			✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे					
			नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		✓	एसआरपी	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित			✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे					
			नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	एसआरपी	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित			✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.					
			नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	एसआरपी	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित			✓	होमकण्ट्रोल रेलवे					
नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	एसआरपी	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे											
नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	एसआरपी	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे											

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं		प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाइर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
72	अभियुक्त का अभिरक्षा से फरार होना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत पुलिस अभिरक्षा से/न्यायिक अभिरक्षा से फरार होना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">हां</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">नहीं</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	हां	✓	नहीं		एम्बुलेंस फोरेंसिक अग्निशमन जिलाधिकारी/पुलिस नियन्त्रण कक्ष अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) जिला जज नियन्त्रण कक्ष	A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने की दशा में जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने पर Arrived की कार्यवाही की जायेगी। 02-जीआरपी थाने के प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंच कर अभिरक्षा में फरार अभियुक्त एवं उसके सहयोगियों के नाम पता, कपड़ा, हुलिया, भागने की दिशा, यदि अभियुक्त द्वारा फरार होने के लिए किसी वाहन का प्रयोग किया गया है, तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रकार, पहचान के विशिष्ट चिन्ह सहित घटना की विस्तृत जाननकारी प्राप्त कर जनपद के अन्य थानों एवं सीमावर्ती जनपदों में चेकिंग हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को अवगत कराना। 03-घटना के विषय में थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को सूचित करना। 04-यदि घटना में कोई पुलिस कर्मी घायल है तो उसे प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना एवं एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की दशा में 4W घायल को अस्पताल पहुंचाना। 05-यदि घटना में किसी पुलिस कर्मी की मृत्यु हुई है तो जीआरपी प्रभारी द्वारा शव घटनास्थल साक्ष्यों के अन्य PRV कर्मियों के सहयोग से यलो टेप के माध्यम से सुरक्षित करना। समस्त पुलिसकर्मियों को अपने अभिरक्षा में रखना तथा स्थानीय पुलिस को थानाध्यक्ष के घटनास्थल पर	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			हां	✓													
			नहीं														
			नहीं	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	✓	एसआरपी		✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	सीओ जीआरपी				
			✓	घटना स्थानीय	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	एसआरपी				
			✓	घटना थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे				
			✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.				
			✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	जिला जज नियन्त्रण कक्ष	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे				
			✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	जिला जज नियन्त्रण कक्ष	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे				
			✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	जिला जज नियन्त्रण कक्ष	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे				
✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	जिला जज नियन्त्रण कक्ष	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे								
✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	जिला जज नियन्त्रण कक्ष	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे								

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
73	मार पीट/बलवा/हंगामा	ट्रेन/रेलवे स्टेशन/सर्कुलेटिंग एरिया में सुरक्षा बल एवं जनता के मध्य	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने की दशा में जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने पर Arrived की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02-जीआरपी थाने के प्रभारी द्वारा अन्य कर्मियों के सहयोग से मौके पर पहुंच कर घटनास्थल पर मौजूद हमलावरों को यथासंभव हिरासत में लेगा। हमलावर भीड़ तो तितर बितर करना, जनता को अपने अपने गंतव्य को जाने का संदेश प्रसारित करना, मौके की सही स्थिति का आकलन कर आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन तथा फायर ब्रिगेड आदि हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना। थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी जनपदीय नियन्क्षण कक्ष को घटना के विषय में अवगत कराना।</p> <p>03-जीआरपी/स्थानीय थाने के 4W के प्रभारी द्वारा अन्य PRVकर्मियों के सहयोग से घायलों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक उपचार प्रदान कर एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना एवं यदि एम्बुलेंस पर्याप्त संख्या में नहीं है तो बचे घायलों को 4W से अस्पताल पहुंचाना।</p> <p>04- आगजनी की दशा में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रशिक्षणानुरूप उपयोग कर अग्निशमन उपकरण पहुंचने तक आग पर काबू पाना एवं तोड़ फोड़ को यथा संभव नियन्त्रित करना।</p> <p>05-जीआरपी/स्थानीय थाने के 4W के प्रभारी द्वारा</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	सीओ जीआरपी	✓	एसआरपी
			✓		✓		✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे		✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
			✓		✓		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
			✓		✓		✓	पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
			✓		✓		✓	पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
			✓		✓		✓	पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
			✓		✓		✓	पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
			✓		✓		✓	पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
			✓		✓		✓	पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.

						<p>जीआरपी/आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष</p> <p>अन्य PRVकर्मियों के सहयोग से (मृत्यु की दशा में) घायलों एवं मृतकों के सामान एवं घटनास्थल को सुरक्षित करना।</p> <p>06-सुरक्षा बल के जवानों को विश्वास में लेकर उनकी उत्तेजना शान्त करना।</p>			
						<p>यातायात पुलिस</p> <p>07-जीआरपी/स्थानीय थाने के 4W के MDT संचालक द्वारा घटनास्थल, शव, घायलों/मृतकों के सामान एवं समस्त कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित किया जायेगा।</p> <p>08-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा यथासंभव यातायात पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने तक यातायात को सामान्य बनाया जायेगा। जनपद नियन्त्रण कक्ष को कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराते रहना।</p> <p>09-जीआरपी/स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष के घटनास्थल पर पहुंचने पर घटनास्थल, शव, घायलों/मृतकों के सामान आदि के उन्हे सुपुर्द कर घटना को स्थानीय थाने को हस्तांतरित किया जायेगा।</p> <p>10- जीआरपी/स्थानीय थाने के 4W के MDT संचालक द्वारा प्रभारी के निर्देशन में एटीआर प्रेषितकी जायेगी एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने के उपरान्त घटनास्थल से मुक्त होंगे।</p>			
						<p><u>B-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</u></p> <p>01- जनपद के नियन्त्रण कक्ष को तुरन्त सूचित किया जाये। पास के स्थित जीआरपी थाने/चौकी व क्षेत्राधिकारी को सूचित किया जाये।</p> <p>02-मौके पर उपस्थित जनपदीय पुलिस बल द्वारा बिन्दु सं0-ए में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाये।</p> <p>03-सम्बन्धित जीआरपी थाना व चौकी द्वारा जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही व घटना की एटीआर प्राप्त कर जीआरपी के उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाये।</p>			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
74	मार पीट/बलवा/हंगामा	रेलवे क्षेत्रान्तर्गत परिवार में	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-0 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">✓</td> </tr> </table> <p>गंभीरता एवं विस्तार के अनुसार पुलिस बल बढ़ाया जा सकता है।</p>	हां		नहीं	✓	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने की कार्यवाही की जायेगी। 02- घटनास्थल पर एकत्रित व्यक्तियों की संख्या व उसकी मनोदशा के साथ ही घटनास्थल की स्थिति व गंभीरता का आकलन करते हुए स्थिति को नियन्त्रित करना, दोनो पक्षों की बात सुन कर समझाने-बुझाने के साथ ही स्थिति की स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना उच्चाधिकारीगण को सूचना दी जायेगी। 03-अतिरिक्त पुलिस बल, वाहन एम्बुलेंस आदि की सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जीआरपी थाना/क्षेत्राधिकारी/उच्चाधिकारीगण के साथ ही स्थानीय जनपदीय पुलिस थाने को भी दी जायेगी। 04- जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा अन्य PRV कर्मियों के सहयोग से घायलों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक उपचार प्रदान कर एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना एवं यदि एम्बुलेंस पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो बचे हुए घायलों को 4W वाहन से अस्पताल पहुंचाना। 05-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा आगजनी की दशा में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रशिक्षणानुरूप उपयोग कर अग्निशमन विभाग के मौके पर पहुंचने तक आग पर काबू पाना एवं आग को यथा संभव ऐसे स्थानों की तरफ फैलने से रोकना, जहां विस्फोटक/ज्वलनशील पदार्थ होने की संभावना हो। 06- जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा अन्य</p>	<p>ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा</p>	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			हां															
			नहीं	✓														
				नहीं	✓	सामान्य	✓		सी.ओ. जीआरपी	<p>फोरेसिक</p>	<p>01-सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने की कार्यवाही की जायेगी। 02- घटनास्थल पर एकत्रित व्यक्तियों की संख्या व उसकी मनोदशा के साथ ही घटनास्थल की स्थिति व गंभीरता का आकलन करते हुए स्थिति को नियन्त्रित करना, दोनो पक्षों की बात सुन कर समझाने-बुझाने के साथ ही स्थिति की स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना उच्चाधिकारीगण को सूचना दी जायेगी। 03-अतिरिक्त पुलिस बल, वाहन एम्बुलेंस आदि की सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जीआरपी थाना/क्षेत्राधिकारी/उच्चाधिकारीगण के साथ ही स्थानीय जनपदीय पुलिस थाने को भी दी जायेगी। 04- जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा अन्य PRV कर्मियों के सहयोग से घायलों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक उपचार प्रदान कर एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना एवं यदि एम्बुलेंस पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो बचे हुए घायलों को 4W वाहन से अस्पताल पहुंचाना। 05-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा आगजनी की दशा में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रशिक्षणानुरूप उपयोग कर अग्निशमन विभाग के मौके पर पहुंचने तक आग पर काबू पाना एवं आग को यथा संभव ऐसे स्थानों की तरफ फैलने से रोकना, जहां विस्फोटक/ज्वलनशील पदार्थ होने की संभावना हो। 06- जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा अन्य</p>	<p>ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित</p>			✓	सीओ जीआरपी		
							एसआरपी		अग्निशमन						<p>घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित</p>	✓	एसआरपी	
							पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे		<p>जिलाधिकारी/पुलिस नियन्त्रण कक्ष</p>	<p>अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)</p>		<p>उस सुरक्षा मुख्यालय को, जिसके साथ घटना घटित हुई है।</p>				✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे	
							पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे								पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
							पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे								पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
							पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.								पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
							होमकण्ट्रोल रेलवे								पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	होमकण्ट्रोल, रेलवे
					पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	होमकण्ट्रोल, रेलवे										
					पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	होमकण्ट्रोल, रेलवे										
					पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	होमकण्ट्रोल, रेलवे										

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
75	मार पीट/बलवा/हंगामा	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत छात्रों के मध्य/अन्य समूहों के मध्य	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02- घटनास्थल पर एकत्रित छात्रों व जनसमूह व्यक्तियों की अनुमानित संख्या व उसकी मनोदशा के साथ ही घटनास्थल की स्थिति व गंभीरता का आकलन करते हुए स्थिति को नियन्त्रित करने हेतु संयमित रूप से दोनों पक्षों के मुख्य एवं प्रभावित व्यक्तियों को समझाने-बुझाने के साथ ही स्थिति की स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना उच्चाधिकारीगण व जनपदीय पुलिस को दिया जाये।</p> <p>03-अतिरिक्त पुलिस बल, वाहन एम्बुलेंस आदि की सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जीआरपी थाना/क्षेत्राधिकारी/उच्चाधिकारीगण के साथ ही स्थानीय जनपदीय पुलिस थाने को भी दी जायेगी।</p> <p>04- जीआरपी/स्थानीय थाने के 4W प्रभारी द्वारा अन्य PRV कर्मियों के सहयोग से घायलों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक उपचार प्रदान कर एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना एवं यदि एम्बुलेंस पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो बचे हुए घायलों को 4W वाहन से अस्पताल पहुंचाना।</p> <p>05-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा आगजनी की दशा में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रशिक्षणानुरूप उपयोग कर अग्निशमन विभाग के मौके पर पहुंचने तक आग पर काबू पाना एवं आग को यथा संभव ऐसे स्थानों की तरफ फैलने से रोकना, जहां</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
							✓	एसआरपी						✓	एसआरपी
							पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे							✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे
							पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे							✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
							पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे							✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे
							पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.							✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
							होमकण्ट्रोल रेलवे							✓	होमकण्ट्रोल रेलवे
														✓	
														✓	

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं		प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
76	मार पीट/बलवा/हंगामा	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत सुरक्षा बल एवं छात्रों के मध्य/	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-10</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">हां</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">नहीं</td> <td></td> </tr> </table> <p>गंभीरता एवं विस्तार के अनुसार पुलिस बल बढ़ाया जा सकता है)</p> <p>PRV की आवश्यकता - 02 PRV</p>	हां	✓	नहीं		<p>एम्बुलेंस</p> <p>फोरेंसिक</p> <p>अग्निशमन</p> <p>जिलाधिकारी/पुलिस नियन्त्रण कक्ष</p> <p>अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)</p> <p>उस सुरक्षा बल के मुख्यालय, जिसके साथ घटना घटित हुई है</p>	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने की दशा में जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने पर Arrived की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02-जीआरपी थाने के प्रभारी द्वारा अन्य कर्मियों के सहयोग से मौके पर पहुंच कर घटनास्थल पर मौजूद हमलावरों को यथासंभव हिरासत में लेगा। हमलावर भीड़ तो तितर बितर करना, जनता को अपने अपने गंतव्य को जाने का संदेश प्रसारित करना, मौके की सही स्थिति का आकलन कर आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधन तथा फायर ब्रिगेड आदि हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना। थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को घटना के विषय में अवगत कराना।</p> <p>03-जीआरपी/स्थानीय थाने के 4W के प्रभारी द्वारा अन्य PRVकर्मियों के सहयोग से घायलों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक उपचार प्रदान कर एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना एवं यदि एम्बुलेंस पर्याप्त संख्या में नहीं है तो बचे घायलों को 4W से अस्पताल पहुंचाना।</p> <p>04- आगजनी की दशा में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रशिक्षणानुरूप उपयोग कर अग्निशमन उपकरण पहुंचने तक आग पर काबू पाना एवं तोड़ फोड़ को यथा संभव नियन्त्रित करना।</p> <p>05-जीआरपी/स्थानीय थाने के 4W के प्रभारी द्वारा अन्य PRVकर्मियों के सहयोग से (मृत्यु की दशा</p>	<p>ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा</p> <p>ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित</p> <p>घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित</p>	<p>✓</p> <p>थाना प्रभारी जी.आर.पी.</p> <p>सीओ जीआरपी</p> <p>एसआरपी</p> <p>पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे</p> <p>पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.</p> <p>होमकण्ट्रोल रेलवे</p>
			हां	✓													
			नहीं														
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		<p>पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे</p> <p>पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे</p> <p>पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.</p> <p>होमकण्ट्रोल रेलवे</p>							
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी									
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे									
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे									
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे									
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.									
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे									
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓													
✓	नहीं	✓	सामान्य	✓													

						<p>जीआरपी/आर पीएफ नियन्त्रण कक्ष</p>	<p>में) घायलों एव मृतकों के सामान एवं घटनास्थल को सुरक्षित करना।</p> <p>06-सुरक्षा बल के जवानों को विश्वास में लेकर उनकी उत्तेजना शान्त करना।</p> <p>07-जीआरपी/स्थानीय थाने के 4W के MDT संचालक द्वारा घटनास्थल, शव, घायलों/मृतकों के सामान एवं समस्त कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित किया जायेगा।</p> <p>08-जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा यथासंभव यातायात पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने तक यातायात को सामान्य बनाया जायेगा। जनपद नियन्त्रण कक्ष को कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराते रहना।</p> <p>09-जीआरपी/स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष के घटनास्थल पर पहुंचने पर घटनास्थल, शव, घायलों/मृतकों के सामान आदि के उन्हे सुपुर्द कर घटना को स्थानीय थाने को हस्तांतरित किया जायेगा।</p> <p>10- जीआरपी/स्थानीय थाने के 4W के MDT संचालक द्वारा प्रभारी के निर्देशन में एटीआर प्रेषितकी जायेगी एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने के उपरान्त घटनास्थल से मुक्त होंगे।</p>			
						यातायात पुलिस	<p>B-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01- जनपद के नियन्त्रण कक्ष को तुरन्त सूचित किया जाये। पास के स्थित जीआरपी थाने/चौकी व क्षेत्राधिकारी को सूचित किया जाये।</p> <p>02-मौके पर उपस्थित जनपदीय पुलिस बल द्वारा बिन्दु सं0-ए में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाये।</p> <p>03-सम्बन्धित जीआरपी थाना व चौकी द्वारा जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही व घटना की एटीआर प्राप्त कर जीआरपी के उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा।</p>			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
79	मार पीट/बलवा/हंगामा	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत पार्किंग में हंगामा	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-05</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px;">✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने की दशा में जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने पर Arrived की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02- घटनास्थल पर पहुंच कर मौजूद दंगाइयों को यथासंभव हिरासत में लेना। घटना में प्रयुक्त शस्त्र, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र, आलाकुन्द आदि को अपनी अभिरक्षा में लेना, एकत्रित भीड़ को तितर बितर करना एवं मौके की सही स्थिति का आकलन कर थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को घटना के विषय में अवगत कराना। आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधनो हेतु जीआरपी के उच्चाधिकारियों के साथ ही जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना।</p> <p>03-जीआरपी बल के प्रभारी द्वारा अन्य बल के सहयोग से रेलवे स्टेशन परिसर व सरकारी सम्पत्ति की अराजक तत्वों से सुरक्षा करना।</p> <p>04-जीआरपी बल के थाना प्रभारी स्थानीय पुलिस बल के मदद से घटना में घायल व्यक्तियों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक उपचार प्रदान कर एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना, मृत्यु होने की दशा में शव एवं घटनास्थल को यलो टेप से सुरक्षित करना।</p> <p>05-जीआरपी बल के थाना प्रभारी द्वारा स्थानीय थाने के 4W की सहायता से घटनास्थल, दंगाइयों, घायलों एवं समस्त कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित किया जायेगा।</p> <p>06--जीआरपी बल के थाना प्रभारी स्थानीय थाने</p>	✓	हां	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			हां														
			नहीं	✓													
			नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष	अग्निशमन	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓		सीओ जीआरपी			
						✓	एसआरपी		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)			ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित		✓	एसआरपी		
										पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	जीआरपी/आर पीएफ नियन्त्रण कक्ष			घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित			
									पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे			✓			पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे		
									पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे					पुलिस महा निरीक्षक रेलवे			
									पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.					पुलिस महा निदेशकरेलवे			
									होमकण्ट्रोल रेलवे					होमकण्ट्रोल रेलवे			
										पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.							

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं		प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
80	फायरिंग	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत बैंक में फायरिंग, सड़क पर फायरिंग/कार्यालय व दुकान आदि में फायरिंग	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-10</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">हां</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">नहीं</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table> <p>(गंभीरता एवं विस्तार के अनुसार पुलिस बल बढ़ाया जा सकता है)</p>	हां	✓	नहीं		✓	एम्बुलेंस	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने पर Arrived की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02- घटनास्थल पर पर्याप्त एवं सशस्त्र पुलिस बल मय सुरक्षा उपकरणों के साथ रवाना किया जाये। जीआरपी बल मौके पर पहुंच कर मोर्चा सम्हालते हुए फायरिंग करने वाले व्यक्तियों की संख्या व स्थिति की पूरी जानकारी जीआरपी के उच्चाधिकारियों के साथ ही जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को देना।</p> <p>03-जीआरपी बल द्वारा फायरिंग करने वाले को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना। फायरिंग करने वाले व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर फायरिंग में प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र कब्जे में लेना।</p> <p>04- एकत्रित भीड़ को तितर बितर करना एवं मौके की सही स्थिति का आकलन कर थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को घटना के विषय में अवगत कराना। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधनो हेतु जीआरपी के उच्चाधिकारियों के साथ ही जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना।</p> <p>05-जीआरपी बल के प्रभारी द्वारा अन्य बल के सहयोग से रेलवे स्टेशन परिसर व सरकारी सम्पत्ति की अराजक तत्वों से सुरक्षा करना।</p> <p>06- जीआरपी बल के थाना प्रभारी स्थानीय पुलिस बल के मदद से घटना में घायल व्यक्तियों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक उपचार प्रदान कर एम्बुलेंस</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			हां	✓																
			नहीं																	
				नहीं		सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	फॉरेंसिक	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी					
							✓	एसआरपी			अग्निशमन	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी					
							✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे			अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे					
							✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे			जीआरपी/आर पीएफ नियन्त्रण कक्ष		पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे					
							✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे					पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.					
							✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.					पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.					
							✓	होमकण्ट्रोल रेलवे					होमकण्ट्रोल रेलवे		होमकण्ट्रोल रेलवे					

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं		प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
81	फायरिंग	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत हर्ष फायरिंग	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-05</p> <p><u>जनपदीय पुलिस से सहायता</u> (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin: 5px auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">✓</td> </tr> </table> <p>(गंभीरता एवं विस्तार के अनुसार पुलिस बल बढ़ाया जा सकता है)</p>	हां		नहीं	✓	✓	एम्बुलेंस	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने पर Arrived की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02- घटनास्थल पर पर्याप्त एवं सशस्त्र पुलिस बल मय सुरक्षा उपकरणों के साथ रवाना किया जाये। जीआरपी बल मौके पर पहुंच कर मोर्चा सम्हालते हुए फायरिंग करने वाले व्यक्तियों की संख्या व स्थिति की पूरी जानकारी जीआरपी के उच्चाधिकारियों के साथ ही जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को देना।</p> <p>03-जीआरपी बल द्वारा फायरिंग करने वाले को मय शस्त्र पुलिस अभिरक्षा मे लेना। हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त अस्त्र कब्जे शस्त्र कब्जे में लेना।</p> <p>04- एकत्रित भीड़ को तितर बितर करना एवं मौके की सही स्थिति का आकलन कर थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को घटना के विषय में अवगत कराना। आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधनो हेतु जीआरपी के उच्चाधिकारियों के साथ ही जनपद नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना।</p> <p>05-जीआरपी बल के प्रभारी द्वारा अन्य बल के सहयोग से रेलवे स्टेशन परिसर व सरकारी सम्पत्ति की अराजक तत्वों से सुरक्षा करना।</p> <p>06- जीआरपी बल के थाना प्रभारी स्थानीय पुलिस बल के मदद से घटना में घायल व्यक्तियों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक उपचार प्रदान कर एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना, मृत्यु होने की दशा में</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			हां																	
			नहीं	✓																
			✓	नहीं		सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	फोरेंसिक	<p>ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित</p>	✓	सीओ जीआरपी						
			✓				✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन		✓	एसआरपी						
								✓		पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	<p>घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित</p>	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे					
								✓		पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	✓	जीआरपी/आर पीएफ नियन्त्रण कक्ष		✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे					
								✓		पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	जिलाधिका री नियन्त्रण कक्ष		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे					
								✓		पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	✓			✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.					
								✓		होमकण्ट्रोल रेलवे	✓		✓	होमकण्ट्रोल रेलवे						

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
82	जालसाजी	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत नकली भारतीय मुद्रा की तस्करि/अवैध आपूर्ति	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin: 5px auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">हां</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">नहीं</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table> <p>(गंभीरता एवं विस्तार के अनुसार पुलिस बल बढ़ाया जा सकता है)</p>	हां	✓	नहीं	✓	<p>एम्बुलेंस</p> <p>फोरेसिक</p> <p>अग्निशमन</p> <p>अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)</p> <p>जीआरपी/आर पीएफ नियन्त्रण कक्ष</p> <p>एटीएस एसटीएफ</p>	<p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में है:- A-यदि ट्रेन स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि वह मौके पर तत्काल पहुंचेगा और संदिग्ध व्यक्ति व नकली मुद्रा को अपने अभिरक्षा में लेगा। अगले आने वाले रेलवे स्टेशन से सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जायेगा। सम्बन्धित थाना प्रभारी प्रकरण को अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उच्चाधिकारियों को कार्यवाही से अवगत करायेंगे। क्षेत्राधिकारी एटीआर प्राप्त कर जीआरपी के उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा।</p> <p>B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर इसकी सूचना आगे पड़ने वाले जीआरपी थाने/चौकी को दी जायेगी। सम्बन्धित थाना प्रभारी इसकी सूचना रेलवे स्टेशन मास्टर व अन्य अधिकारियों को अवगत कराते हुए ट्रेन पहुंचने पर संदिग्ध व्यक्ति व नकली मुद्रा को अपनी अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी एटीआर जीआरपी के उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां</p>	<p>ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा</p> <p>ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित</p> <p>घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित</p>	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			हां	✓													
			नहीं	✓													
			नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	सीओ जीआरपी	✓	एसआरपी					
			✓			✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे		✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे					
			✓			✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.					
			✓			✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	✓	होमकण्ट्रोल					
			✓			✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	होमकण्ट्रोल					

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
83	जालसाजी	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत नकली भारतीय मुद्रा का अवैध कब्जा	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px;">✓</td> </tr> </table> (गंभीरता एवं विस्तार के अनुसार पुलिस बल बढ़ाया जा सकता है)	हां		नहीं	✓	एम्बुलेंस फोरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) जीआरपी/आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष एटीएस एसटीएफ	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में है:- A-यदि ट्रेन स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि वह मौके पर तत्काल पहुंचेगा और संदिग्ध व्यक्ति व नकली मुद्रा को अपने अभिरक्षा में लेगा। अगले आने वाले रेलवे स्टेशन से सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जायेगा। सम्बन्धित थाना प्रभारी प्रकरण को अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उच्चाधिकारियों को कार्यवाही से अवगत करायेंगे। क्षेत्राधिकारी एटीआर प्राप्त कर जीआरपी के उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर इसकी सूचना आगे पड़ने वाले जीआरपी थाने/चौकी को दी जायेगी। सम्बन्धित थाना प्रभारी इसकी सूचना रेलवे स्टेशन मास्टर व अन्य अधिकारियों को अवगत कराते हुए ट्रेन पहुंचने पर संदिग्ध व्यक्ति व नकली मुद्रा को अपनी अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी एटीआर जीआरपी के उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।	✓	हां	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			हां															
			नहीं	✓														
			✓	नहीं	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	एसआरपी	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित			✓	सीओ जीआरपी		
			✓	नहीं	सामान्य	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे			✓		एसआरपी			✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे		
			✓	नहीं	सामान्य	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे		✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित			✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे		
			✓	नहीं	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित			✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशकरेलवे		
			✓	नहीं	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित			✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		
			✓	नहीं	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	होमकण्ट्रोल रेलवे	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित			✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
85	लावारिश वृद्ध/महिला/बच्चा/वस्तु/वाहन एवं जानवर आदि की सूचना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत लावारिश पुरुष	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जीआरपी	<p>उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">हां</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">नहीं</td> <td style="padding: 2px;">✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	<p>चलती ट्रेन में अथवा रेलवे स्टेशन व परिसर में:-</p> <p>01-इस प्रकार की सूचना यदि चलती ट्रेन, जिसमें स्कोर्ट लगा है, को लावारिश पुरुष के सम्बन्ध में प्राप्त होती है तो जीआरपी बल द्वारा मौके पर पहुंच कर व्यक्ति से उसका नाम, पता, एवं वहां लावारिश हालत में होने का कारण पूछना, यदि व्यक्ति से परिजनों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उन्हें सूचित करना।</p> <p>02-यदि व्यक्ति बीमार या घायल हो तो उसे अगले रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने को प्राथमिक उपचार हेतु सुपुर्द किया जाये। सम्बन्धित जीआरपी थाना ऐसे व्यक्ति को प्राथमिक उपचार प्रदान करते हुए एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना एवं परिजन तथा स्थानीय थाने को सूचित करना।</p> <p>03-रेलवे स्टेशन परिसर आदि में लावारिश व्यक्ति पाये जाने अथवा लावारिश व्यक्ति के साथ अपराध होने की संभावना पर पूरी जानकारी कर उच्चाधिकारियों को सूचना देना तथा वाहन आदि के माध्यम से प्राथमिक उपचार हेतु भेजना। सामान्य स्तर पर पाये जाने पर जीआरपी थाने के प्रतिनिधि को हस्तान्तरित करना।</p> <p>04-यदि व्यक्ति अन्य किसी कारण से वहां मौजूद है एवं स्वस्थ है तो उस व्यक्ति के परिजनों को वहां पहुंचने पर उन्हें सुपुर्द करना व सुपुर्दगी नामा तैयार करना। परिजनों के मौके पर न पहुंचने की दशा में स्थानीय थाने पर ले जाकर थानाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में थाने के</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जीआरपी
			हां														
			नहीं	✓													
			✓	नहीं	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		फोरेंसिक	अग्निशमन	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित		✓	सीओ जीआरपी		
									एसआरपी							एसआरपी	
									पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे							पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे	
									पुलिस महा निरीक्षक रेलवे							पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	
									पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे							पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे	
									स्टेशन मास्टर /मैनेजर							पुलिस महा निदेशक	
									पुलिस							पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
86	लावारिश वृद्धिता/महिला/बच्चा/वस्तु/वाहन एवं जानवर आदि की सूचना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत लावारिश जानवर	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जीआरपी	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	✓	रिस्पाण्डर द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
				नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)		ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी	
								एसआरपी	हं	जनपदीय नियन्त्रण कक्ष	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)				एसआरपी
								पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे	नहीं	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)				पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
								पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	जीआरपी/आर.पी.एफ नियन्त्रण कक्ष	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)				पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
								पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे		नगर निगम	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)				पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
								पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.		वेदनरी डाक्टर	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)				पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र.
								स्टेशन मास्टर			रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)				स्टेशन मास्टर
											रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)				
											रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)				

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
87	लावारिश व्यक्ति/महिला/बच्चा/वस्तु/वाहन एवं जानवर आदि की सूचना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत लावारिश महिला/बच्चा	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जीआरपी	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-0 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-01	उ.नि. (महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-0 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-01	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना चलती ट्रेन में है:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट मौजूद है:- 01-ट्रेन में लावारिश महिला व लावारिश बच्चा पाया जाता है तो स्कोर्ट कर्मियों द्वारा मौके की स्थिति का सही आकलन कर आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल, महिला आरक्षी एवं अन्य संसाधनों हेतु अगले स्टेशन के जीआरपी थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी जायेगी। इस सम्बन्ध में स्कोर्ट कर्मियों द्वारा मानवीय संवेदना व मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जायेगा। 02-अगले रेलवे स्टेशन से सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा लावारिश महिला व बच्चों को महिला आरक्षी अथवा बाल कल्याण अधिकारी के साथ लावारिश बच्चे व महिला को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय के आदेश से निर्देशानुसार सुपुर्दगी की कार्यवाही की जायेगी। B-रेलव स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-जीआरपी प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर महिला/बच्चे से नम्रता पूर्वक उनका नाम पता एवं वहां लावारिश हालत में होने का कारण पूछना, यदि महिला/बच्चे के परिजनों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उन्हें सूचित करना। यदि महिला/बच्चा बीमार या घायल हो तो प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक उपचार प्रदान करते हुए उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना। 02-जीआरपी थाने के प्रभारी द्वारा लावारिश	रिस्पाण्डर द्वारा	✓	थाना प्रभारी जीआरपी
				नहीं	✓	सामान्य	एसआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	अग्निशमन	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी	
							पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	हैं	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	जीआरपी/आर.पी.एफ नियन्त्रण कक्ष	नहीं	एसआरपी		एसआरपी
							पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे	नहीं	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	महिला थानाध्यक्ष	हैं	निकटतम जनपदीय थाना/चौकी के प्रतिनिधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
							पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.	नहीं	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	बाल संरक्षण अधिकारी	नहीं	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र.		पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र.
							स्टेशन मास्टर	नहीं	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		हैं	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र.	✓	स्टेशन मास्टर

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
90	अपहरण	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत पुरुष का अपहरण	✓	हां	✓	उच्च	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सी.ओ. जीआरपी	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04	एम्बुलेंस फोरेंसिक अग्निशमन	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। घटना की चलित एफ.आई.आर. कितनी की जायेगी तथा अगले आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓ थाना प्रभारी जीआरपी				
				नहीं		सामान्य	✓ एसआरपी ✓ पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		जीआरपी/आर.पी.एफ नियन्त्रण कक्ष	✓ ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓ सीओ जीआरपी ✓ एसआरपी			
							. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. ✓ होम कण्ट्रोल रेलवे	<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां			नहीं	✓		✓ निकटतम जनपदीय थाना/चौकी के प्रतिनिधि को हस्तांतरित	✓ पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र.
			हां													
			नहीं	✓												
													✓ होमकण्ट्रोल			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
91	अपहरण	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत महिला का अपहरण	✓	हां	✓	उच्च	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सी.ओ. जीआरपी एसआरपी पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. ✓ होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-02 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) हां <input type="checkbox"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	एम्बुलेंस फोरेंसिक अग्निशमन ✓ अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) जीआरपी/आर.पी.एफ नियन्त्रण कक्ष	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। घटना की चलित एफ.आई.आर. कितनी की जायेगी तथा अगले आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा ✓ ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित ✓ निकटतम जनपदीय थाना/चौकी के प्रतिनिधि को हस्तांतरित	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सीओ जीआरपी ✓ एसआरपी ✓ पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र. ✓ होमकण्ट्रोल

						जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर नजदीकी नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को सूचित किया जायेगा। जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।			रेलवे
--	--	--	--	--	--	---	--	--	-------

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
92	अपहरण	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत बच्चे का अपहरण	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जीआरपी	<p>उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04</p> <p><u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	<p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। घटना की चलित एफ.आई.आर. कितना की जायेगी तथा अगले आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p>	<p>ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा</p>	✓	थाना प्रभारी जीआरपी
			हां														
			नहीं	✓													
				नहीं		सामान्य	✓	एसआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी				
							✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे			अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓			एसआरपी	
							✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे			जीआरपी/आर.पी.एफ नियन्त्रण कक्ष		निकटतम जनपदीय थाना/चौकी के प्रतिनिधि को हस्तांतरित			✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
							✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे			बाल संरक्षण अधिकारी					✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
								. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.								✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र.
								✓		होम कण्ट्रोल रेलवे						✓	होमकण्ट्रोल

									रेलवे
						C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-			
						घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी।			
						D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-			
						घटना की सूचना प्राप्त होने पर नजदीकी नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को सूचित किया जायेगा। जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।			

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
93	गुमशुदगी	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत मोबाइल/टैबलेट/पीसी/लैपटॉप/पहचान पत्र/पैनकार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट/डी.एल./शैक्षणिकप्रमाण पत्र/चेक व पास बुक/डेथ सर्टिफिकेट आदि की	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-0 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-0 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	हां		नहीं	<input checked="" type="checkbox"/>	एम्बुलेंस फोरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) जीआरपी/आर.पी.एफ नियन्त्रण कक्ष बाल संरक्षण अधिकारी	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। घटना की चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी तथा अगले आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित निकटतम जनपदीय थाना/चौकी के प्रतिनिधि को हस्तांतरित पीडित थाने पर जाकर स्वयं रिपोर्ट दर्ज करायेगा।	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी सीओ जीआरपी एसआरपी पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र.
			हां											
			नहीं	<input checked="" type="checkbox"/>										

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	गुमशुदगी	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत व्यक्ति की गुमशुदगी	हां	उच्च	✓ थाना प्रभारी जीआरपी	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) हां <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	एम्बुलेंस	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। घटना की चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी तथा अगले आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓ थाना प्रभारी जीआरपी
			✓ नहीं	✓ सामान्य	एसआरपी		अग्निशमन		ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	सीओ जीआरपी
					पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		एसआरपी	
					पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		जीआरपी/आर.पी.एफ नियन्त्रण कक्ष		पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	
					पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे		एससीआरबी		पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	
					. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.				पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र.	
					होम कंट्रोल				पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र.	
									पीडित थाने पर जाकर स्वयं रिपोर्ट दर्ज करायेगा।	

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
95	गुमशुदगी	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत महिला की गुमशुदगी	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता</u> <u>(आवश्यकतानुसार)</u> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>हां</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	हां	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फोरेसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) <input type="checkbox"/> जीआरपी/आर.पी.एफ नियन्त्रण कक्ष <input type="checkbox"/> एससीआरबी	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। घटना की चलित एफ.आई.आर. कितनी जायेगी तथा अगले आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर	<input type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input type="checkbox"/> ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित <input type="checkbox"/> निकटतम जनपदीय थाना/चौकी के प्रतिनिधि को हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> पीड़ित थाने पर जाकर	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा
			हां	<input type="checkbox"/>										
			नहीं	<input checked="" type="checkbox"/>										

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
96	गुमशुदगी	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत बच्चे की गुमशुदगी	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता</u> (आवश्यकतानुसार)	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) <input type="checkbox"/> जीआरपी/आर.पी.एफ नियन्त्रण कक्ष <input type="checkbox"/> एससीआरबी	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। घटना की चलित एफ.आई.आर. कितनी जायेगी तथा अगले आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर	<input type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input type="checkbox"/> ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित <input type="checkbox"/> निकटतम जनपदीय थाना/चौकी के प्रतिनिधि को हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> पीड़ित थाने पर जाकर	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा		
			नहीं	सामान्य	<input type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे		<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		हां	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input checked="" type="checkbox"/>
			हां	<input type="checkbox"/>								
			नहीं	<input checked="" type="checkbox"/>								

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर. पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
98	आर्थिक अपराध	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत अवैध रुपये की बरामदगी/अवैध मूल्यवान वस्तु की	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जीआरपी	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04	एम्बुलेंस	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। घटना की चलित एफ.आई.आर. कितनी की जायेगी तथा अगले आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:-	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जीआरपी	
				नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)		फोरेंसिक	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
							✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	अग्निशमन		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	एसआरपी	
							✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/>			✓	निकटतम	

						पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे		जीआरपी/आर .पी.एफ नियन्त्रण कक्ष	<p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-</p> <p>01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।</p>	जनपदीय थाना/चौकी के प्रतिनिधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
							इनकम टैक्स विभाग	✓		पुलिस महा निरीक्षक रेलवे		
						. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.	कस्टम विभाग			पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र.		
						होम कण्ट्रोल रेलवे	व्यापार कर विभाग			होमकण्ट्रोल रेलवे		

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
99	हत्या का प्रयास	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत फायर आर्म्स/धारदार हथियार से/विष के	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जीआरपी	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। घटना की चलिता एफ.आई.आर. कितनी की जायेगी तथा अगले आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। अभियुक्त यदि मौके पर है तो	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जीआरपी			
				नहीं		सामान्य	✓	एसआरपी				ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी	
							✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे			अग्निशमन			✓	एसआरपी
							✓	पुलिसमहा			जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	अन्य, यदि कोई हो (नाम)			
						हां									

						होम कण्ट्रोल रेलवे		कक्ष					रेलवे
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	------	--	--	--	--	-------

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
103	तस्कारी	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत सोन/अन्य प्रतिबन्धित सामानों की तस्कारी	✓	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input checked="" type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। घटना की चलित एफ.आई.आर. किता की जायेगी तथा अगले आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-	<input type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे					
				नहीं	✓	सामान्य	<input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक,	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-0 आ. (महिला)-0	<input type="checkbox"/> कस्टम विभाग <input type="checkbox"/> आयकर विभाग <input type="checkbox"/> प्रवर्तन/परिवहन विभाग (प्रशासन)							
								<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓				
			हां													
			नहीं	✓												

						उ.प्र.	आरक्षी (पु)-0	जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष	01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।	करना		
						होम कण्ट्रोल रेलवे		व्यापार कर विभाग				

						होम कण्ट्रोल रेलवे			चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।			
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

						होम कण्ट्रोल रेलवे			<p>संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।</p>		
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	---	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
106	आत्महत्या का प्रयास	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास करना	✓	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u>	<input checked="" type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input checked="" type="checkbox"/> फोरेंसिक <input checked="" type="checkbox"/> अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास करेंगे तथा उसको आत्महत्या करने के कारणों के बारे में जानकारी करेंगे तथा आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक उ.प्र. होमकण्ट्रोल रेलवे
			नहीं	✓	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/>			

						होम कण्ट्रोल रेलवे				<p>संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।</p>			
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---	--	--	--

						होम कण्ट्रोल रेलवे					<p>संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।</p>			
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
108	आत्महत्या का प्रयास	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत आग्नेयास्त्र/धारदार हथियार/अन्य घातक हथियार से आत्महत्या का प्रयास करना	✓	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	<input checked="" type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input checked="" type="checkbox"/> फोरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास करेंगे तथा उसको आत्महत्या करने के कारणों के बारे में जानकारी करेंगे तथा आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
			हां												
			नहीं	✓											
			नहीं	✓	सामान्य	<input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे		<input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे							

							होम कण्ट्रोल रेलवे			संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।			
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
109	आत्महत्या का प्रयास	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत पानी में कूदकर (नदी, नहर, झील, स्विमिंग पूल, पोखर आदि) आत्महत्या का प्रयास करना	✓	हां	उच्च	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सी.ओ. जीआरपी ✓ एसआरपी पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓ एम्बुलेंस फोरेंसिक ✓ अग्निशमन ✓ अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास करेंगे तथा उसको आत्महत्या करने के कारणों के बारे में जानकारी करेंगे तथा आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत कराएंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित ✓ घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सीओ जीआरपी ✓ एसआरपी पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. होमकण्ट्रोल रेलवे	
				नहीं	✓	सामान्य	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04	गोताखोर/ बचाव दल			

						<p>होम कण्ट्रोल रेलवे</p>				<p>संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रुम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरुम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।</p>				
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
110	आत्महत्या का प्रयास	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास करना	✓	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	<input checked="" type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास करेंगे तथा उसको आत्महत्या करने के कारणों के बारे में जानकारी करेंगे तथा आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत कराएंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
			हां												
			नहीं	✓											
				नहीं	✓	सामान्य		<input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.	<input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे						

					होम कण्ट्रोल रेलवे			<p>संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।</p>		
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	---	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
111	आत्महत्या	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत विष से आत्महत्या	✓	हां	✓	उच्च	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	एम्बुलेंस फोरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आत्महत्या के कारणों के बारे में जानकारी करेंगे तथा आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	✓ थाना प्रभारी ✓ सीओ जीआरपी ✓ एसआरपी ✓ पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. होमकण्ट्रोल रेलवे
			हां												
			नहीं	✓											
				नहीं		सामान्य		थाना प्रभारी जीआरपी सी.ओ. जीआरपी एसआरपी पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04						

						होम कण्ट्रोल रेलवे									चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।				
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
112	आत्महत्या	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत आग्नेयास्त्र/धारदारहथियार/अन्य घातक हथियार से आत्महत्या	✓	हां	✓	उच्च	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सी.ओ. जीआरपी ✓ एसआरपी ✓ पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	एम्बुलेंस ✓ फोरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आत्महत्या के कारणों के बारे में जानकारी करेंगे तथा आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित ✓ घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सीओ जीआरपी ✓ एसआरपी ✓ पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. होमकण्ट्रोल रेलवे				
				नहीं		सामान्य	✓ पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे . पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓			
			हां													
			नहीं	✓												

						होम कण्ट्रोल रेलवे			<p>चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।</p>			
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	---	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
113	आत्महत्या	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत आग लगाकर आत्महत्या करना	✓	हां	✓	उच्च	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सी.ओ. जीआरपी ✓ एसआरपी ✓ पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	एम्बुलेंस ✓ फोरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आत्महत्या के कारणों के बारे में जानकारी करेंगे तथा आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:- 01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सीओ जीआरपी ✓ एसआरपी ✓ पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र. होमकण्ट्रोल रेलवे
				नहीं		सामान्य	✓ पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे . पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04	हां नहीं			

						होम कण्ट्रोल रेलवे			चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कराया जायेगा व घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।				
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

						होम कण्ट्रोल रेलवे				<p>चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कराया जायेगा व घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।</p>			
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---	--	--	--

							होम कण्ट्रोल रेलवे			चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कराया जायेगा व घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।				
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

								<p>होम कण्ट्रोल रेलवे</p>				<p>चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कराया जायेगा व घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	---

						होम कण्ट्रोल रेलवे			संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कराया जायेगा व घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।				
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
118	संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत भवन, परिसर, स्थान में संदिग्ध व्यक्ति की सूचना	✓	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) हां <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-0 आ. (महिला)-0	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर पहुंच कर संदिग्ध व्यक्ति को अपने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करते हुए तलाशी लेंगे तथा घटना की जानकारी आने वाले रेलवे स्टेशन के सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- संदिग्ध व्यक्ति की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे
			नहीं	✓	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.					

						होम कण्ट्रोल रेलवे	आरक्षी (पु)-0			<p>01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर, कोच संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कराया जायेगा व घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।</p>	करना		
--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	--	--	---	------	--	--

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
120	संदिग्ध वस्तु की सूचना	रेलवे स्टेशन/सर्कुलेंटिंग एरिया/पार्किंग/आउटर सिग्नल तक संदिग्ध वस्तु की सूचना	✓	हां	✓	उच्च	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सी.ओ. जीआरपी ✓ एसआरपी पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td></td> </tr> </table>	हां	✓	नहीं		एम्बुलेंस ✓ फोरेंसिक ✓ अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) बीडीएस/डाग स्क्वायड जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष स्टेशन अधीक्षक रेलवे कण्ट्रोल जिलाधिकारी	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01- उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि यात्रियों को सुरक्षा का आभास कराते हुए आगे आने वाले स्टेशन के थाना प्रभारी से सम्पर्क कर ट्रेन को अगले स्टेशन पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। 02- घटनास्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी:- A- स्थान कौन सा है, चिन्हित करेंगे, आस पास विस्फोटक/ज्वलनशील पदार्थ व कोई प्रतिष्ठान तो नहीं है। B- थाना प्रभारी के नेतृत्व में पीआरवी कर्मियों की मदद से स्थान का घेराव करेंगे तथा बीडीएस टीम द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। C- घटनास्थल संदिग्ध वस्तु व समस्त कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। D- यदि आवश्यकता है तो थाना प्रभारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की जायेगी। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:-	✓ ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा ✓ स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित ✓ घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सीओ जीआरपी ✓ एसआरपी पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. होमकण्ट्रोल रेलवे
			हां	✓												
			नहीं													

होम कण्ट्रोल
रेलवे

01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल ट्रेन को निकटतम अगले स्टेशन पर जहां पर जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है, पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे।

02-घटनास्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी:-

A-स्थान कौन सा है, चिन्हित करेंगे, आस पास विस्फोटक/ज्वलनशील पदार्थ व कोई प्रतिष्ठान तो नहीं है।

B-थाना प्रभारी के नेतृत्व में पीआरवी कर्मियों की मदद से स्थान का घेराव करेंगे तथा बीडीएस टीम द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

C-घटनास्थल संदिग्ध वस्तु व समस्त कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी।

D-यदि आवश्यकता है तो थाना प्रभारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की जायेगी।

C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-

01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर संदिग्ध स्थान, वस्तु को चिन्हित कर उसकी घेराबन्दी करेंगे।

02-उस स्थान से जनता को हटायेंगे।

03-बीडीएस टीम द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

04-घटनास्थल, संदिग्ध वस्तु व समस्त सूत्र कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी।

05-यदि आवश्यकता है तो थाना प्रभारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की जायेगी।

D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-

जनपदीय कण्ट्रोलरूम के माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही शीर्षक-बी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
121	आतंकवादी घटना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत सरकारी भवन/जीआरपी थाना/समूह/सुरक्षा बल मुख्यालय आदि पर हमला	✓	हां	✓	उच्च	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सी.ओ. जीआरपी ✓ एसआरपी ✓ पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. PRV की आवश्यकता - 05 PRV	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) हां ✓ नहीं	एम्बुलेंस फोरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) बीडीएस/डाग स्कवायड जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष स्टेशन अधीक्षक रेलवे कण्ट्रोल जिलाधिकारी	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01- उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि यात्रियों को सुरक्षा का आभास कराते हुए आगे आने वाले स्टेशन के थाना प्रभारी से सम्पर्क कर ट्रेन को अगले स्टेशन पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। 02- घटनास्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी:- A- सर्वप्रथम उस क्षेत्र का घेराव करेंगे तथा मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अगर कोई घायल है तो सर्वप्रथम चिकित्सीय उपचार हेतु भेजा जायेगा। B- घटनास्थल संदिग्ध वस्तु व समस्त कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। C- यदि आवश्यकता है तो थाना प्रभारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की जायेगी। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01- रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल ट्रेन को निकटतम अगले स्टेशन पर जहां पर जीआरपी	✓ ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा ✓ स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित ✓ घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सीओ जीआरपी ✓ एसआरपी ✓ पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. होमकण्ट्रोल रेलवे

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाइडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
122	आतंकवादी घटना	सर्कुलेंटिंग एरिया के व्यक्तिगत वाहन/सरकारी वाहन/सुरक्षा बल के वाहन पर हमला	✓	हां	✓	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>हां</td><td>✓</td></tr> <tr><td>नहीं</td><td></td></tr> </table>	हां	✓	नहीं		<input checked="" type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input checked="" type="checkbox"/> फॉरेंसिक <input checked="" type="checkbox"/> अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) बीडीएस/डाग स्कवायड जिलाधिकारी नियन्त्रण कक्ष स्टेशन अधीक्षक रेलवे कण्ट्रोल जिलाधिकारी	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि यात्रियों को सुरक्षा का आभास कराते हुए आगे आने वाले स्टेशन के थाना प्रभारी से सम्पर्क कर ट्रेन को अगले स्टेशन पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। 02-घटनास्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी:- A-सर्वप्रथम उस क्षेत्र का घेराव करेंगे तथा मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अगर कोई घायल है तो सर्वप्रथम चिकित्सीय उपचार हेतु भेजा जायेगा। B-घटनास्थल संदिग्ध वस्तु व समस्त कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। C-यदि आवश्यकता है तो थाना प्रभारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की जायेगी। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल ट्रेन को निकटतम अगले स्टेशन पर जहां पर जीआरपी	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे
			हां	✓												
			नहीं													
			नहीं	सामान्य	<input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02 PRV की आवश्यकता										

						<p>होम कण्ट्रोल रेलवे</p>	- 02 PRV				<p>थाना/चौकी स्थापित है, पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>02-घटनास्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी:-</p> <p>A-सर्वप्रथम उस क्षेत्र का घेराव करेंगे तथा मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अगर कोई घायल है तो सर्वप्रथम चिकित्सीय उपचार हेतु भेजा जायेगा।</p> <p>B-घटनास्थल संदिग्ध वस्तु व समस्त कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी।</p> <p>C-यदि आवश्यकता है तो थाना प्रभारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की जायेगी।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे तथा उपरोक्त शीर्षक बी के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>जनपदीय कण्ट्रोलरूम के माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही शीर्षक-बी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।</p>					
--	--	--	--	--	--	---------------------------	----------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

						<p>होम कण्ट्रोल रेलवे</p>			<p>सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी।</p> <p>B-थाना प्रभारी द्वारा डिजिटल एल्बम से अपराधियों की फोटो दिखा कर पहचानवाने का प्रयास किया जायेगा।</p> <p>C-यदि मोबाइल/लैपटाप चोरी गया है तो सर्विलांश की मदद ली जायेगी तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>02-सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की जानकारी की जायेगी तथा उपरोक्त शीर्षक बी के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>जनपदीय कण्ट्रोलरूम के माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही शीर्षक-बी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।</p>		
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

होम कण्ट्रोल
रेलवे

सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी।

B-थाना प्रभारी द्वारा डिजिटल एल्बम से अपराधियों की फोटो दिखा कर पहचानवाने का प्रयास किया जायेगा।

C-यदि मोबाइल/लेपटाप चोरी गया है तो सर्विलांश की मदद ली जायेगी तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-

01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।

02-सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की जानकारी की जायेगी तथा उपरोक्त शीर्षक बी के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-

जनपदीय कण्ट्रोलरूम के माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही शीर्षक-बी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
125	चोरी	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत पशु की चोरी	✓	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-03	एम्बुलेंस फोरेंसिक अग्निशमन	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि यात्री से सम्पर्क करके चोरी गये पशु के सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी, सम्बन्धित का हुलिया नोट कर ट्रेन में संदिग्ध की तलाश की जायेगी। 02-आने वाले स्टेशन को सूचित कर थाना प्रभारी को घटना के बारे में बतायेंगे तथा थाना प्रभारी द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल ट्रेन को निकटतम अगले स्टेशन पर जहां पर जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है, पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। 02-घटनास्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी:- A-थाना प्रभारी द्वारा तत्काल वादी से वार्ता कर घटना के सम्बन्ध में एवं चोरी गये पशु के	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र. होमकण्ट्रोल रेलवे	
				नहीं	✓	सामान्य	<input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	आरपीएफ कण्ट्रोल			
								उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02				
								उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02				
								उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02				
								उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02				
								उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02				
								उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02				
								उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02				
								उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02				
								उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02				

						होम कण्ट्रोल रेलवे			सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी। B-थाना प्रभारी द्वारा डिजिटल एल्बम से अपराधियों की फोटो दिखा कर पहचानवाने का प्रयास किया जायेगा। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। 02-सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की जानकारी की जायेगी तथा उपरोक्त शीर्षक बी के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- जनपदीय कण्ट्रोलरूम के माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही शीर्षक-बी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।			
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	---	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
127	लूट	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत कैशियर से लूट	✓	हां	✓	उच्च	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सी.ओ. जीआरपी ✓ एसआरपी ✓ पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>हां</td><td></td></tr> <tr><td>नहीं</td><td>✓</td></tr> </table>	हां		नहीं	✓	एम्बुलेंस ✓ फोरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) आरपीएफ रेलवे कण्ट्रोल स्टेशन अधीक्षक डाग स्क्वाड	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि यात्री से सम्पर्क करके चोरी गये पशु के सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी, सम्बन्धित का हुलिया नोट कर ट्रेन में संदिग्ध की तलाश की जायेगी। 02-आने वाले स्टेशन को सूचित कर थाना प्रभारी को घटना के बारे में बतायेंगे तथा थाना प्रभारी द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल ट्रेन को निकटतम अगले स्टेशन पर जहां पर जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है, पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। 02-घटनास्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी:- A-थाना प्रभारी द्वारा तत्काल वादी से वार्ता कर घटना के सम्बन्ध में एवं चोरी गये पशु के सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी।	✓ ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा ✓ स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित ✓ घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सीओ जीआरपी ✓ एसआरपी ✓ पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. होमकण्ट्रोल रेलवे
			हां													
			नहीं	✓												

								<p>होम कण्ट्रोल रेलवे</p>						<p>B-थाना प्रभारी द्वारा डिजिटल एल्बम से अपराधियों की फोटो दिखा कर पहचानवाने का प्रयास किया जायेगा।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>02-सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की जानकारी की जायेगी तथा उपरोक्त शीर्षक बी के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>जनपदीय कण्ट्रोलरुम के माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही शीर्षक-बी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	---

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाइडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
128	लूट	स्टेशन मास्टर के केश कार्यालय में लूट	✓	हां	✓	उच्च	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सी.ओ. जीआरपी ✓ एसआरपी ✓ पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u>	एम्बुलेंस ✓ फॉरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) आरपीएफ रेलवे कण्ट्रोल स्टेशन अधीक्षक डाग स्क्वाड	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि यात्री से सम्पर्क करके लूटे गये सामान के सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी, सम्बन्धित का हुलिया नोट कर ट्रेन में संदिग्ध की तलाश की जायेगी। 02-आने वाले स्टेशन को सूचित कर थाना प्रभारी को घटना के बारे में बतायेंगे तथा थाना प्रभारी द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल ट्रेन को निकटतम अगले स्टेशन पर जहां पर जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है, पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। 02-घटनास्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी:- A-थाना प्रभारी द्वारा तत्काल वादी से वार्ता कर घटना के सम्बन्ध में एवं लूटे गये सामान के सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी।	✓ ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा ✓ स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित ✓ घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सीओ जीआरपी ✓ एसआरपी ✓ पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र. होमकण्ट्रोल रेलवे			
			नहीं	सामान्य	✓ पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे ✓ पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓				
			हां												
			नहीं	✓											

						होम कण्ट्रोल रेलवे				<p>B-थाना प्रभारी द्वारा उपलब्ध डिजिटल एल्बम से अपराधियों की फोटो दिखा कर पहचानवाने का प्रयास किया जायेगा।</p> <p>C-यदि मोबाइल/लैपटाप लूटा गया है तो सर्विलांश की मदद ली जायेगी तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>02-सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की जानकारी की जायेगी तथा उपरोक्त शीर्षक बी के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>जनपदीय कण्ट्रोलरुम के माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही शीर्षक-बी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।</p>			
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	---	--	--	--

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
129	लूट	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत आम नागरिक से लूट	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जीआरपी	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01	✓	एम्बुलेंस	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना. जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने पर Arrived की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02-किसी लावारिश व्यक्ति, महिला, बच्चा, वस्तु, वाहन, जानवर की सूचना पर आस पास के लोगों से जानकारी प्राप्त की जायेगी। मौके की सही स्थिति का आकलन कर थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को घटना के विषय में अवगत कराना।</p> <p>03-यदि लावारिश वस्तु के बम/विस्फोटक पदार्थ होने की संभावना प्रतीत होती है तो घटना को सुरक्षित करना, इससे छेड़छाड़ न करना एवं बीडीएस एवं थानाध्यक्ष को घटनास्थल पर भेजने हेतु सूचित करना।</p> <p>04-भीड़ को हटाकर आस-पास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजना एवं सुरक्षित दूरी से घटनास्थल को कार्डन करना एवं यह सारी कार्यवाही सूझबूझ से करना ताकि रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म पर भगदड़ व अफरा-तफरी की स्थिति न उत्पन्न हो।</p> <p>05-लावारिश महिला व बच्चे की बरामदगी पर मानवीय संवेदना एवं मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हुए महिला पुलिस की सहायता ली जाये। बरामद बच्चों व महिलाओं को बाल संरक्षण व महिला सेवा आश्रम में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति की कार्यवाही की जाये। बच्चे को उनके माता पिता की तलाश कर सुपुर्द किया जाये। लावारिश महिला व बच्चे की फोटो निर्धारित गुम व्यक्तियों पर अपलोड किया जाये।</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जीआरपी
				नहीं		सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓	फोरेसिक	<p>03-यदि लावारिश वस्तु के बम/विस्फोटक पदार्थ होने की संभावना प्रतीत होती है तो घटना को सुरक्षित करना, इससे छेड़छाड़ न करना एवं बीडीएस एवं थानाध्यक्ष को घटनास्थल पर भेजने हेतु सूचित करना।</p> <p>04-भीड़ को हटाकर आस-पास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजना एवं सुरक्षित दूरी से घटनास्थल को कार्डन करना एवं यह सारी कार्यवाही सूझबूझ से करना ताकि रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म पर भगदड़ व अफरा-तफरी की स्थिति न उत्पन्न हो।</p> <p>05-लावारिश महिला व बच्चे की बरामदगी पर मानवीय संवेदना एवं मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हुए महिला पुलिस की सहायता ली जाये। बरामद बच्चों व महिलाओं को बाल संरक्षण व महिला सेवा आश्रम में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति की कार्यवाही की जाये। बच्चे को उनके माता पिता की तलाश कर सुपुर्द किया जाये। लावारिश महिला व बच्चे की फोटो निर्धारित गुम व्यक्तियों पर अपलोड किया जाये।</p>		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआर पी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
							✓	एसआरपी		अग्निशमन	✓			अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	एसआरपी	
								पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	हां नहीं	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	अग्निशमन		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे
								पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	अग्निशमन		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
								पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	अग्निशमन		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
								पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	अग्निशमन		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
								होमकण्ट्रोल रेलवे		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	अग्निशमन		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
										अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	अग्निशमन		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे
										अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	अग्निशमन		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाइर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
130	लूट	रेल में लूट	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जीआरपी	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01	एम्बुलेंस	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी बल को समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने पर Arrived की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02-किसी लावारिश व्यक्ति, महिला, बच्चा, वस्तु, वाहन, जानवर की सूचना पर आस पास के लोगों से जानकारी प्राप्त की जायेगी। मौके की सही स्थिति का आकलन कर थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को घटना के विषय में अवगत कराना।</p> <p>03-यदि लावारिश वस्तु के बम/विस्फोटक पदार्थ होने की संभावना प्रतीत होती है तो घटना को सुरक्षित करना, इससे छेड़छाड़ न करना एवं बीडीएस एवं थानाध्यक्ष को घटनास्थल पर भेजने हेतु सूचित करना।</p> <p>04-भीड़ को हटाकर आस-पास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजना एवं सुरक्षित दूरी से घटनास्थल को कार्डन करना एवं यह सारी कार्यवाही सूझबूझ से करना ताकि रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म पर भगदड़ व अफरा-तफरी की स्थिति न उत्पन्न हो।</p> <p>05-लावारिश महिला व बच्चे की बरामदगी पर मानवीय संवेदना एवं मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हुए महिला पुलिस की सहायता ली जाये। बरामद बच्चों व महिलाओं को बाल संरक्षण व महिला सेवा आश्रम में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति की कार्यवाही की जाये। बच्चे को उनके माता पिता की तलाश कर सुपुर्द किया जाये। लावारिश महिला व बच्चे की फोटो निर्धारित गुम</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जीआरपी
				नहीं		सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	✓	फोरेसिक		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
							✓	एसआरपी	हॉ <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	अग्निशमन	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
								पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	(गंभीरता एवं विस्तार के अनुसार पुलिस बल बढ़ाया जा सकता है)	अग्निशमन	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे
								पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		अग्निशमन	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
								पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		अग्निशमन	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
								. पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		अग्निशमन	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
								होमकण्ट्रोल रेलवे		अग्निशमन	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	. पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
										अग्निशमन	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे
										अग्निशमन	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
131	इकैती	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत एटीएम/फैक्ट्री/मकान/दुकान व अन्य परिसर में इकैती	✓	हां	✓ उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input checked="" type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि यात्रियों को सुरक्षा का आभाष दिलाते हुए ट्रेन को अगले स्टेशन पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। 02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य हो गा कि जिन यात्रियों के साथ घटना घटित हुई है उनसे सम्पर्क कर घटना व संदिग्ध की हुलिया की जानकारी करेंगे तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल ट्रेन को निकटतम अगले स्टेशन पर जहां पर जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है, पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। 02-घटनास्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी:- A-थाना प्रभारी द्वारा तत्काल वादी से वार्ता कर घटना के सम्बन्ध में एवं संदिग्धों के हुलिया के सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी।	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना			
			नहीं	सामान्य	<input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02 PRV की आवश्यकता - 02 PRV	<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td></td> </tr> </table>	हां	✓	नहीं		स्टेशन अधीक्षक डाग स्क्वाड	<input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे
			हां	✓										
			नहीं											

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
132	इकैती	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत रोड पर इकैती	✓	हां	✓	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	एम्बुलेंस <input checked="" type="checkbox"/> फोरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) आरपीएफ रेलवे कण्ट्रोल स्टेशन अधीक्षक डाग स्क्वाड	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि यात्रियों को सुरक्षा का आभाष दिलाते हुए ट्रेन को अगले स्टेशन पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। 02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि जिन यात्रियों के साथ घटना घटित हुई है उनसे सम्पर्क कर घटना व संदिग्ध की हुलिया की जानकारी करेंगे तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल ट्रेन को निकटतम अगले स्टेशन पर जहां पर जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है, पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। 02-घटनास्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी:- A-थाना प्रभारी द्वारा तत्काल वादी से वार्ता कर घटना के सम्बन्ध में एवं संदिग्धों के हुलिया के सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी।	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे

						होम कण्ट्रोल रेलवे				<p>संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।</p>			
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---	--	--	--

						होम कण्ट्रोल रेलवे				<p>संख्या व सीट नंबर तथा पहचान चिन्ह विशिष्ट चिन्ह एवं वाहन/ट्रेन के जाने की दिशा आदि की जानकारी कर जीआरपी के समस्त थानों द्वारा चेकिंग जीआरपी नियन्त्रण कक्ष को तथा क्षेत्राधिकारी रेलवे को सूचित करना।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।</p>			
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---	--	--	--

होम कण्ट्रोल
रेलवे

B-थाना प्रभारी द्वारा उपलब्ध डिजिटल एल्बम से अपराधियों की फोटो दिखा कर पहचानवाने का प्रयास किया जायेगा।

C-यदि मोबाइल/लैपटाप लूटा गया है तो सर्विलांस की मदद ली जायेगी तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-

01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।

02-सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की जानकारी की जायेगी तथा उपरोक्त शीर्षक बी के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-

जनपदीय कण्ट्रोलरुम के माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही शीर्षक-बी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
139	जहरखुरानी	रेलवे स्टेशन/ट्रेन में जहरखुरानी	✓	हां	✓	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u>	<input checked="" type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फॉरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि ट्रेन को अगले स्टेशन पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे तथा अगले स्टेशन के थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि जिनके साथ घटना घटित हुई है यदि पीड़ित बेहोश है तो तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु भेजा जायेगा, पीड़ित के सहयात्रियों से वार्ता कर घटना के सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी और संदिग्ध की तलाश करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल ट्रेन को निकटतम अगले स्टेशन पर जहां पर जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है, पर रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। 02-घटनास्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी:- A-थाना प्रभारी द्वारा तत्काल वादी/सहयात्रियों से वार्ता कर घटना एवं संदिग्ध का हुलिया इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी। B-थाना प्रभारी द्वारा उपलब्ध डिजिटल एल्बम से	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उ.प्र. होमकण्ट्रोल रेलवे		
			नहीं	सामान्य	<input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓			
			हां											
			नहीं	✓										

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
140	यातायात जाम	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत वाहन खराब होने के कारण, अवैध पार्किंग के कारण, सड़क मरम्मत होने पर, अतिक्रमण के कारण जाम	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table> उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	हां		नहीं	✓	एम्बुलेंस फोरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) आरपीएफ रेलवे कण्ट्रोल	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर जाम से निपटने हेतु शान्तिपूर्ण ढंग से वार्ता कर समस्या का समाधान करेंगे। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर शान्तिपूर्ण ढंग से वार्ता कर समस्या का समाधान करेंगे। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे उपरोक्त शीर्षक बी के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- जनपदीय कण्ट्रोलरूम के माध्यम से सम्बन्धित	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र. घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र. घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना
			हां												
			नहीं	✓											

							होम कण्ट्रोल रेलवे			जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।				
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाइडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
141	यातायात जाम	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत अक्रियाशील ट्रैफिक लाइट	✓	हां	✓	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u>	एम्बुलेंस फॉरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर जाम से निपटने हेतु शान्तिपूर्ण ढंग से वार्ता कर समस्या का समाधान करेंगे।	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
			नहीं	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	आरपीएफ रेलवे कण्ट्रोल	B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर शान्तिपूर्ण ढंग से वार्ता कर समस्या का समाधान करेंगे।	<input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. होमकण्ट्रोल रेलवे		
							हां <input type="checkbox"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/>			C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे उपरोक्त शीर्षक बी के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।		
							पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.			D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- जनपदीय कण्ट्रोलरुम के माध्यम से सम्बन्धित		

							होम कण्ट्रोल रेलवे			जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।				
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
142	यातायात जाम	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत जुल्स के कारण, धरना/प्रदर्शन के कारण	✓	हां	✓	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u>	एम्बुलेंस फॉरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर जाम से निपटने हेतु शान्तिपूर्ण ढंग से वार्ता कर समस्या का समाधान करेंगे।	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे
			नहीं	सामान्य	<input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	आरपीएफ रेलवे कण्ट्रोल	B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर शान्तिपूर्ण ढंग से वार्ता कर समस्या का समाधान करेंगे।	<input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. होमकण्ट्रोल रेलवे		
							हां <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>			C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे उपरोक्त शीर्षक बी के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।		
							पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.			D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- जनपदीय कण्ट्रोलरुम के माध्यम से सम्बन्धित		

							होम कण्ट्रोल रेलवे			जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।				
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

							होम कण्ट्रोल रेलवे			जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।				
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
144	यातायात जाम	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत बासात के करण	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u> हां <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	एम्बुलेंस फोरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें) आरपीएफ रेलवे कण्ट्रोल	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर जाम से निपटने हेतु शान्तिपूर्ण ढंग से वार्ता कर समस्या का समाधान करेंगे। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर शान्तिपूर्ण ढंग से वार्ता कर समस्या का समाधान करेंगे। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे उपरोक्त शीर्षक बी के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- जनपदीय कण्ट्रोलरूम के माध्यम से सम्बन्धित	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे

							होम कण्ट्रोल रेलवे			जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।				
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

							होम कण्ट्रोल रेलवे			जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।				
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	नशे में/बेहोश व्यक्ति मिलने	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में बेहोश पड़े होना	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-0 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-02 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u> हां <input type="checkbox"/> नही <input checked="" type="checkbox"/> नोट:-यदि रेलवे स्टेशन की घटना, जहां जीआरपी का थाना/चौकी स्थापित नहीं है	<input checked="" type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-इस प्रकार की सूचना यदि चलती ट्रेन, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है, में नशे में बेहोश व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती है तो जीआरपी बल द्वारा मौके पर पहुंच कर व्यक्ति से उसका नाम पता (यदि बता पाने की स्थिति में है तो) एवं वहां पर आने का कारण पूछना। यदि व्यक्ति से परिजनों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उन्हें सूचित करना। 02-यदि व्यक्ति कुछ भी बता पाने की स्थिति में न हो तो उसे ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले जीआरपी रेलवे स्टेशन के थाने को प्राथमिक उपचार हेतु सुपुर्द किया जाये। सम्बन्धित जीआरपी थाना ऐसे व्यक्ति को प्राथमिक उपचार प्रदान करते हुए एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना एवं परिजन तथा स्थानीय थाने को सूचित करना। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-यदि ट्रेन में जीआरपी का स्कोर्ट नहीं है तो ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले जीआरपी थाने को सूचित किया जायेगा। 02-शेष कार्यवाही उपरोक्त बिन्दु संख्या 02 की भांति की जायेगी। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-रेलवे स्टेशन परिसर आदि में नशे में बेहोश	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे
			नहीं	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर					

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
147	पुलिस के विरुद्ध सूचना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत पुलिस द्वारा गाली गलौज की सूचना	✓	हां	✓ उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-00 उ.नि. (पु)-00 मु.आ.-00 आ. (महिला)-00 आरक्षी (पु)-00 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि अगर आरोपी अधिकारी/कर्मचारी मौके पर मौजूद है तो अपने हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर यात्रियों से घटना के बारे में पूछताछ करेंगे। यदि घटना सत्य पायी जाती है तो नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे और यदि आरोपी मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर आस पास मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना की सत्यता का पता लगायेंगे तथा उपरोक्त शीर्षक बी के अन्तर्गत विधिक	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. स्टेशन मास्टर होमकण्ट्रोल रेलवे			
			नहीं	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर	उ.नि.(महिला)-00 उ.नि. (पु)- 00 मु.आ.-00 आ. (महिला)-00 आरक्षी (पु)-00	<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	आरपीएफ	घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	होमकण्ट्रोल रेलवे
			हां											
			नहीं	✓										

							होम कण्ट्रोल रेलवे				कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- जनपदीय कण्ट्रोलरूम के माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।			
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
148	पुलिस के विरुद्ध सूचना	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की सूचना, पुलिस अभिरक्षा में बलात्कार की सूचना	✓	हां	✓	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input checked="" type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि अभियुक्त मौके पर मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर मामले की पूंछताछ करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि अभियुक्त मौके पर मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर मामले की पूंछताछ करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि अभियुक्त मौके पर मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर मामले की पूंछताछ करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे।	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना <input checked="" type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर		
			नहीं	सामान्य	<input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. स्टेशन मास्टर होम कण्ट्रोल रेलवे	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार (जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है))	<input type="checkbox"/> आरपीएफ	<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना
			हां											
			नहीं	✓										

											D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- जनपदीय कण्ट्रोलरूम के माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।				रेलवे
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
149	पुलिस के विरुद्ध सूचना	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुलिस द्वारा विभागीय गरिमा विरुद्ध कार्य की सूचना।	✓	हां	✓	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input checked="" type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नामअंकित करें)	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01- उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि अभियुक्त मौके पर मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01- रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि अभियुक्त मौके पर मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि अभियुक्त मौके पर मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे।	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना <input checked="" type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input checked="" type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल		
			नहीं	सामान्य	<input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. स्टेशन मास्टर होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓			
			हां											
			नहीं	✓										

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
150	पुलिस के विरुद्ध सूचना	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुलिस हिरासत में मार पीट की सूचना।	✓	हां	✓	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input checked="" type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नामअंकित करें)	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01- उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि अभियुक्त मौके पर मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01- रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि अभियुक्त मौके पर मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि अभियुक्त मौके पर मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे।	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input checked="" type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे		
			नहीं	सामान्य	<input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. स्टेशन मास्टर होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓		<input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input checked="" type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल
			हां											
			नहीं	✓										

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
151	पुलिस के विरुद्ध सूचना	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुलिस द्वारा रिश्तत मांगने की सूचना।	✓	हां	✓	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है)</u>	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input checked="" type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नामअंकित करें)	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01- उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि अभियुक्त मौके पर मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01- रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि अभियुक्त मौके पर मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि अभियुक्त मौके पर मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ करेंगे। तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे।	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input checked="" type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे		
			नहीं	सामान्य	<input checked="" type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input checked="" type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. स्टेशन मास्टर होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓		<input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input checked="" type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल
			हां											
			नहीं	✓										

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
152	पुलिस के विरुद्ध सूचना	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुलिस द्वारा विवेचना में लापरवाही की सूचना।	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जनपदीय थाना/ जी.आर.पी. थाना	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01	एम्बुलेंस	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन में स्कोर्टकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रुट में पड़ने वाले अगले रेलवे स्टेशन जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को सूचना दी जायेगी। 02-जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी इस प्रकार की सूचना को रेलवे के स्टेशन मास्टर को अवगत कराते हुए घटनास्थल पर पहुंच कर जांच एवं पीड़ित व्यक्तियों द्वारा पूछताछ कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उच्चाधिकारियों को पूरी स्थिति से अवगत कराया जायेगा। 03-स्कोर्ट कर्मियों पर पैसे का लेन-देन का आरोप सही पाये जाने पर अथवा मौके से स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच अधिकारी द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए उचित एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को एवं जीआरपी कण्ट्रोल रूम को दी जायेगी। 04-शिकायतकर्ता द्वारा यदि स्कोर्टकर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जाता है तो जीआरपी थाना प्रभारी प्र.सू.रि. समुचित धाराओं में स्कोर्टकर्मियों के विरुद्ध चलित एफ.आई.आर. पंजीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जनपदीय थाना/जी.आर.पी. थाना		
				नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी./जनपदीय	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	अग्निशमन		02-जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी इस प्रकार की सूचना को रेलवे के स्टेशन मास्टर को अवगत कराते हुए घटनास्थल पर पहुंच कर जांच एवं पीड़ित व्यक्तियों द्वारा पूछताछ कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उच्चाधिकारियों को पूरी स्थिति से अवगत कराया जायेगा।	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी/जनपदीय	
							✓	एसआरपी	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	हं		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	03-स्कोर्ट कर्मियों पर पैसे का लेन-देन का आरोप सही पाये जाने पर अथवा मौके से स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच अधिकारी द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए उचित एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को एवं जीआरपी कण्ट्रोल रूम को दी जायेगी।	निकटतम जनपदीय थाना/चौकी के प्रतिनिधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
								पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	नहीं		जीआरपी नियन्त्रण कक्षा	04-शिकायतकर्ता द्वारा यदि स्कोर्टकर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जाता है तो जीआरपी थाना प्रभारी प्र.सू.रि. समुचित धाराओं में स्कोर्टकर्मियों के विरुद्ध चलित एफ.आई.आर. पंजीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
					पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		स्थानीय अभिसूचना इकाई					DG/ADG RLY			
					होम कण्ट्रोल रेलवे	होम कण्ट्रोल रेलवे								होमकण्ट्रोल रेलवे		

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
153	पुलिस के विरुद्ध सूचना	ट्रेन में स्कोर्ट कर्मियों द्वारा दुर्यवहार की सूचना।	✓	हां	✓	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है)	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नामअंकित करें)	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि यदि आरोपी अधिकारी/कर्मचारी मौके पर मौजूद है तो मामले की पूछताछ करेंगे तथा आरोपी की सत्यता की जांच कराकर तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर यात्रियों से घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि घटना सत्य पायी जाती है और यदि आरोपी मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर आस-पास मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना की सत्यता का पता लगायेंगे तथा शीर्षक बी में उल्लिखित निर्देशानुसार	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना
			नहीं	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<input type="checkbox"/> सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	<input type="checkbox"/> स्कोर्ट पार्टी द्वारा	<input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे			
			हां	नहीं	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<input type="checkbox"/> सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	<input type="checkbox"/> स्कोर्ट पार्टी द्वारा	<input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे			
			नहीं	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<input type="checkbox"/> सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	<input type="checkbox"/> स्कोर्ट पार्टी द्वारा	<input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे			
			हां	नहीं	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<input type="checkbox"/> सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	<input type="checkbox"/> स्कोर्ट पार्टी द्वारा	<input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे			
			नहीं	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<input type="checkbox"/> सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	<input type="checkbox"/> स्कोर्ट पार्टी द्वारा	<input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे			
			हां	नहीं	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<input type="checkbox"/> सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	<input type="checkbox"/> स्कोर्ट पार्टी द्वारा	<input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे			
			नहीं	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<input type="checkbox"/> सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	<input type="checkbox"/> स्कोर्ट पार्टी द्वारा	<input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे			
			हां	नहीं	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<input type="checkbox"/> सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	<input type="checkbox"/> स्कोर्ट पार्टी द्वारा	<input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे			
			नहीं	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<input type="checkbox"/> सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	<input type="checkbox"/> स्कोर्ट पार्टी द्वारा	<input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे			

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
154	पुलिस के विरुद्ध सूचना	ट्रेन में स्कोर्ट कर्मियों द्वारा पैसों के लेन-देन की सूचना।	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जीआरपी	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04	एम्बुलेंस	<p>A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:-</p> <p>01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे।</p> <p>02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि यदि आरोपी अधिकारी/कर्मचारी मौके पर मौजूद है तो मामले की पूछताछ करेंगे तथा आरोपी की सत्यता की जांच कराकर तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे।</p> <p>B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:-</p> <p>01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा।</p> <p>02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर यात्रियों से घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि घटना सत्य पायी जाती है और यदि आरोपी मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर आस-पास मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना की सत्यता का पता लगायेंगे तथा शीर्षक बी में उल्लिखित निर्देशानुसार</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जीआरपी			
				नहीं		सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	फोरेंसिक	✓		सीओ जीआरपी						
							✓	एसआरपी	अग्निशमन	✓		एसआरपी						
								पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	अन्य, यदि कोई हो (नामअंकित करें)				पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे					
								पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष			✓	स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे				
								पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे	<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां			नहीं	✓				पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र.
			हां															
			नहीं	✓														
								. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.						पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र.				
								स्टेशन मास्टर	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01					स्टेशन मास्टर				
					होम कण्ट्रोल रेलवे	आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02			✓	घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	होमकण्ट्रोल रेलवे							

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
155	अन्य सरकारी विभागों के विरुद्ध सूचना	जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्तत मांगने की सूचना, सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यवाही न करने की सूचना, कार्य में लापरवाही की सूचना, कार्य में विलम्ब की सूचना।	✓	हां	✓	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार (जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है))	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नामअंकित करें)	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट चल रहा है:- 01- उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि यदि आरोपी अधिकारी/कर्मचारी मौके पर मौजूद है तो मामले की पूछताछ करेंगे तथा आरोपों की सत्यता की जांच कराकर तत्पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- 01- रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल समस्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर यात्रियों से घटना के बारे में जानकारी करेंगे तथा यदि घटना सत्य पायी जाती है और यदि आरोपी मौजूद है तो अपनी हिरासत में लेकर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर आस-पास मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना की सत्यता का पता लगायेंगे तथा शीर्षक बी में उल्लिखित निर्देशानुसार	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे				
			नहीं	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<input type="checkbox"/> सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	<input type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे							
								<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓				
			हां													
			नहीं	✓												

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
156	साइबर अपराध	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत ई-मेल हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग, बैंक खाता हैकिंग, अवैध रुप से बैंक से धन स्थानान्तरण, सोशल साइट पर आपत्तिजनक/अश्लील फोटो/वीडियो अपलोड करना	✓	हां	✓	उच्च	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सी.ओ. जीआरपी ✓ एसआरपी पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-04 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार (जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है))	एम्बुलेंस फोरेंसिक अग्निशमन अन्य, यदि कोई हो (नामअंकित करें)	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- 01-उक्त ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि पीड़ित व्यक्ति से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करेंगे तथा थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि मौके पर पहुंच कर पीड़ित व्यक्ति की अपेक्षानुसार मदद करेंगे तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- 01-रेलवे कण्ट्रोल के माध्यम से तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि मौके पर पहुंच कर पीड़ित व्यक्ति की अपेक्षानुसार मदद करेंगे तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि मौके पर पहुंच कर पीड़ित व्यक्ति की अपेक्षानुसार मदद करेंगे तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेंगे। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- जनपदीय कण्ट्रोलरूम के माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय थाने के थनाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंचते ही उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।	✓ ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा ✓ स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित ✓ घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सीओ जीआरपी ✓ एसआरपी पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. स्टेशन मास्टर होमकण्ट्रोल रेलवे			
			नहीं	सामान्य	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. स्टेशन मास्टर होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓				
			हां												
			नहीं	✓											

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
157	जीआरपी अन्तर्गत अन्य आकस्मिकतायें	ट्रेन में महिला कोच/विकलांग कोच/आरक्षित कोच में अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश	✓	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input checked="" type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार (जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है)) <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table>	हां		नहीं	✓	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input checked="" type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नामअंकित करें) <input type="checkbox"/> यातायात पुलिस <input checked="" type="checkbox"/> रेलवे विभाग	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- 01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाने/चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- सम्बन्धित स्कोर्टकर्मी घटनास्थल पर पहुंच कर अनधिकृत यात्रियों को सम्बन्धित कोच से हटायेंगे। 03- नजदीकी जीआरपी/जनपदीय थाने द्वारा ट्रेन में बैठे अनधिकृत व्यक्ति को उतार कर उसे अन्य कोच में भेजा जायेगा। 04- जीआरपी/जनपदीय थाना द्वारा ट्रेन में इयुटीरत टीटीई से अनधिकृत रूप से यात्रा कर रहे व्यक्तियों का जुर्माना कराया जायेगा। 05- महिला उ.नि./आरक्षी को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष एवं स्थानीय थाने को सूचित करना। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- 01- सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 05 की कार्यवाही की जायेगी। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01- सम्बन्धित जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को सूचित किया जायेगा।	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर
			हां												
			नहीं	✓											

											<p>02-जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी द्वारा तत्काल ट्रेन को अटेण्ड किया जायेगा।</p> <p>03-उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 05 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचना कर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही शीर्षक-ए के बिन्दु 02 से 05 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p>	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-------------------

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
158	जीआरपी अन्तर्गत अन्य आकस्मिकतायें	ट्रेन/रेलवे स्टेशन पर यात्री का सामान छूट जाना	✓	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-0 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार (जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है))</u> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>हां</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td>✓</td> </tr> </table> उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-0 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-0	हां		नहीं	✓	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input checked="" type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नामअंकित करें) <input type="checkbox"/> यातायात पुलिस <input checked="" type="checkbox"/> रेलवे विभाग	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- 01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा यात्री के छूटे के सामान के रंग, आकार, माडल इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जायेगी। सूचना ट्रेन के मार्ग के अगले जीआरपी थाने/चौकी बल को सूचित किया जायेगा। 02- सम्बन्धित स्कोर्टकर्मी घटनास्थल पर पहुंच कर छूटे लगेज को प्राप्त करेंगे। 03-स्कोर्टकर्मी द्वारा छूटे लगेज को प्राप्त करके ट्रेन के मार्ग के अगले जीआरपी थाना/चौकी हस्तान्तरित कर दिया जायेगा और सूचना नियन्त्रण कक्ष को नोट करा दी जायेगी। 04-पीड़ित को इस बात की भी जानकारी दी जायेगी कि यदि उसके यात्रा समाप्त होने के उपरान्त लगेज प्राप्त होता है तो किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- 01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम व्यवहार करते हुए सामान की सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 04 की कार्यवाही की जायेगी। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-सम्बन्धित जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को सूचित किया जायेगा।	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर
			हां												
			नहीं	✓											
				नहीं	✓	सामान्य		<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> . पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर <input checked="" type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे							

										<p>02-जीआरपी थाना/चौकी कर्मचारी द्वारा तत्काल ट्रेन को अटेण्ड किया जायेगा।</p> <p>03-यात्रियों से छूटे लगेज के रंग आकार, माडल इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर स्टेशन पर उद्घोषणा की जायेगी।</p> <p>04-उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 04 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही शीर्षक-ए के बिन्दु 02 से 04 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p>	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-------------------

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
159	जीआरपी अन्तर्गत अन्य आकस्मिकतायें	ट्रेन/रेलवे स्टेशन पर लावारिश/संदिग्ध सामान का पाया जाना	✓	हां	✓	उच्च	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सी.ओ. जीआरपी ✓ एसआरपी पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. स्टेशन मास्टर ✓ होम कंट्रोल रेलवे ✓ आरपीएफ कंट्रोल	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02 जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार (जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है) हां नहीं	एम्बुलेंस ✓ फोरेंसिक ✓ अग्निशमन ✓ अन्य, यदि कोई हो (नामअंकित करें) ✓ यातायात पुलिस ✓ रेलवे विभाग ✓ बीडीएस/डाग स्कवाड ✓ पीएसी ✓ एलआईयू	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- 01-सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाना/चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- सम्बन्धित स्कोर्टकर्मी घटनास्थल पर पहुंच कर लगेज के रंग, आकार माडल इत्यादि की जानकारी प्राप्त करेंगे। 03-स्कोर्टकर्मी द्वारा संदिग्ध लगेज के वारिस को खोजने का प्रयास किया जायेगा। 04-निकटतम जनपदीय पुलिस को सूचना अग्रसारित की जायेगी। 05-बीडीडीएस टीम द्वारा लगेज की जांच करायी जायेगी। 06-घटनास्थल को यलो टेप से सुरक्षित किया जायेगा। 07-सम्पूर्ण ट्रेन की जांच की जायेगी। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- 01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सामान की सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 07 की कार्यवाही की जायेगी। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-सम्बन्धित जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02- उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 07 की कार्यवाही की जायेगी।	✓ ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा ✓ स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित ✓ घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	✓ थाना प्रभारी जीआरपी ✓ सीओ जीआरपी ✓ एसआरपी पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निरीक्षक रेलवे पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. स्टेशन मास्टर

											<p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही शीर्षक-ए के बिन्दु 02 से 07 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p>		✓	होमकण्ट्रोल रेलवे
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	-------------------

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर. पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
160	जीआरपी अन्तर्गत अन्य आकस्मिकतायें	ट्रेन/रेलवे स्टेशन पर महिला से छेड़छाड़ सम्बन्धित घटनायें	✓	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)-01 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02 <u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार (जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है)</u>	<input type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन <input checked="" type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नामअंकित करें)	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- 01- सम्बन्धित ट्रेन के स्कोर्ट द्वारा सूचना देते ही नजदीकी जीआरपी थाना/चौकी बल को भेजा जायेगा। 02- सम्बन्धित स्कोर्टकर्मी घटनास्थल पर पहुंच कर पीड़ित बालिका/महिला एवं अभियुक्त को अपनी अभिरक्षा में लेगा। 03- जीआरपी थाने द्वारा बालिका/महिला/अभियुक्त/घटना स्थल एवं अन्य कृत्य की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायाग। 4- जीआरपी/स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालिका/महिला को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना तथा बालिका के साथ नम्र व्यवहार करना तथा उसे रक्षा का एहसास कराना एवं दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना। 05- जीआरपी थाना/स्थानीय थाने द्वारा घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्यों आदि को यलो टेप से सुरक्षित किया जाना। 06- फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा फिंगर प्रिंट, फूट प्रिंट का नमूना एकत्र करेंगे। 07- बच्चे/महिला को विश्वास में लेकर उसके माता पिता व अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथासंभव सूचित करने का प्रयास करना। 08- महिला उ.नि./आरक्षी को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु जनपद नियन्त्रण कक्ष एवं स्थानीय थाने को सूचित करना। 09- स्थानीय थाने के प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी को घटना से संज्ञानित किया जायेगा। 10- एनजीओ को सूचित करना	<input checked="" type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा <input checked="" type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित <input checked="" type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input checked="" type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर
			नहीं	✓	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> यातायात पुलिस रेलवे विभाग		<input type="checkbox"/> घटना स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तांतरित करना	<input type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> स्टेशन मास्टर

										<p>B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होते ही ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले थाना प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सामान की सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की जानकारी प्राप्त की जायेगी। उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-03 से 10 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-सम्बन्धित जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को सूचित किया जायेगा।</p> <p>02- उसके उपरान्त शीर्षक ए में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 10 की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>01-घटना की सूचना जनपद नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा। जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी।</p> <p>02-घटनास्थल पर पहुंचते ही कार्यवाही शीर्षक-ए के बिन्दु 02 से 10 तक की कार्यवाही की जायेगी।</p>	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
161	जीआरपी अन्तर्गत अन्य आकस्मिकतायें	ट्रेन के आरक्षित कोच अथवा अन्य किसी कोच में सीट को लेकर विवाद	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04	एम्बुलेंस	<p>A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कर्तव्य होगा कि विवाद का पता चलते ही सीट को लेकर विवाद कर रहे दोनों पक्षों को समझाते हुए शान्त करने का प्रयास करेगा तथा रिजर्व कोच में विवाद की स्थिति में टीटीई की सहायता से सीट आरक्षित कराने वाले व्यक्ति को सीट उपलब्ध करायेगा एवं यदि विवाद जनरल कोच में है तो एक पक्ष को परिस्थिति के अनुसार दूसरे जनरल कोच में भेजने का प्रयास करेगा।</p> <p>विवाद में गंभीरता की स्थिति होने पर दोनों पक्षों को अपनी हिरासत में लेगा तथा ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले अगले जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा ट्रेन के पहुंचने पर प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-01 से 05 की भांति की जायेंगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम व्यवहार करते हुए सामान की सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी। एवं ट्रेन के सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी। 01-ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही घटनास्थल वाले कोच में पहुंच कर यदि स्थानीय थाना/चौकी के प्रभारी द्वारा यह पाया जाता है कि विवाद का स्तर गंभीर एवं किसी अफराध का होना नहीं पाया जाता है तो कारण का निवारण कर दोनों पक्षों की संतुष्टि के</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)		फोरेंसिक	✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी	
								एसआरपी	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे		अग्निशमन	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी	
								पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे	
								पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे	नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है, जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता, वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।		आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	
								पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.	होमकण्ट्रोल रेलवे		रेलवे नियन्त्रण कक्ष				✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
															✓	स्टेशन मास्टर/मैनेजर
															✓	
															✓	
															✓	

				स्टेशन मास्टर /मैनेजर			<p>उपरान्त प्रकरण को उसी स्तर पर समाप्त कर एटीआर (एक्शन टेकिंग रिपोर्ट) जिसमें घटना का विवरण एवं पक्षों का नाम पता, सम्पर्क नंबर एवं निदान के बारे में अंकित होगा। नियन्त्रण कक्ष को अवगत करा दिया जायेगा।</p> <p>02-यदि विवाद का स्तर अपराध घटित होने तक का हो तो दोनो पक्षों को पुलिस कर्मियों के सहयोग से हिरासत में लेकर स्थानीय थाने पर ले जाकर प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही करना।</p> <p>03-यदि विवाद का रूप गंभीर हो तथा मार पीट, फायरिंग, धारदार हथियार का उपयोग, लाठी डण्डा आदि आलाकुन्द का प्रयोग हुआ हो तो स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा पुलिस कर्मियों के सहयोग से दोन पक्षों के घायलों को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक उपचार प्रदान करते हुए एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाना। एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की दशा में स्वयं घायलों को अस्पताल पहुंचाना।</p> <p>04-मौके की स्थिति का सही आकलन कर आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल हेतु जीआरपी/जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को सूचित करना एवं क्षेत्राधिकारी को घटना से अवगत कराना तथा मृत्यु की दशा में शव एवं घटनास्थल को यलो टेप से सुरक्षित करना।</p> <p>05-स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा घटनास्थल, घायल. घटना में सम्मिलित व्यक्तियों एवं समस्त कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित किया जायेगा तथा मृत्यु की दशा में शव, घायल एवं अभियुक्त आदि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना।</p>		होमकण्ट्रोल रेलवे
							<p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-02 से 05 की भांति की जायेगी।</p> <p>D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:-</p> <p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से नजदीकी जनपदीय थाना/चौकी को सूचित किया जायेगा।</p>		

						जनपदीय थाना/चौकी पुलिस बल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क कर उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं जनपदीय थाना/चौकी प्रभारी के घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त कार्यवाही शीर्षक-बी के बिन्दु 02 से 05 की भांति कार्यवाही की जायेगी।		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
163	जीआरपी अन्तर्गत अन्य आकस्मिकतायें	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत यात्रा के दौरान अचानक हार्ट अटैक अथवा स्वास्थ्य खराब हो जाना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कर्तव्य होगा कि पीड़ित को सुरक्षा का बोध कराते हुए अगले आने वाले जीआरपी थाना/चौकी प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेगा तथा फ्रस्ट एड प्रदान किया जायेगा। टीटीई से सम्पर्क कर यदि ट्रेन में डाक्टर मौजूद है तो पीड़ित को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले सम्बन्धित थाना/चौकी को प्रकरण सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शीर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-01 की भांति की जायेंगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन के सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी। 01-स्थानीय थाने का थाना/चौकी प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंच कर पीड़ित को सुरक्षा का एहसास दिलाना, पीड़ित से उसके परिजन का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उन्हें सूचित करना। पीड़ित को प्रशिक्षणानुरूप प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराकर एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना एवं क्षेत्राधिकारी रेलवे को घटना के सम्बन्ध में अवगत कराना एवं अन्य कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर सुरक्षित करना।</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी		✓	अग्निशमन	✓	एसआरपी		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		✓	आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे		✓	रेलवे नियन्त्रण कक्ष	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		✓		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल		✓		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल		✓		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल		✓		✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	✓	पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
164	जीआरपी अन्तर्गत अन्य आकस्मिकतायें	जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कर्तव्य होगा कि टीटीई से सम्पर्क कर यदि ट्रेन में चिकित्सक मौजूद है तो पीड़िता को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा अगले ट्रेन के मार्ग में पड़ने वाले सम्बन्धित थाना/चौकी को प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए सम्बन्धित थाना/चौकी पर पहुंचते ही प्रकरण सुपुर्द कर दिया जायेगा। प्रकरण सम्बन्धित थाना/चौकी को प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी समस्त कार्यवाहियां शोर्षक बी में उल्लिखित बिन्दु सं0-01 की भांति की जायेंगी।</p> <p>B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से उससे नम्र व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराया जायेगा एवं घटना की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन के सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी। 01-स्थानीय थाने का थाना/चौकी प्रभारी द्वारा महिला उ.नि./आरक्षी एवं अन्य कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच कर पीड़िता को सुरक्षा का एहसास दिलाना, पीड़िता से उसके परिजन का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उन्हें सूचित करना। पीड़िता को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना एवं क्षेत्राधिकारी रेलवे को घटना के सम्बन्ध में अवगत कराना।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	एसआरपी		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	स्टेशन मास्टर/मैनेजर
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	स्टेशन मास्टर/मैनेजर

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाइडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
165	जीआरपी अन्तर्गत अन्य आकस्मिकतायें	रेल समस्या को लेकर स्टेशन पर धरना प्रदर्शन तथा ट्रैक जाम करने की सूचना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-10</p> <p><u>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td></td> </tr> </table> <p>उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-10</p> <p>PRV की आवश्यकता - 02 PRV</p>	हां	✓	नहीं		<p>एम्बुलेंस</p> <p>फोरेंसिक</p> <p>अग्निशमन</p> <p>अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)</p> <p>जीआरपी/आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष</p> <p>जनपदीय नियन्त्रण कक्ष</p>	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होने पर समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ जीआरपी बल को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02-घटनास्थल पर एकत्रित जन समूह व्यक्तियों की अनुमानित संख्या व उनकी मनोदशा के साथ ही घटनास्थल की स्थिति व गंभीरता का आकलन करते हुए स्थिति को नियन्त्रण करने हेतु संयमित रूप से धरना दे रहे समूह के मुख्य लीडर व व्यक्ति को समझाने बुझाने के साथ ही स्थिति की स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना उच्चाधिकारियों को तत्काल दी जाये साथ ही स्थिति की गंभीरता के अनुसार जनपदीय पुलिस के नियन्त्रण कक्ष को भी अवगत कराया जाये।</p> <p>03-अतिरिक्त पुलिस बल, वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन आदि की सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जीआरपी थाना/क्षेत्राधिकारी व सभी उच्चाधिकारीगण के साथ ही स्थानीय जनपदीय पुलिस थाने को भी दी जाये।</p> <p>04-जीआरपी थाना प्रभारी मौके पर पहुंच कर समस्या को लेकर धरना दे रहे व्यक्तियों से कारणों व उनकी मांगों की जानकारी कर उसके समाधान का सांत्वना देते हुए तत्काल सम्बन्धित उच्चाधिकारियों की उन मांगों के बारे में सूचित करना।</p> <p>05-जीआरपी प्रभारी द्वारा मौके पर सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने कुशल नेतृत्व में रेलवे ट्रैक को खाली कराये जाने का अनुरोध कर रेल यातायात सुचारु कराने का प्रयास किया जाये।</p> <p>06-जीआरपी प्रभारी द्वारा रेलवे ट्रैक को खाली</p>	<p>ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा</p> <p>ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित</p> <p>घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित</p>	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.			
			हां	✓																	
			नहीं																		
				नहीं		सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		<p>अग्निशमन</p>	<p>ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित</p>	✓	सीओ जीआरपी								
							✓	एसआरपी					✓				एसआरपी				
								✓		पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>हां</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td></td> </tr> </table>	हां	✓				नहीं		<p>घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित</p>	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे
			हां	✓																	
			नहीं																		
								पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे			✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे									
								✓		पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे	<p>जनपदीय नियन्त्रण कक्ष</p>	<p>घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित</p>	✓				पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे				
					पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.													
					✓	होमकण्ट्रोल रेलवे				✓	स्टेशन मास्टर/मैनेजर										

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
166	जीआरपी अन्तर्गत अन्य आकस्मिकतायें	ट्रेन के चक्का जाम की सूचना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>A-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:-</p> <p>01-सूचना प्राप्त होने पर समुचित सुरक्षा उपकरण के साथ जीआरपी बल को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>02-घटनास्थल पर एकत्रित जन समूह व्यक्तियों की अनुमानित संख्या व उनकी मनोदशा के साथ ही घटनास्थल की स्थिति व गंभीरता का आकलन करते हुए स्थिति को नियन्त्रण करने हेतु संयमित रूप से धरना दे रहे समूह के मुख्य लीडर व व्यक्ति को समझाने बुझाने के साथ ही स्थिति की स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना उच्चाधिकारियों को तत्काल दी जाये साथ ही स्थिति की गंभीरता के अनुसार जनपदीय पुलिस के नियन्त्रण कक्ष को भी अवगत कराया जाये।</p> <p>03-अतिरिक्त पुलिस बल, वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन आदि की सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जीआरपी थाना/क्षेत्राधिकारी व सभी उच्चाधिकारीगण के साथ ही स्थानीय जनपदीय पुलिस थाने को भी दी जाये।</p> <p>04-जीआरपी थाना प्रभारी मौके पर पहुंच कर समस्या को लेकर धरना दे रहे व्यक्तियों से कारणों व उनकी मांगों की जानकारी कर उसके समाधान का सांत्वना देते हुए तत्काल सम्बन्धित उच्चाधिकारियों की उन मांगों के बारे में सूचित करना।</p> <p>05-जीआरपी प्रभारी द्वारा मौके पर सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने कुशल नेतृत्व में रेलवे ट्रैक</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.												
			नहीं	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी	<p>उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-10</p> <p>जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)</p> <table border="1" style="margin: 5px auto;"> <tr> <td>हां</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td></td> </tr> </table> <p>उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-10</p> <p>PRV की आवश्यकता - 02 PRV</p>	हां		✓	नहीं		✓	फोरेसिक	<p>ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित</p>	✓	सीओ जीआरपी								
			हां	✓																					
			नहीं																						
						✓		एसआरपी		✓	अग्निशमन	<p>घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित</p>	✓	एसआरपी											
								पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे		<p>अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)</p>	<p>जीआरपी/आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष</p>		<p>पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे</p>	<p>पुलिस महा निरीक्षक रेलवे</p>											
								पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे								<p>जीआरपी/आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष</p>	<p>पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे</p>	<p>पुलिस महा निरीक्षक रेलवे</p>							
								पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे											<p>जीआरपी/आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष</p>	<p>पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे</p>	<p>पुलिस महा निरीक्षक रेलवे</p>				
								पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.														<p>जीआरपी/आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष</p>	<p>पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे</p>	<p>पुलिस महा निरीक्षक रेलवे</p>	
								होमकण्ट्रोल																	<p>जीआरपी/आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष</p>

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
167	जीआरपी अन्तर्गत अन्य आकस्मिकतायें	ट्रेन पर पथराव	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.	<p>घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर घटना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले आने वाले रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को घटना के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे तथा जनपदीय पुलिस कण्ट्रोल रूम को सूचना देंगे तथा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी जायेगी।</p> <p>B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेन के अगले स्टापेज स्टेशन से सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं ट्रेन से सम्बन्धित थाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-</p> <p>01-स्थानीय थाने के थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच कर घटना में ट्रेन का नाम व नंबर आदि की जानकारी कर जीआरपी नियन्त्रण कक्ष के साथ जनपदीय पुलिस नियन्त्रण कक्ष को तथा जनपदीय पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ ही पुलिस अधीक्षक रेलवे को सूचित किया जायेगा।</p> <p>C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही जीआरपी</p>	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	सी.ओ. जीआरपी		✓	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी		
			✓	हां	✓	उच्च	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे		✓	अग्निशमन	✓	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे		
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे		✓	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
			✓	हां	✓	उच्च	✓	पुलिस महानिदेशक/अ पर पुलिस महानिदेशक रेलवे		✓	जीआरपी/आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष	✓	पुलिस महानिदेशक/अ पर पुलिस महानिदेशक रेलवे	✓	पुलिस महानिदेशक/अ पर पुलिस महानिदेशक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.		✓	एटीएस	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महानिदेशक/अ पर पुलिस महानिदेशक रेलवे
			✓	हां	✓	उच्च	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	बीडीएस	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महानिदेशक/अ पर पुलिस महानिदेशक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	एलआईयू	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महानिदेशक/अ पर पुलिस महानिदेशक रेलवे
			✓	हां	✓	उच्च	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	जिलाधिका	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महानिदेशक/अ पर पुलिस महानिदेशक रेलवे
			✓	नहीं	✓	सामान्य	✓	होमकण्ट्रोल रेलवे		✓	जिलाधिका	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	✓	पुलिस महानिदेशक/अ पर पुलिस महानिदेशक रेलवे

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
168	जीआरपी अन्तर्गत अन्य आकस्मिकतायें	रेलवे स्टेशन के बुकिंग विण्डो पर टिकट लेने में लाइन अथवा तत्काल बुकिंग में दलालों का प्रवेश	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी. थाना	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04	एम्बुलेंस	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई हो तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है:- B-यदि ट्रेन स्कोर्ट नहीं चल रहा है:- C-यदि घटना रेलवे स्टेशन परिसर की है तो:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही टिकट विण्डो पर खड़े दलालों को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को सूचित किया जायेगा। प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा व सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर टिकट विण्डो पर खड़े दलालों को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए वैधानिक कार्यवाही करेंगे।	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
				नहीं		सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी.	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	अग्निशमन	ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित		✓	सीओ जीआरपी	
							✓	एसआरपी	पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		निकटतम जनपदीय थाना/चौकी के प्रतिनिधि को हस्तांतरित	✓	एसआरपी
								पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	नोट:- यदि घटना ऐसे स्थान पर होती है जहां जीआरपी थाना/चौकी का पुलिस बल तत्काल नहीं पहुंच सकता, वहां जनपदीय पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी।	जीआरपी नियन्त्रण कक्ष	पुलिस महा निरीक्षक रेलवे		पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे		पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
					पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे							पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे			
					होम कंट्रोल रेलवे							होमकंट्रोल रेलवे			

				होम कण्ट्रोल रेलवे			D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से जनपदीय नियन्त्रण कक्ष को सूचित किया जायेगा, जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सके।			होमकण्ट्रोल रेलवे
--	--	--	--	-----------------------	--	--	---	--	--	----------------------

				होम कण्ट्रोल रेलवे		कक्ष	कार्यवाही करेंगे। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय थाने के थानाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंच कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।			होमकण्ट्रोल रेलवे
--	--	--	--	-----------------------	--	------	--	--	--	----------------------

				होम कण्ट्रोल रेलवे			जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय थाने के थानाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंच कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।			होमकण्ट्रोल रेलवे
--	--	--	--	-----------------------	--	--	---	--	--	----------------------

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाइडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
172	जीआरपी अन्तर्गत अन्य आकस्मिकतायें	चलती ट्रेन से गिरना	✓	हां	✓	उच्च	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी. थाना	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01	✓	एम्बुलेंस	A-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट है:- 01-उस ट्रेन में चल रहे स्कोर्ट का कार्य होगा कि क्षेत्र में पड़ने वाले स्टेशन के जीआरपी थाना प्रभारी को घटना के बारे में सूचित करेंगे। 02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे और अगर यात्री घायल है तो उसे अस्पताल भेजवाना सुनिश्चित करेंगे व आवश्यक कार्यवाही करेंगे। B-चलती ट्रेन की घटना, जिसमें स्कोर्ट नहीं है:- 01-रेलवे कंट्रोल के माध्यम से तत्काल सम्बन्धित थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। 02-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे और अगर यात्री घायल है तो उसे अस्पताल भेजवाना सुनिश्चित करेंगे व आवश्यक कार्यवाही करेंगे। C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- 01-थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना के बारे में जानकारी करेंगे और अगर यात्री घायल है तो उसे अस्पताल भेजवाना सुनिश्चित करेंगे व आवश्यक कार्यवाही करेंगे। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- जनपदीय नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से सम्बन्धित	✓	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जी.आर.पी.
				नहीं		सामान्य	✓	सी.ओ. जी.आर.पी	आरक्षी (पु)-04	अग्निशमन	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓		ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	✓	सीओ जीआरपी	
							✓	एसआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	जीआरपी नियन्त्रण कक्ष	निकटतम जनपदीय थाना/चौकी के प्रतिनिधि को हस्तांतरित		✓	एसआरपी		
								पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-0 मु.आ.-01 आ. (महिला)-01 आरक्षी (पु)-02	स्टेशन अधीक्षक	पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे			पुलिस महा निरीक्षक रेलवे		
								पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे		रेलवे कंट्रोल					पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे		
								पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे							पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे		

				होम कण्ट्रोल रेलवे			जनपदीय थाने के थानाध्यक्ष से वार्ता कर सूचना से अवगत कराते हुए सम्बन्धित स्थान पर पहुंच कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।			होमकण्ट्रोल रेलवे
--	--	--	--	-----------------------	--	--	---	--	--	----------------------

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाडर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हें घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
173	रेल से व्यक्ति की दुर्घटना	रेल से व्यक्ति की दुर्घटना	✓	हां	उच्च	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input type="checkbox"/> सी.ओ. जीआरपी <input type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04	<input checked="" type="checkbox"/> एम्बुलेंस <input type="checkbox"/> फोरेंसिक <input type="checkbox"/> अग्निशमन	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।	<input type="checkbox"/> ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	<input checked="" type="checkbox"/> थाना प्रभारी जीआरपी <input type="checkbox"/> सीओ जीआरपी <input type="checkbox"/> एसआरपी <input type="checkbox"/> पुलिस उप महा निरीक्षक रेलवे				
			नहीं	✓	सामान्य	<input type="checkbox"/> पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. <input type="checkbox"/> होम कण्ट्रोल रेलवे	उ.नि.(महिला)- उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-02 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-04	<input type="checkbox"/> अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)		<input type="checkbox"/> स्थानीय थाने पर जाकर हस्तांतरित	<input type="checkbox"/> पुलिस महा निरीक्षक रेलवे <input type="checkbox"/> पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेश रेलवे, उ.प्र. <input type="checkbox"/> होमकण्ट्रोल रेलवे				
					<table border="1"> <tr> <td>हां</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>नहीं</td> <td></td> </tr> </table>	हां	✓	नहीं							
			हां	✓											
			नहीं												

डायल 100 पुलिस द्वारा कार्य योग्य काल पर की जाने वाली कार्यवाही के स्थायी आदेश

क्र.स	घटना का प्रकार	घटना की प्रकृति	जी.आर.पी. बल भेजा जाना है अथवा नहीं	प्राथमिकता का स्तर	सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम	पुलिस बल की आवश्यकता	किसी अन्य इकाई/विभाग का नाम, जिसे घटना के बारे में सूचित करना हो	रिस्पाण्डर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही (जी.आर.पी. में स्कोर्ट पार्टी या जी.आर.पी. थाना/चौकी बल रिस्पाइर्स होगा)	समाधान	अधिकारियों की सूची, जिन्हे घटना पर की गयी कार्यवाही मय समय के साथ प्रेषित की जानी है।				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
174	रेल से जानवर की दुर्घटना	रेल से जानवर की दुर्घटना	✓	हां	उच्च	✓	थाना प्रभारी जीआरपी	उ.नि.(महिला)-0 उ.नि. (पु)-01 मु.आ.-01 आ. (महिला)-0 आरक्षी (पु)-01	एम्बुलेंस	घटना की सूचना प्राप्त होने पर यदि घटना ट्रेन में घटित हुई है तो:- A-यदि ट्रेन में स्कोर्ट चल रहा है तो:- B-यदि ट्रेन में स्कोर्ट नहीं चल रहा है तो:- C-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित है:- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा जरिए दूरभाष सूचनाकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा एवं घटना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं घटनास्थल पर पहुंचते ही समस्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। D-रेलवे स्टेशन परिसर की घटना, जहां जीआरपी थाना/चौकी स्थापित नहीं है:- घटना की सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी कण्ट्रोल रूम के माध्यम से जनपदीय कण्ट्रोलरूम को सूचित किया जायेगा जिससे सम्बन्धित जनपदीय थाना/चौकी से पुलिस बल घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सकें।	ट्रेन स्कोर्ट पार्टी द्वारा	✓	थाना प्रभारी जीआरपी	
				नहीं	✓	सामान्य	सी.ओ. जीआरपी	जनपदीय पुलिस से सहायता (आवश्यकतानुसार)	फोरेंसिक		ट्रेन के मार्ग पर पड़ने वाले जीआरपी थाना पर जाकर हस्तांतरित	सीओ जीआरपी		
							एसआरपी		अग्निशमन			एसआरपी		
								पुलिसउपमहा निरीक्षक रेलवे	हां <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>		अन्य, यदि कोई हो (नाम अंकित करें)	✓	घटना स्थानीय थाना/चौकी के प्रति निधि को हस्तांतरित	पुलिस उपमहा निरीक्षक रेलवे
								पुलिसमहा निरीक्षक रेलवे			जीआरपी/आरपीएफ नियन्त्रण कक्ष			पुलिस महा निरीक्षक रेलवे
								पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे	(गंभीरता एवं विस्तार के अनुसार पुलिस बल बढ़ाया जा सकता है)					पुलिस महा निदेशक/अपर पुलिस महा निदेशक रेलवे
								. पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.						. पुलिस महा निदेशक, उ.प्र.
								होमकण्ट्रोल रेलवे			बीडीएस			होमकण्ट्रोल रेलवे

